खण्ड–2, अंक–6
गुरुवार, 20 बैशाख, शक संवत् 1923
(10 मई, 2001 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(अनन्तिम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2001)

(खण्ड 2 में 10 अंक हैं)
उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–6
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	6–8
बिलेश्वर में स्वीकृत झूला पुल का निर्माण न होने के संबंध में	
विधान सभा की समितियों का गठन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	8–17
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय-व्ययक अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–1, विधान सभा, अनुदान संख्या–3, मंत्रि परिषद् .... (जारी)	17–19
कार्य दिग्दर्शिका प्राप्त न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	19–21
उत्तरांचल के अन्दर हुए व्यय के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	22–25
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय-व्यय में अनुदानों के मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान संख्या–21 ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या–4 न्याय प्रशासन, अनुदान संख्या–5 निर्वाचन, अनुदान संख्या–8 आबकारी, अनुदान संख्या–9 लोक सेवा आयोग, अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण, संस्कृति, अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान संख्या–14 सूचना, अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण विभाग, अनुदान संख्या–24 उद्योग .... (पारित)	25–99
हरिद्वार के महाविद्यालयों का गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से संबंद्धीकरण किये जाने के संबंध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री का वक्तव्य	99
देहरादून नगर क्षेत्र में सीवर के निस्तारण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरबंस कपूर के द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य	100
उत्तरांचल में रोजगार परक व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पिथौरागढ़ में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के संबंध में श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान..............(प्रस्ताव वापस लेने की स्वीकृति)	100–101

विषय	पृष्ठ संख्या
तीर्थ यात्रा अवधि में हरिद्वार में मेला अधिसूचित करने व मूल–भूत सुविधाओं हेतु नगरपालिका परिषद् को धन उपलब्ध कराने के संबंध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव .... (प्रस्ताव वापस लेने की स्वीकृति)	101–102
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	103

उत्तरांचल विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 10 मई, 2001

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :–

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अम्बरीष कुमार
3–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
4–श्री ईसम सिंह
5–श्री केदार सिंह फोनिया
6–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
7–काजी मो0 मोहिउद्दीन
8–श्री के0 सी0 सिंह "बाबा"
9–श्री तिलक राज सिंह बेहड
10–श्री तीरथ सिंह रावत
11–श्री नारायण सिंह राणा
12–श्री नारायण राम दास
13–श्री नित्यानन्द स्वामी
14–श्रीमती निरुपमा गौड़
15–श्री बिशन सिंह चुफाल
16–श्री भगत सिंह कोश्यारी
17–श्री भारत सिंह रावत
18–श्री मातबर सिंह कण्डारी
19–श्री मुन्ना सिंह चौहान
20–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"
21–श्री रघुनाथ सिंह चौहान
22–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
23–श्री राजेन्द्र सिंह
24–श्री राम सिंह सैनी
25–श्री लाखी राम जोशी
26–श्री बंशीधर भगत
27–श्री सुरेश चन्द्र आर्य
28–श्री हरबंस कपूर
29–श्री ज्ञान चन्द

गुरुवार, दिनांक 10 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को ही मुख्य स्थान दिलाये जाने हेतु सरकार की नीति

*1–श्री राम सिंह सैनी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को ही मुख्य स्थान दिलाये जाने हेतु सरकार कोई नीति तैयार कर रही है ?

यदि हां, तो उस पर कब तक कार्य शुरू हो जायेगा ?

वित्त, संस्थागत वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

वर्तमान में नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को ही मुख्य स्थान दिलाये जाने की सरकार की कोई नीति तैयार की जा रही है तो आपने कह दिया कि वर्तमान में नहीं तो माननीय मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप उस पर विचार करेंगे भविष्य में इस प्रकार की नीति बनाने पर गम्भीरतापूर्वक निर्णय लेंगे ?

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यह सरकार आयुर्वेद के उत्थान की दिशा में पूरी तरीके से कटिबद्ध है। माननीय सदस्य ने कहा था कि चिकित्सा पद्धति को ही मुख्य स्थान दिलाने का काम उत्तरांचल में होगा क्योंकि कई पद्धतियां हैं जैसा आपने कहा था कि भविष्य में इस तरीके से कोई रूपरेखा बनेगी तो निश्चित रूप से भविष्य में ऐसी रूपरेखा बनायी जायेगी।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां शासन का विचार भी है और यहां की स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए आयुर्वेद का विकास हो, यह पद्धति यहां पर विकसित हो, इसलिए हरिद्वार में एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम करें ताकि इसको और प्रोत्साहन मिल सके, क्या इस पर भी विचार करेंगे ?

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, स्थान का तो कोई सुनिश्चित नहीं, लेकिन जैसा कि माननीय नेता सदन पहले भी अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं कि यह सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिये कटिबद्ध है और आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बारे में भी विचार किया जायेगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सैनी जी का प्रश्न था कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को ही मुख्य स्थान दिलाये जाने हेतु सरकार कोई नीति तैयार कर रही है तो माननीय मंत्री जी ने अपना उत्तर दे दिया तो मेरा तो कहना इतना है कि क्या उनको भी मुख्य स्थान दिलाने के लिए सरकार की कोई नीति है, इस पर माननीय मंत्री जी बता दें। दूसरा माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाने पर सरकार विचार कर रही है, यह माननीय नेता सदन ने भी कहा, स्थान कहां होगा, इसके बारे में कोई निश्चित नहीं कहा गया, तो मेरा अनुरोध है कि जो दो हमारे आयुर्वेद के महाविद्यालय हैं, दोनों हरिद्वार में, तो इसलिए कोई बढ़िया बात नहीं हो सकती कि वहां उनको सम्बद्ध किया जाये, वहां विश्वविद्यालय हो तो, माननीय मंत्री जी क्या इस पर कोई कमेटी बनाकर उसकी जांच करायेंगे, कि हरिद्वार में विश्वविद्यालय बनाने की सम्भावनायें हैं या नहीं ?

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानंद स्वामी)–

मान्यवर, बहुत अच्छी बात माननीय अम्बरीष जी ने कही, आयुर्वेद इस सरकार की प्राथमिकताओं में से है और जैसा आपने बताया वहां 2 महाविद्यालय हैं तो हम लोग आपके सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री ज्ञान चन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने 95 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हमारे पूरे उत्तरांचल में खोले हैं, क्या इन चिकित्सालयों में समुचित व्यवस्था की गयी है ?

श्री अध्यक्ष जी–

यह आपका प्रश्न इस प्रश्न के दायरे में नहीं है।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत लिए नमूनों की जांच

*2–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत लिए नमूनों की जांच की कोई व्यवस्था है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार आई0डी0पी0एल0 वीरभद्र, ऋषिकेश की प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच कराने पर विचार करेगी ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

जी हां।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला, लखनऊ, एल0एल0आर0 मेडिकल कालेज, मेरठ एवं केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पूना को अधिसूचित किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि हमारे यहां जो मेडिकल कालेज हैं, वहां पर अपमिश्रण नमूनों की जांच करायी जाय। दूसरा क्या ऋषिकेश में आई0डी0पी0एल0 में अपमिश्रण नमूनों की जांच पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत ही टेक्निकल किस्म का काम है, इसमें अनुभव होना आवश्यक है। भविष्य में प्रयोगशाला खोलने के लिए हम प्रयासरत हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहना चाहूंगा कि ऋषिकेश आई0डी0पी0एल0 इस तरह की जांच में सक्षम नहीं है। आई0डी0पी0एल0 में सिर्फ औषधियों का ही परीक्षण कराया जा रहा है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी ने कोई जांच करायी है, जिसके आधार पर यह कह रहे हैं कि यह प्रयोगशाला उपयुक्त नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं स्वयं वहां पर गया था और लिखा भी है। लिखाने के बाद ऐक्ट ही प्रोवाइड नहीं करता, यदि किसी व्यक्ति या कारपोरेशन को जो व्यापार करता है, उसका हित इसमें शामिल है तो उसे ऑथराइज नहीं किया जाता। आई0डी0पी0एल0 ने इसके लिए केन्द्र सरकार से अनुज्ञा प्राप्त की है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अपनी प्रयोगशाला बनाने पर कब तक विचार किया जा रहा है ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पूर्व में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए अनुदान हेतु केन्द्र सरकार को लिखा गया था। इसमें हमको 80 लाख रुपया प्राप्त हो चुका है। उससे आयुर्वेद और दोनों को मिलाकर प्रयोगशाला बन सकती है या उसमें कोई टैक्निकल प्राब्लम आयेगी, इस पर अध्ययन चल रहा है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, इससे संबंधित एक छोटा सा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि एल0एल0आर0 मेरठ, खाद्य प्रयोगशाला– पूना और खाद्य प्रयोगशाला– लखनऊ से जांच करायी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद इन प्रयोगशालाओं से कितने खाद्य अपमिश्रण के नमूनों की जांच करायी गयी ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने कोई जांच नहीं करायी।

–व्यवधान–

नहीं मान्यवर, मैं त्रुटिवश कह गया था, जांच करायी गयी है, माननीय सदस्य सुन नहीं रहे हैं। जहां तक रिपोर्ट आने की बात है, हम रेगुलर फीचर में जांच कराते रहते हैं। ……

श्री लाखीराम जोशी–

मान्यवर, जैसे बिस्कुट हैं, नमकीन हैं इसकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री होती है, क्या उसका परीक्षण करायेंगे ?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक बात बतायें तो उसकी जांच करा ली जायेगी। (व्यवधान)

श्री लाखीराम जोशी–

मान्यवर, जो सामान ऊपर पहाड़ों में खाने–पीने का बेचा जा रहा है, उसे आप खा नहीं सकते हैं, उसमें से बहुत बदबू आती है। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय जोशी जी ने भी अपना प्रश्न इसी संदर्भ में किया है। खाद्य अपमिश्रण की जो जांच है उसमें ऐसा तो है नहीं कि जब कोई शिकायत मिलेगी तभी जांच करायी जायेगी। इसकी जांच का एक रूटीन होता है कि महीने में कितने सैम्पल भरे जायेंगे। सैम्पल भरने के बाद जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि वह खाद्य सामग्री शुद्ध है या नहीं। इसका पता देखकर नहीं लगाया जा सकता। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई नमूना जांच के लिए नहीं भेजा गया है। इसका मतलब तो यह हुआ कि उत्तरांचल बनने के बाद सरकार ने खाद्य अपमिश्रण की जांच बन्द कर दी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जैसे–जैसे मामले आते जायेंगे, उनको जांच के लिए भेजा जायेगा। (घोर व्यवधान)

जहां तक नमूनों की बात कर रहे हैं, उसकी सूची आपको उपलब्ध करा दी जायेगी। आप सुन नहीं रहे हैं जांच तो करायी गयी है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, खाद्य पदार्थों की जांच सेनेट्री इंस्पेक्टर का दायित्व है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सेनेट्री इंस्पेक्टर लगातार अपना कार्य कर रहे हैं।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो खाद्य सामग्री दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बेची जा रही है, क्या उसकी नियमित जांच कराने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे। ....

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अभी मा0 मंत्री जी ने कहा काम चल रहा है, आ रहा है और सैम्पल कोई गया नहीं। मान्यवर, यात्रा का सीजन है, हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक लाखों करोड़ों यात्री सीजन में आने वाले हैं, भीषण गर्मी पड रही है। मान्यवर, ऐसे में खाद्य अपमिश्रण के नमूने लेने की बहुत महती आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या मा0 मंत्री जी ने कोई व्यवस्था की है कि खाद्य अपमिश्रण न हो और आने वाले यात्रियों को हर चीज की सुविधा मिलती रहे।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मा0 सदस्य सही कह रहे हैं, यात्राएं भी शुरू होंगी, इसका भी ध्यान रखा जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

पनार जलागम परियोजना का निर्माण कार्य बन्द होना

1–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि वर्ष 1985–86 में अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के सीमा से लगे पनार नामक स्थान पर विश्व बैंक की सहायता से 600 करोड़ की लागत की हरियाली एवं वन्य जीव अभ्यारण की स्थापना हेतु दीर्घकालीन बहुउद्देशीय पनार जलागम परियोजना का निर्माण शुरू किया गया था परन्तु वर्तमान में उक्त क्षेत्र में निर्माण का कोई अवशेष नहीं बचा है ?

यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना जो कि नव सृजित उत्तरांचल राज्य के हिस्से में है ? उसके निर्माण न करने के लिऐ जिम्मेदार अधिकारियों के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

पंचायतीराज, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (डा0 मोहन सिंह रावत गांववासी)–

जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अधीन "हरियाली एवं वन्य जीव अभ्यारण्य" स्थापना नाम से कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की गयी है।

अपितु विश्व बैंक वित्त पोषित हिमालयन जलागम प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपद के पनार उप जलागम में वर्ष 1985–86 से वर्ष 1992–93 तक 46,400 हैक्टेयर क्षेत्र में जलागम विकास के कार्य किये गये। पनार उप जलागम क्षेत्र में परियोजना काल में कुल रु0 15.32 करोड़ व्यय किया गया। जिसमें भू–क्षरण व पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए वानिकी वृक्षारोपण, पशुधन व दुग्ध विकास, कृषि एवं भूमि संरक्षण, फलोद्यान विकास, लघु सिंचाई, पेयजल विकास व ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख कार्य समन्वित रूप से किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का क्रम समाप्त हुआ। एक संशोधन होना है, मद संख्या 14 में परिवहन के स्थान पर टंकण त्रुटि से उद्योग छप गया है, कृपया इसे उद्योग के स्थान पर परिवहन पढ़ा जाय।

अब मैं लेता हूँ नियम–301।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

बिलेश्वर में स्वीकृत झूला पुल का निर्माण न होने के सम्बन्ध में

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, 31 मार्च, सन् 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तरांचल में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5–5 झूला पुलों की स्वीकृति दी गई थी, टिहरी विधान सभा क्षेत्र में भी 5 झूला पुल स्वीकृत हुए, जिसमें झूला पुलों का निर्माण हो गया है, लेकिन एक झूला पुल जो कि पिपोला–पिलखी के मध्य भिलंगना नदी पर स्वीकृत था, उसका स्थान परिवर्तन कर बालगंगा नदी पर, स्थान बिलेश्वर (भिलंगना) में बनाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसे सरकार ने स्वीकृत कर दिया था, लेकिन परिवर्तित स्थान बिलेश्वर में अभी तक स्वीकृत झूला पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। अतः स्वीकृत झूला पुल का निर्माण जनहित में शीघ्र कराने के निर्देश करेंगे।

विधान सभा की समितियों का गठन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 200 की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ और मान्यवर जिसमें लिखा है–

प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय–समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो विभिन्न समस्यायें विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिए सदन द्वारा समितियाँ निर्वाचित या अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होंगी। मान्यवर, ये हमारे सदन की परम्परा है। मान्यवर, इस सदन की समितियाँ बनती हैं लोक लेखा समिति है, आश्वासन समिति है और पब्लिक अण्डरटेकिंग समिति है, विभिन्न समितियाँ हैं। मान्यवर, इनको इसलिए बनाया जो विधान सभा के अन्दर यहाँ आश्वासन मिलते हैं या जो रिपोर्ट बनती हैं, आडिट की। हमारे जनप्रतिनिधि का नियंत्रण एक्जीक्यूटिव के ऊपर या जो विधान सभा की कार्यवाहियाँ हुई हैं, वह प्रभावी रह सकें। मान्यवर, इसीलिए ये कमेटीज का प्राविधान, समितियों का प्राविधान किया गया और इनके न होने पर विधान सभा के सदस्य के रूप में विधान सभा के नियंत्रण में रहना चाहिए, वह नियंत्रण नहीं रह पाया है। मान्यवर, जो आश्वासन यहाँ फ्लोर पर दिया गया उनकी समीक्षा भी नहीं हो पा रही है तो इसमें मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसके संदर्भ में व्यवस्था भी देने का कष्ट करें और दूसरा मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से निर्देश जारी किये गये हैं, स्थायी समिति बनाने के लिए। मान्यवर, हम सदन में रोज बैठ रहे हैं चर्चा कर रहे हैं, अक्सर हम लोगों को शिकायत यह रहती है जो नीति संबंधी मामले हैं, अगर उनमें लोगों का भी सुझाव लिया जाय, आम राय से नीतियाँ बनें, तो प्रदेश के लिए अधिक लाभकर होगा, उसका प्राविधान भी हमारे अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत हैं, ये मंत्रालय से सम्बद्ध स्थायी समितियाँ बनायी जाती हैं जिनकी बैठक तीन महीने में एक बार होती है और सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी उस समिति में रहते हैं, मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं और उस समिति के माध्यम से जिस आम राय को बनाने की हम बात करते हैं जिस सहयोग की हम बात करते हैं कि सत्ता और विपक्ष का सहयोग होना चाहिए उसको एक व्यवहारिक रूप में मिलते हैं इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये दोनों ही प्राविधान हैं आप ही की पीठ से निर्णय है। मान्यवर, जो 200 के अन्तर्गत विधान सभा की समितियाँ बनायी गई उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराया। मेरा अनुरोध है आप इसकी व्यवस्था करा दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप स्वयं भिज्ञ हैं हमारा कान्स्टीट्यूशन ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है और ब्रिटेन के अन्दर समितियाँ ही प्रमुख रूप से सारे कार्य का संचालन करती हैं। हमारे देश के पार्लियामेंट में इसका अनुकरण किया है, इसलिए वहाँ की पार्लियामेंट में मंत्री उनका लाइजन करते हैं। जैसे–आश्वासन समिति का लाइजन पार्लियामेंट्री एफेयर्स मिनिस्टर करता है। मान्यवर, प्रदेशों में यह व्यवस्था नहीं हो पायी। किन्तु आकार बड़ा है, कहीं का छोटा है और कई कठिनाइयाँ हैं, लेकिन आज भी हिन्दुस्तान के पार्लियामेंट के अन्दर उनका जो सम्पर्क समिति से मंत्री के माध्यम से चीजों का निराकरण समितियों से प्रश्नों द्वारा हो जाता है। ....

लेकिन, हम लोग राज्यों में यह बात नहीं कर पाये तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधार पर हमारा संविधान बना हुआ है और पार्लियामेंट में आज भी उसी के आधार पर समितियों का महत्व है तो इन समितियों का महत्व इस सदन ने इतना आश्वासन आ गया जो सबसे महत्वपूर्ण है,

आखिर उनकी पूर्ति के लिये केवल सरकार के मंत्री ही नहीं वरन नौकरशाह पर भी यह जिम्मेदारी है जो आश्वासन सदन में माननीय मंत्री जी ने दे दिया उसकी पूर्ति के लिये नौकरशाही कार्य कर नहीं रही है, इससे सरकार की मदद होती है। मान्यवर, आपके सामने भी समय कम होता है, जनहित में भी कार्य होता है, इसमें पक्ष–विपक्ष कोई नहीं है, इसमें एक है कि जो सदन में आश्वासन मिला या जो आपत्तियाँ आईं आय–व्यय का खर्चा या सदन में जो मंत्रिगण कह रहे हैं, नौकरशाही पर भी एक अंकुश होता है कि वह कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्थाई समितियाँ तो आप जानते हैं स्टैंडिंग समितियाँ उसकी होती हैं तो मान्यवर, आप पूरी तरह से भिज्ञ हैं। मान्यवर, आप सदन को संचालित करते हैं, मैं आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट की पद्धति बताऊँ और लोक सभा बताऊँ तो यह उचित नहीं होगा, लेकिन, अगर ध्यान आकर्षित भी करना पड़ा इस औचित्य के लिए तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा की सभी समितियों का गठन किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, जो माननीय अध्यक्ष जी नामांकन करेंगे वह सदन का प्रस्ताव मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष जी–

प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के अन्तर्गत माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विधिवत् नियमों से एक प्रस्ताव ले आयें और उसको सारा सदन स्वीकार कर ले। जो प्रक्रिया है कार्य संचालन नियमावली के तहत होता है इसके बाद ले आयें।

अब मैं नियम 56 ले रहा हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

*श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तरांचल सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से मौजूदा शैक्षणिक कैलेण्डर में आमूल–चूल परिवर्तन करने का फैसला लिया है। सरकार ने ग्रीष्म कालीन अवकाश की अवधि घटा दी है। अब विद्यालय 14 मई के स्थान पर 31 मई को बन्द होंगे। साधन विहीन सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को लू और गर्मी से बचाने के लिये सरकार क्या सुविधा मुहैया करेगी इसका कोई उल्लेख नहीं है। बदलते पर्यावरण से भारतवर्ष में, उत्तरांचल के मैदानी क्षेत्रों में, पेयजल का भारी संकट उत्पन्न है। विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध नहीं है। प्रतिदिन 8 घण्टे घोर गर्मी, बिजली बन्द होने की मार झेल रहे बच्चों को बिजली एवं पंखे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। बिना छत के विद्यालयों में भीषण गर्मी को झेल रहे बच्चों को अच्छे टाट–पट्टी उपलब्ध कराने के संबंध में भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। शैक्षणिक कैलेण्डर में परिवर्तन का निर्णय कुछ नया कर दिखाने का जुनून में लिया गया दिखाई देता है। इस निर्णय में शिक्षाविदों, शिक्षक संगठनों, शिक्षा विशेषज्ञों और अभिभावकों को विश्वास में नहीं लिया गया है, सरकार के इस मनमाने निर्णय से छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों में भारी रोष एवं उत्तेजना है, सरकार के इस मनमाने तानाशाही रवैये के विरुद्ध सभी शिक्षक संगठन बन्द हो चुके हैं स्थिति अत्यन्त गम्भीर एवं विस्फोटक है, अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के तात्कालिक प्रश्न पर चर्चा करने के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करे, और मान्यवर, मैं आपका ध्यान 2 मिनट के लिए इस प्रश्न पर आकर्षित करूँगी कि कल से मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं, 3–4 दिनों से गर्मी तेज हो रही है और बिजली आ नहीं रही है, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं।

मान्यवर, तमाम इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल और अभिभावक मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि साहब हम विद्यालय 14 मई, 20 मई को बन्द करें कि 31 मई को। टेलीफोन तो मसूरी तक से आ रहे हैं कि हमने तो घोषणा कर दी है कि प्रवेश 22 तारीख से होंगे, लेकिन ये एक अविवेकपूर्ण निर्णय हुआ है। मुझे नहीं पता कि क्या अमूल–चूल परिवर्तन दिखाना चाहते हैं, कौन सा परिवर्तन होने जा रहा है, इस तरह घोर गर्मी, लू में बच्चों को स्कूल बुला कर। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ, जब वो सर्वोच्च पीठ पर आसीन थे तो उन्हें याद होगा कि जब उन्हें विधान परिषद में घोर जाड़े में कई लोगों की इस तरह की घटनाओं की जानकारी हुई तो उन्होंने स्वयं आदेश दिये थे कि पब्लिक स्कूल से लेकर सभी स्कूल इतने जाड़े में इस तिथि तक बन्द कर दिये जाएं। मान्यवर, आप तो ऐसे निर्देश देते रहे हैं, इसी पीठ पर बैठकर, इस उच्च आसन पर बैठकर आपने जनहित में इस प्रकार के निर्णय लिए और उस वक्त जिस पब्लिक स्कूल ने बन्द नहीं किया था, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के भी आपने निर्देश दिए। मैंने इस विषय में बहुत बार आपका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन मुझे बाध्य होकर आज कार्य स्थगन प्रस्ताव इसलिए लाना पड़ा कि कल–परसों से लगातार मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं कि, साहब क्या करें। 31 मई तक बच्चा तो कोई बैठेगा नहीं। अगर शिक्षकों पर बाध्यता है तो हम लोग कमरे में बैठ जायेंगे। प्रवेश के लिए भी कोई नहीं आएगा। तो इन परिस्थितियों में हमें विवेकपूर्ण और जनहित में निर्णय लेने चाहिए। कुछ नया कर दिखाने के जुनून में लिए गये निर्णय काफी लोगों की नाराजगी का कारण बनते हैं। मान्यवर, इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर आप इसे कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार न करें तो सरकार से एक वक्तव्य की तो मांग कर दें।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या टेलीफोन द्वारा प्राप्त सूचना का संज्ञान लेकर इस प्रकार कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विधायक द्वारा कही गयी बात का संज्ञान लिया जाएगा।

मुख्मंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, पहले जो सूचना हमारे पास है, नवगठित उत्तरांचल राज्य में शैक्षणिक गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्म कालीन अवकाश की अवधि 14 मई के स्थान पर 31 मई की गयी है। उत्तरांचल राज्य का 80 प्रतिशत भाग पर्वतांचल में स्थित है तथा शेष 20 प्रतिशत भाग तराई या घाटी में स्थित है। शैक्षिक हित में ग्रीष्म अवकाश की अवधि बढ़ाई गयी है ताकि माह मई में पठन–पाठन तथा दिये गये गृहकार्य को ग्रीष्म अवकाश के दौरान पूरा कर सकें। शिक्षा सत्र में निर्धारित 47 दिन की अवकाश अवधि को शीतकाल के 17 दिन और ग्रीष्म काल के एक माह के अवकाश अवधि में विभाजित किया गया है। माह जून में सर्वाधिक गर्मी होती है, जो कि ग्रीष्म काल की अवधि है, छात्र हित में, शैक्षणिक हित में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है।

मान्यवर, इसके पीछे भावना यह थी कि होता यह था कि छात्रों की छुट्टी हो गयी, उसका परीक्षाफल मिल गया, उसके बाद छात्र बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता था, तो आगे का कोई विजन नहीं होता था। आगे उसे क्या पढ़ना है, कौन सी पुस्तकें होंगी, क्या कोर्स होगा और आगे उसके लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता था। जब घरों में बच्चे दो महीने रहते हैं तो वह केवल खेल–कूद के सिवा कुछ नहीं करते। इस व्यवस्था से यह काम किया गया है कि जो 14 दिन उनको स्कूल में रोका गया है उसके अन्दर उनको अगला पाठ्यक्रम समझाने के लिए, उनको होमवर्क दिया जा सकता है ताकि उनकी एक ऐसी बैक ग्राउण्ड बन जाए कि शिक्षा का माहौल बना रहे। वरना शिक्षा का माहौल समाप्त हो जाता है और हमारे छात्र छुट्टी में मौज–मस्ती के मूड में आ जाते हैं। इसलिए शिक्षा का माहौल बना रहेगा। इसके अन्दर गर्मी की बात जहाँ तक है, मैंने बताया कि 80 प्रतिशत तो पहाड़ हैं। गर्मी में सभी लोग पहाड़ की तरफ जाते हैं, तो वहाँ के छात्र हमारे सुरक्षित हैं। अब केवल देहरादून की बात, ऊधमसिंह नगर की बात या हरिद्वार की बात है। ....

मान्यवर, ये 14 दिन ऐसे नहीं हैं जो कट न सकें। उनके व्यापक हित को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस वर्ष हम इसको एक प्रयोग, एक अनुभव के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि एक नया हम प्रयोग कर रहे हैं। बच्चों को हम बता दें कि अगले साल तुम्हें क्या पढ़ना है, उनका होमवर्क बता दें। इस साल इसको हम देख रहे हैं, अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो व्यवस्था में परिवर्तन किया जायेगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अधिक गर्मी, किस तापमान को समझते हैं। हरिद्वार में 40 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गर्मी में सब लोग पहाड़ पर जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी छुट्टियों से पहले रीएडमिशन की व्यवस्था करना चाहते हैं, वे कर लें। मान्यवर, जो व्यवस्था सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, उसके पीछे कोई बेस है। उसको तोड़ने के लिए जो तर्क माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया वह सशक्त और पर्याप्त नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बयान दिया कि अभी हम प्रयोग कर रहे हैं। वे हमसे भी कुछ अनुभव ले लेते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया। उत्तरांचल की 80 प्रतिशत आबादी पहाड़ पर रहती है। हम लोग इस निर्णय के समर्थक नहीं हैं। यह तर्क संगत नहीं है। मैं सदन से वाकआउट करती हूँ। (इन्दिरा जी सदन से बाहर चली गईं)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

*श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के निम्न गाँवों में सेखवाला ग्रान्ट, कोटोमुरादनगर, डालूवाला, खासफनगर ग्रान्ट, मान्नूवास, हलवा हेडी, बढेडी राजपुतान, भारापुर, रहमतपुर, मखनपुर, भगवानपुर, हकीमपुरतुरा आदि इसमें जमीन का कटाव भी हो रहा है और नदियाँ आबादी के करीब आ गई हैं। इसका आंकलन वहाँ के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 25–08–2000 व 16–09–2000 को भेजा गया। यह आंकलन 60 लाख 46 हजार का था और यदि आंकलन के अनुसार धन का आवंटन हो जाता तो जो धन, जन और भूमि का कटाव हो रहा है वह रुक जाता। मैं बधाई देना चाहता हूँ सिंचाई मंत्री जी को कि उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। ....

मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सिंचाई मंत्री जी जब उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ तो उन्होंने बाढ़ सुरक्षा कार्यों को विधिवत स्वीकृत किये जाने के लिए तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया। दिनांक 29–3–2001 को उसकी प्रथम बैठक हुई उसमें मान्यवर, ये निर्णय लिया गया कि हरिद्वार की बाढ़ सुरक्षा योजना के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण, हरिद्वार की कोई भी बाढ़ सुरक्षा योजना तकनीकी सलाहकार समिति को इस बैठक में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। तो मान्यवर, जैसा काजी जी कह रहे हैं और हम लोगों का भी यह विचार है कि हरिद्वार क्षेत्र को उपेक्षित रखा जाता है और संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा इन अभिलेखों को प्राप्त किये जाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, आखिर अधिशासी अभियन्ता अभिलेख नहीं भेज रहा है, आंकलन नहीं भेज रहा है तो वहाँ की जनता का कोई कसूर नहीं है। यह वहाँ के शासन का दायित्व बनता है और ये कार्य वहाँ नहीं किया जायेगा तो वहाँ पर धन और जन की भारी हानि होगी। मान्यवर, जो वहाँ की कृषि योग्य सैकड़ों एकड़ भूमि है वह भी कटाव में चली जायेगी। हरिद्वार के साथ सौतेला व्यवहार कब तक चलता रहेगा। क्योंकि जून का महीना आ गया है बरसात भी शुरू होने वाली है एक महीने में न तो यह आंकलन मंगा पायेंगे न उन पर कार्य प्रारम्भ कर पायेंगे न बरसात से पहले यह कार्य पूरा हो पायेगा। तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ ये तो बहुत ही अत्यधिक लोक महत्व का मामला है, अविलम्बनीय है, इस पर सदन का कार्य रोक कर चर्चा करायी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंचाई, ऊर्जा एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मान्यवर, हरिद्वार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए विशेष योजना बनानी है, वह इसलिए नहीं बन पायी क्योंकि 7–2–2001 के केन्द्रीय शासनादेश के हिसाब से सिंचाई आदि जितने भी विभाग थे, उ0प्र0 में, वे अभी तक चाहे वह बाढ़ नियंत्रण का कार्यक्रम हो, सिंचाई कार्यक्रम हो, सभी उ0प्र0 से चल रहे हैं। सिंचाई विभाग जो सहारनपुर में है वह उसको देख रहा था। हम लोगों ने बार–बार आग्रह किया कि पूरे कागजात हमको दे दीजिए, वह चूँकि समय से मिले नहीं इस कारण से हम टी0ए0सी0 में उसको नहीं रख पाये, हमारा व्यक्ति वहाँ गया है आज वापस आ जायेगा। 25 तारीख को फिर हमने टी0ए0सी0 की बैठक बुला रखी है। मैं मा0 सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि टी0ए0सी0 की बैठक से पूर्व ही हम उसके पूरे एस्टिमेट को बना लेंगे, हम हरिद्वार के काम को टेकअप करेंगे, अपनी ओर से हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। उसके लिए कोशिश करेंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, उसके आंकलन पहले से तैयार हैं। तीन बार वहाँ पर जिला अधिकारी को भेजा जा चुका है तो मान्यवर 25 तारीख में आशा करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। मैं इसको निरस्त करता हूँ।

*श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह एक ऐसी सूचना है जिस पर वैधानिक बात है। इस पर प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न जुड़ा हुआ है। सीधा सा प्रश्न यह है कि जब यह संयुक्त प्रान्त था तब हम उ0प्र0 से अलग नहीं थे। उ0प्र0 आर्य प्रतिनिधि सभा नाम से संस्था रजिस्टर्ड है जिसके नाम पर तमाम उ0प्र0 में सम्पत्तियाँ हैं। मान्यवर, इससे पहले भी उ0प्र0 में हमारे पंजाब आदि प्रतिनिधि सभा पंजाब की सम्पत्ति है, हरियाणा आदि प्रतिनिधि की सम्पत्तियाँ हैं, लेकिन उ0प्र0 में रहते कभी ऐसा नहीं हुआ। यह प्रश्न उठा है क्योंकि उ0प्र0 में स्थित है उन पर अधिकार उ0प्र0 आर्य प्रतिनिधि सभा का हो जाय, वे सम्पत्तियाँ यथावत् पंजाब की रही, हरियाणा की रही या दिल्ली आदि प्रतिनिधि सभा की रही, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो हमारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है ये आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की सम्पत्ति है वहीं के लोगों की दान दी हुई है उन्हीं के नाम इसकी रजिस्ट्री है और आज इतने वर्ष बाद भी वह पंजाब की सम्पत्ति है जब पंजाब सभा का बंटवारा हुआ। हरियाणा दिल्ली उससे अलग हुए मान्यवर, उसके बाद उसमें विवाद हुआ, वर्षों तक गुरुकुल विश्वविद्यालय में कार्य नहीं हो पाया, लेकिन अन्ततः यह तय हुआ वह प्रबन्ध भी करेगा जो सम्पत्ति के मालिक हैं, वह पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा ही रहेगी, लेकिन उत्तरांचल बनने के बाद क्या हुआ यहाँ पर देहरादून के आर्य समाज की सम्पत्ति है। एक सभा गठित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुई, उत्तरांचल आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रत्येक आर्य समाजी को अधिकार है, अपने संगठन बना लें। किसी भी व्यक्ति को संविधान में यह मौलिक अधिकार दिया गया। वह अपना कोई भी संगठन बना ले। संगठन उन्होंने बना लिया, लेकिन उससे पहले मान्यवर, उनकी तरफ से शासन को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि माह जुलाई, 2000 में उ0प्र0 आर्य समाज प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष द्वारा जो एक एपाइन्ट हुआ, परिवेक्षक नियुक्ति किये गये, उनकी देख–रेख में आर्य समाज का चुनाव सम्पन्न हुआ।

जो पदाधिकारी थे, ज्ञानचन्द्र गुप्ता वो उसमें मंत्री चुने गये, उन्हीं को मान्यता देते हैं जिनको आज यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं या नहीं हैं उस पर विचार चल रहा है, उसके बाद मान्यवर, कई अनियमित्तियाँ रही होंगी। उनको हटा दिया गया और वहाँ पर एक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, उसने चार्ज भी ले लिया और उसके बाद उनके विरुद्ध रिपोर्ट हो गई कि आप चोर हैं चोरी की रिपोर्ट दर्ज हो गई, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रश्न तो यह है कि उत्तरांचल आर्य प्रतिनिधि सभा के रजिस्ट्रेशन से पूर्व तक वह व्यक्ति जो उत्तरांचल आर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में आज हैं, अपने को कहते हैं वह भी यह स्वीकार करते रहे, यह सम्पत्ति जिसकी रजिस्ट्री सन् 1924 में संयुक्त प्रान्त आगरा अवध के आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम पर हुई थी, यह सम्पत्ति उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा की है और उसके प्रतिनिधि के रूप में हुई, वह वहाँ कार्य करते रहे प्रश्न यह है कि यदि कोई विवाद का विषय भी था तो यह विवाद सिविल न्यायालय में जाना चाहिए था बजाय इसके कि प्रशासन और पुलिस एक पक्ष को जबरन वहाँ बैठा दे कि किससे यह मैसेज गया है। मान्यवर, यह सरकारी सम्पत्ति नहीं है न उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन में ऐसी कोई व्यवस्था है कि उत्तरांचल से बाहर रहने वालों की किसी संस्था की किसी व्यक्ति की जो कोई सम्पत्ति उत्तरांचल में होगी तो बिना ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट के प्राविधानों का पालन करें, वह सम्पत्ति उसमें निहित हो जायेगी, ऐसी कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में नहीं की गई और नहीं की गई तो यह स्पष्ट है कि उसमें जो प्राविधान है वह लागू होंगे और जब तक वह लागू नही होंगे तो वह सम्पत्ति जिस संस्था में है उसी में निहित रहेगी और कोई दूसरा व्यक्ति अध्याशन करेगा तो वह अध्याशन अनाधिकृत माना जायेगा, और प्रशासन अनाधिकृत वालों को सहयोग दें तो यह प्रश्नचिन्ह लगता है कि बाहर के लोग यह सम्पति यहाँ उत्तरांचल में रख दें वह उनका चिन्तन नहीं होगा, उत्तरांचल के प्रति सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हुआ, आज हमने इसे अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय के रूप में यहाँ क्यों उठाया उसकी पृष्ठभूमि भी मैं आपके माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे नगर में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एक बड़ी संस्था है उसकी और आबादी की एक साक्षी संस्था रही है, उसकी तो अरबों रुपये की सम्पत्ति है आज भी वह पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा का नाम है और अगर यहाँ सिद्धान्त स्वीकार कर लिये गये तो उत्तरांचल के गठन होने के बाद उत्तरांचल के अन्दर स्थित किसी भी आर्य प्रतिनिधि सभा की सम्पत्ति है, वह तो इस नव गठित उत्तरांचल आर्य प्रतिनिधि सभा की सम्पत्ति हो जायेगी, तो गुरुकुल में ये बेचैनी है कि अगर कल गुरुकुल में वह उत्तरांचल आर्य प्रतिनिधि सभा में कब्जा करने गये तो आसानी से कब्जा नहीं होगा, भीषण संग्राम होगा और उत्तरांचल की सरकार उसको नहीं रोकती और प्रशासन की इस बात पर रोक लगाने का काम नहीं करती यह तो केवल देहरादून

तक सीमित नहीं रहेगी। यह पूरे उत्तरांचल की आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य समाज को आन्दोलित करेगी। मेरे पास लोग आये उन्होंने इसमें चिन्ता व्यक्त की, इसलिए मैंने इसको अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न के रूप में उठाया और उस पर मैं आप से चाहता हूँ कि कार्यस्थगित करके इस पर चर्चा कराने का आदेश दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मुझे यह आशा थी जोशी जी, अम्बरीष जी रिजीबिल तो हैं, बहुत ही रीजन हमें सिखाते हैं। मान्यवर, तथ्य यह है कि देहरादून के अन्दर आर्य समाज है जो बहुत पुरानी संस्था है। यहाँ बहुत बड़े–बड़े वरिष्ठ लोग नरदेव शास्त्री जैसे लोग जिनकी आज हम लोग पूजा करते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर इनकी संस्था में हैं।

मान्यवर, इन्होंने देहरादून के अन्दर अपना आर्य समाज, आर्य प्रतिनिधि सभा बनायी और उसके सदस्य, प्रतिनिधि, मंत्री और प्रधान बनाये। उसके प्रतिनिधि लगातार कार्य कर रहे थे। अचानक रात को एक दिन ये लोग ताले बन्द करके घर गये, उनका कोई एक–आध चौकीदार वहाँ था। एक बहुत वरिष्ठ सज्जन, उत्तर प्रदेश के, उनका नाम लूँगा तो शायद आपको बहुत कष्ट होगा, यहाँ पर आए जिनको अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने 6 साल के लिए निकाल रखा है, वो यहाँ पर चौधरी बनकर आए और एक व्यक्ति को जो पुलिस का रिटायर्ड इंस्पेक्टर था, उस व्यक्ति को लाकर, सारे ताले तोड़ कर उसको अन्दर बिठा दिया। मैं स्वयं इसका साक्ष्य हूँ। मेरे पास खबर आयी तो मैंने कहा कि इस प्रापर्टी का डिस्ट्रीब्यूटर जो भी कोई है तो वो सिविल का डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसा आपने कृपापूर्वक कहा यह किसी को अधिकार नहीं है कि रात को ताला तोड़ कर किसी व्यक्ति को वहाँ पर बैठा कर चला जाए। अगले दिन क्या हुआ, पुलिस ने कुछ नहीं किया। अगले दिन आर्य लोग इतवार को हवन करने के लिए 100–150 लोग आए, जैसे कि हर रविवार को आते थे, तो वह व्यक्ति चुपचाप वहाँ से भाग गया, उन्होंने कहा यह तो बहुत बड़ा झुण्ड यहाँ पर आ गया और उनका कब्जा यथावत् है। अगर कोई दोषी है तो वो सज्जन हैं, जिन्होंने रात को ताला तोड़ा। मैंने आर्य समाज के लोगों से कहा कि "चलो भाई इस बात को छोड़ो, आप उन पर मुकदमा दायर करोगे तो वो यहाँ दौड़ कर आयेंगे, 10 बार पेशियाँ लगेंगी" माननीय अम्बरीष जी मैंने उनको राय दी कि मुकदमा छोड़ दीजिए, अब चले गये तो चले गये। अब भी मैं आपसे कहता हूँ कि जिस दिन आप न्यायालय से यह तय करा देंगे कि ये उनका अधिकार क्षेत्र है, उस दिन मैं इन्हें स्वयं राय दूँगा कि आप लोग ये जगह छोड़कर चले जाएं। लेकिन यह किसने अधिकार दिया कि रात को आकर ताले तोड़े और अपना अधिकार कर लिया। यह अधिकार तो नहीं हो सकता इसलिए यह तो एक सामान्य घटना है। मैं तो कहता हूँ कि आप उल्टी बात कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात आप कर रहे हैं।

काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अम्बरीष जी मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। तो क्या हमसे झूठ बोलते हैं ?

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बातें कही। एक पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो मान्यवर, यह बात तो सही है कि पुलिस ने तो वो किया जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। यह बात तो साबित हो गयी। दूसरी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही वही मैंने कहा कि आप न्यायालय से तय होने की प्रतीक्षा करें। यह सत्य से परे है कि ताले तोड़े गये। मेरे पास इसका सबूत है, मैं इसको आपकी पीठ पर पहुँचा दूँगा। जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है, प्रशासन में, उस व्यक्ति ने प्रभारी निरीक्षक के थाने को लिखकर दिया कि प्रशासनिक नियुक्ति हो गयी है, 4 आदमी मेरे साथ हैं, मैंने कब्जा ले लिया है। इंस्पेक्टर मौके पर गया और कहा, न आप आयेंगे और न यह आयेंगे, आप चले जाइए और ये पुरोहित नरेन्द्र जो हैं ये सब कार्य सम्पादित करायेंगे और 19 तारीख को आप दोनों पक्ष अपने कागजात लेकर आइए लेकिन 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, "मेरे तक बात पहुँची, मैंने निर्देश दिया कि अगर इनका अवैध कब्जा हुआ है तो इनको हटाया जाए।" वो कब्जा पहले ही पार्टी का हो गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही, कब्जा बरकरार रखा जाए।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। किसी को अधिकार नहीं कि रात को अंधेरे में आकर ताले तोड़ कर कब्जा करे, जैसा कि उन्होंने किया। सुबह जब आर्य समाज के लोग वहाँ आए तो वो सज्जन भाग गये। लेकिन फिर भी एक बात कहता हूँ, क्या आप यहाँ पर निर्णय करेंगे कि किसका कब्जा है, किसकी सम्पत्ति है ? यह तो माननीय न्यायालय का मामला है। तो आप काहे के लिए हमारा समय लगा रहे हैं, जिसका स्वामित्व हो, आकर ले ले।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, न्यायालय में अगर मामला पेंडिंग हो और मैं उसे उठाऊँ, तब तो मेरा अपराध है। चूँकि नियमावली में प्राविधान है कि जो मामले न्यायालय में लम्बित हैं, न्याय प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं, उन मामलों को उठाने पर प्रतिबन्ध है और आपकी कृपा से 4 साल रह कर इतना तो सीखा है, मुझे पता है कि नियमावली के विरुद्ध है कि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि उस व्यक्ति को 6 साल के लिए निकाला गया। अगर मैं अभी यह तथ्य प्रस्तुत कर दूँ कि उसी व्यक्ति ने, जिसको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया ये कहने वाले व्यक्ति कि 6 साल के लिए उनको निकाल दिया गया था, उन्हीं के पर्यवेक्षक के द्वारा वो मंत्री बनाए गये थे, जुलाई 2000 में जिस तथ्य को मैं पहले ही रेखांकित कर चुका हूँ।

–व्यवधान–

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं आपत्ति यह कर रहा हूँ कि आप कोर्ट के अन्दर आइए कि हमारा कब्जा है, हमारी मिल्कियत है। गलत ताले तोड़े या नहीं यह तो वहाँ तय होगा, यहाँ पर

हमारी विधानसभा है, यहाँ पर क्या तय करेंगे ? ....

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह परम्परा नेता सदन बार–बार कहते हैं जब नेता सदन खड़े हों तो हमको बैठ जाना चाहिए। लेकिन नेता सदन का यह व्यवहार, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ कि अगर हम बोल रहे हैं तो क्या नेता सदन अपनी सीट पर बैठे–बैठे सदस्य को न बोलने देंगे और लगातार टिप्पणी करते रहेंगे, अगर नेता सदन यह सब करेंगे तो अपोजिशन के सदस्य के रूप में तो हमको तो करने का अधिकार है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं फिर यह निवेदन करता हूँ इसके अन्दर मुझको बोलना इसलिए पड़ा कि आप वह मामला यहाँ ला रहे हैं जो न्यायालय का मामला है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आप इस पर व्यवस्था दे दें कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है क्या वह मामला सदन में नहीं उठाया जा सकता। यह तय करना तो आपका अधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसी तरह से पीठ को भी कहेंगे कि आप क्या करेंगे तो मान्यवर, यह पीठ की भी अवमानना है। इसलिए मान्यवर, मैं नेता सदन से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। नेता सदन का लम्बा अनुभव रहा है, लेकिन मान्यवर, नेता सदन जिस मामले में व्यक्तिगत रूप से शामिल हों, स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैंने आदेश दिया कि ये रात को ताले तोड़े गये मान्यवर, तो पुलिस कहाँ सो रही थी, उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ये ताले तोड़े ही नहीं गये। माननीय नेता सदन के वक्तव्य से भी यह बात सही है और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर यही माननीय नेता सदन ने अपना व्यवहार रखा, इस प्रकार प्रशासनिक गलतियों को वे सहन करते रहे तो यह उत्तरांचल में जिन लोगों की बाहर की प्रॉपर्टी है, उनके लिए चेतावनी होगी और लोगों में आशंका होगी, उत्तरांचल के भविष्य के लिए यह बिल्कुल उचित नहीं होगा। मैं यह कहना चाहता हूँ और यही आपसे निवेदन है कि आप समय देकर इस पर चर्चा करा लें, तो कह रहे हैं कि समय खराब होगा। मान्यवर, लेकिन मैं कहता हूँ कि बात आ जायेगी, चर्चा कराने में क्या आपत्ति है। इनके पास भी तथ्य है, मेरे पास भी तथ्य है। मान्यवर, इस पर डिबेट हो जानी चाहिए। यह मेरा अनुरोध है कि कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करायें।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय, अध्यक्ष जी जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया था कि ताले तोड़े गये मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों पार्टियों के पत्राचार देखे बिना माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आर0बी0 ट्रेनिंग को कह दिया कि यह उन्होंने ताले तोड़ दिये और पहली पार्टी को कब्जा दिया जाये, यह तो न्याय संगत नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं इस बात को फिर स्पष्ट कर दूँ मेरे पास रात को खबर आई कि साहब

ताले तोड़ दिये गये। उसके अन्दर किसी को बैठा दिया गया है। वहाँ के आर्य समाज के वरिष्ठ लोग मेरे पास आये, बोले साहब यह अन्याय क्यों हो रहा है, हमारा आर्य समाज है और बाहर का व्यक्ति आकर कैसे उत्तरांचल के अन्दर इस तरह से कब्जा करेगा। मैंने कहा देखिये किसी को ताले तोड़ने का अधिकार नहीं है, क्या अधिकार है, आप मानते हैं। उस व्यक्ति की रिपोर्ट है सुन लीजिए मैं फिर बता रहा हूँ, उस व्यक्ति की रिपोर्ट है थाने में। मैंने केवल इतना कहा कि छोड़ दीजिए, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए, चाहे उनका कोई भी कन्डक्ट रहा हो, आपका काम हो गया उसे छोड़ दीजिए। अगर आप इतना ही चैलेन्ज करते हैं तो रिपोर्ट थाने में है, उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर कर देंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, वह रिपोर्ट कब लिखी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वे लोग गये, थाना, पुलिस कप्तान, सी0ओ0, डी0आई0जी0, आई0जी0, डी0जी0 इस राजधानी में सब मौजूद हैं। या तो मुख्यमंत्री जी यह स्वीकार कर लें कि अब लोगों का विश्वास पुलिस पर नहीं है और वे सीधे मुख्यमंत्री से ही गुहार करते हैं और अगर है तो नियमानुसार सी0आर0पी0, आई0पी0सी0 का नियम है यह भी आप जाँच करवा लें अगर जाँच या बहस में सारी बात आ जाय, बहस आप करवा लें कि एफ0आई0आर0 लिखे जाने का वक्त क्या है, थाना उससे कितनी दूर है वहाँ क्यों नहीं गये। इससे साफ जाहिर होता है कि वो मिलीभगत है, जानबूझकर कुछ लोगों का पक्ष लेकर प्रशासन ने किन्हीं राजनैतिक लोगों के इशारे पर यह कब्जा करवाया गया है। ....

.... मान्यवर, इसलिए दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए इसलिए इस पर समय देकर आप जरूर बहस करायें।

श्री अध्यक्ष–

चूँकि यह मामला एक भवन विवाद से सम्बंधित है इसलिए इसको मैं निरस्त करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–1 विधान सभा, अनुदान संख्या–3 मंत्रिपरिषद

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–1 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 46770 हजार (चार करोड़ सड़सठ लाख सत्तर हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–3 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 26250 हजार (दो करोड़ बासठ लाख पचास हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(श्री अम्बरीष कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

चूँकि इसमें विवाद नहीं होना है जब उसके बाद तीसरा मद वह रखें, तब उसमें विवाद भी होगा, चर्चा भी होगी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मा0 मंत्री जी ने अभी लेखानुदान प्रस्तुत किया है यदि आप संविधान का अवलोकन कर लें और उसकी सुसंगत अनुच्छेद का अवलोकन कर लें..........

श्री अध्यक्ष–

आप इस वाले में बोल रहे हैं और क्रमांक 1–2 में बोल रहे हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मेरा जो कहना है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी ने जो पुटअप किया है क्या इसमें बोल रहे हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो यह मद है इसमें ये तो व्यवस्था है कि संविधान के अन्तर्गत, नियमावली के अन्तर्गत इसके ऊपर मतदान नहीं होगा, लेकिन यह व्यवस्था कहीं पर नहीं है कि इसके ऊपर डिबेट नहीं होगा, इसके ऊपर चर्चायें भी हो सकती हैं।

श्री अध्यक्ष–

विवाद नहीं होगा, मतदान होगा क्योंकि इसमें चर्चा नहीं होगी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आप खुद ही कह रहे हैं इसमें चर्चा नहीं होगी, आपने पहले कहा इसमें डिबेट नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

इसमें मतदान का प्राविधान है लेकिन चर्चा नहीं होगी और जितनी मदें हैं उनमें मतदान भी होगा और चर्चा भी होगी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न मद संख्या–1 और 2 को लेकर नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न इस बात को लेकर के है कि जो लेखानुदान जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेखानुदान पारित किया गया तो लेखानुदान के ऊपर भी तो चर्चा की अनुमति होनी चाहिए थी, लेखानुदान के ऊपर भी वहीं प्रोसीजर एडोप्ट किये जाते हैं जो बजट के लिए हैं।

कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका प्राप्त न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, ये मेरा व्यवस्था का प्रश्न इन मदों पर नहीं है जिन पर विवाद नहीं होगा। मेरा जो व्यवस्था का प्रश्न है वह अन्य मदों पर है जिन पर विवाद होगा, चर्चा होगी। हम लोगों को बजट साहित्य के नाम पर उत्तरांचल शासन के 2001–2002 के ब्यौरेवार अनुमान उपलब्ध कराये गये और इस ब्यौरेवार अनुमान में प्रत्येक विभाग का कितना खर्च या बजट में उसका क्या प्राविधान किया गया है और किन–किन चीजों पर वह खर्च होगा ये ब्यौरेवार अनुमान में लिखा गया। ....

.... लेकिन मान्यवर, प्रत्येक विभाग का जो साहित्य है, साहित्य से मेरा मतलब पिछले वर्ष में, अभी कल एक यह प्रश्न मैंने उठाया तो शासन की तरफ से यह उत्तर आया कि नया प्रदेश बनाया तो, कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका तो पिछले साल की होती है उसे कैसे नहीं मानेंगे। 8 नवम्बर से 6 महीने हुये और इन 6 महीनों में प्रत्येक विभाग की योजनायें भी चली, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो 31 मार्च तक का बजट स्वीकृत था उसके अनुसार व्यय भी हुआ, विकास कार्य भी हुआ और उस व्यय को लेखानुदान द्वारा भी पास कराया गया, तो जाहिर है कि जब हर मद में खर्च हुआ तो उसको स्वीकृत भी कराया गया और उसके अतिरिक्त नई योजनायें इस बजट में हमने रखी। मान लो लोक निर्माण विभाग के लिये तो आज हम को यह भी पता नहीं है कि कितनी सड़कें हैं, कितने गांव सड़क से जुड़े हैं, कितने जुड़े नहीं हैं, और कितना लम्बा–चौड़ा प्रदेश है, क्या स्थिति है, कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है, कोई नीति नहीं है। मान्यवर, जब हमारे पास कोई नीति नहीं है पिछले 6 महीनों में उस विभाग ने क्या किया, यह क्रियाकलाप हमारे पास नहीं है। तो मान्यवर, हम किस आधार पर कटौती में यह कहें कि आपने अमुक मद में धन ज्यादा रखा या अमुक मद में धन कम रखा। इसका आधार हमारा कहने का क्या हो, आलोचना हम करें या समर्थन करें वह किस आधार पर करें, यह कोई चीज हमारे सामने नहीं है। जैसे एक रोकड़िया लिख दिया कि बजट में यह प्राविधान है तो हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं, केवल भाषण करने से कोई काम होने वाला नहीं है, लेकिन तथ्यात्मक नीति सम्बन्धी समालोचना होती है, इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

सिंचाई, ऊर्जा एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, यह सही है कि उसमें ब्यौरेवार चीजें नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका की बात हो रही है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह हमारा पहला बजट है कल भी यह बात आ गई थी।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नया प्रदेश बना, मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो उत्तरांचल के जिले थे केवल मात्र उसमें हरिद्वार जुड़ा है, पिछले वर्ष जो असेम्बली में पास हुआ था, 12 जिलों का अलग से पास हुआ था, यह हमारे विकास मंत्री भी थे तो जो दिग्दर्शिका रही पिछले साल में उस को छपवाने में क्या दिक्कत थी, क्योंकि जब बजट 31 मार्च से 1 अप्रैल तक का था तो वह छपवाना चाहिए था, क्योंकि वह अलग से था तो इसलिए उसमें प्राविधान था कि कौन सी मद में कितना पैसा दिया गया था और कितना खर्च हुआ तो उसकी क्या स्थिति है ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें बहुत ज्यादा विवाद की आवश्यकता नहीं, जो इसमें माननीय अम्बरीष जी ने उठाया उसमें थोड़ी सी भ्रम की स्थिति जरूर पैदा हुई जो मैंने शुरू में ही व्यवस्था का प्रश्न, इन दोनों मदों के ऊपर उठाया था बल्कि सम्पूर्ण बजट के ऊपर उठाया। अभी इसी मद को श्रीमन् जो माननीय मंत्री जी ने लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त लेखानुदान से जो धनराशि स्वीकृत की गई थी, वह धनराशि वही धनराशि हो जिस को सरकार ने व्यय किया है तो जो धनराशि सरकार व्यय करती है जिन योजनाओं में माननीय वित्त मंत्री ने कल कहा कि हमने फलां–फलां कार्य योजना को हमने परिपोषित किया और इस कार्यपूर्ति को पुनर्जीवित किया उसको दिग्दर्शिका सम्भवतः कहते हैं उसका मतलब यही होता है कि पिछले एक क्वार्टर और पिछले एक हाफ इयरली का या पिछले एक वर्ष का जिस भी दौरान का बजट का उपयोग कर लिया गया, सरकार द्वारा क्या उसका परिणाम है, क्या उसका फिजिकल टारगेट एचीव किया, क्या परिणाम रहे उसी को ही इस परफॉरमेंस बजट में प्रस्तुत रिफलेक्ट किया जाता है।

मान्यवर, हमारी मांग यही तो है कि आज हम सदन के अन्दर यह कहें कि विभिन्न मदों में जो बजट सरकार की तरफ से आ रहा है, उन मदों में पीछे जो व्यवस्था की गयी थी, 6 महीने के दौरान। उस पर किसी के परिणाम अच्छे आये या खराब आये, उसके करस्पॉन्डिंग फीगर को टैली करेंगे। आपने उसका इन्तजाम कम का किया वह ज्यादा का होना चाहिए था या ज्यादा का किया कम का होना चाहिए था। अब यह तो पिछली उपलब्धि के आधार पर ही हम कह पायेंगे, जब उसका कोई रिकार्ड माननीय सदन के सामने

नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे। इसलिए सदन को परफॉरमेन्स बजट की जरूरत है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, कोई हर्ज नहीं माननीय मंत्री जी कल जवाब दे रहे थे कि पुराना हम पर नहीं है, नया राज्य बना है लेकिन यह जो 6 माह में आगे की प्रस्तावित योजना दे रहे हैं, ये ज्ञान तो सदस्यों को हो कि यह गांव इस सड़क से जुड़ रहा है, यहां परिवहन की यह व्यवस्था की जा रही है। हम परिवहन पर इतना रुपया खर्च करेंगे, सड़क पर इतना रुपया खर्च करेंगे। मान्यवर, मैं व्यय की नई मदें पढ़ रही थी लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। हम कटौती का प्रस्ताव लायें और औपचारिकता मात्र निभा दें कि आपने शिक्षा में ये–ये नहीं किया, पता चला आपने तो कर रखा है लेकिन हमें तो स्पष्ट नहीं है। आप 6 महीने का ही देते, पुराना न देते।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप इस पर भी भाषण करेंगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था कर रहा हूं।

काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, हमारे देश की डेमोक्रेसी इंग्लैण्ड के पैटर्न पर हैं, लिखा हुआ कम और परम्पराएं ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में जब भी किसी विभाग का बजट आता था तो उससे पहले उसका लिट्रेचर मिलता था। अब यह कहा जाता है कि 6 महीने में क्या हो सकता है। मान्यवर, शेरशाह सूरी की हुकूमत ढाई साल रही और उसने कलकत्ता से पेशावर तक जी0टी0 रोड बनवा दी और उस वक्त का एक दिन आज के एक मिनट के बराबर है। अगर कलकत्ता से पेशावर आदमी जाता था तो कई महीने में पहुंचता था, आज एक मिनट में आप टेलीफोन करके कहीं से कहीं बात कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो आज के 6 महीने उस दौर के 20–25 साल के बराबर हैं, जब घोड़ा गाड़ियों से सफर होता था। इसलिए 6 महीने 9 महीने की बात तो खत्म ही कर दीजिए। रहा मसला ये कि वाकई बोलें किस पर, रात माननीय सैनी जी का मेरे पास टेलीफोन आया कि काजी जी आपको आबकारी पर बोलना है। तो मैंने कहा "भाई लिट्रेचर तो है नहीं, एक–आध चम्मच भिजवा दें, तो मैं चख लूंगा, मैंने कभी चखी भी नहीं" तो इन्होंने कहा, मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने सोचा शायद यहां लॉबी में रखी हो कि पीकर टेस्ट देख लो फिर उसके ऊपर बोलो, 6 महीने पुरानी बोतल भी होती, नहीं भी होती तो हम उस पर सुझाव दे देते। बताइये काहे पर सुझाव दें। न आपके पास बोतल है, न आपके पास लिट्रेचर, आबकारी को लेकर बैठ गये। तो मान्यवर, इस पर आपकी अनुपूरक मांगें तो हो चुकी, लेखानुदान हो चुका, इसको स्थगित कर दें।

उत्तरांचल के अन्दर हुए व्यय के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, सरकार हमारी भावनाओं को समझे, मान्यवर, 6 माह का कार्यकाल कोई कम नहीं होता या तो सरकार यह माने कि 6 माह के अन्दर उत्तरांचल के अन्दर जितना भी व्यय हुआ, जितना भी कार्य हुआ या तो सरकार उसकी जानकारी विधान सभा और इस प्रदेश की अवाम को, इस प्रदेश की जनता को देना नहीं चाहती और यदि उसकी जानकारी सदन को देना चाहती है तो तब तक अगले वर्ष का बजट प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता जब तक इस सदन को यह जानकारी न हो कि विगत समय में यह सदन जो पैसा स्वीकृत करता है, उसके व्यय का विवरण क्या है। यह मामला वित्त विभाग का भी नहीं है। श्रीमन्, यह मामला सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों का है। उनको बताना पड़ेगा कि लेखानुदान के द्वारा या महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 8 मई तक के व्यय की जो अनुमति दी गयी थी, जिन मदों में उसका व्यय हुआ है आज की तारीख तक जितना व्यय हुआ है, उसका विवरण क्या है। उस विवरण को जाने बिना बजट सत्र का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए बिना दोषारोपण के मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें जब तक पिछले व्यय का, सरकार द्वारा किये गये कार्यों का विवरण सदन के सामने नहीं आ जाता, जब तक उसके परफारमेन्स बजट का डिटेल सामने नहीं आ जाता, उसका विवरण सदन में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, बजट सत्र चलाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार कोई समय ले ले हफ्ते भर का, 10 दिन का, सदन को दुबारा बुला लें, अभी तो श्रीमन्, कोई सत्रावसान तो हुआ नहीं है आप सत्र बढ़ा सकते हैं। उसके बाद परफारमेन्स बजट आ जाये, बजट सत्र उसके बाद चल सकता है, लेकिन श्रीमन्, इससे हम एक निश्चित रूप से गलत परम्परा का निर्माण करेंगे और क्या हमसे अपेक्षा करते हैं कि क्या हम चर्चा करेंगे तो इस पर श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, हमारे विरोधी पक्ष के विद्वान सदस्य हमसे वह अपेक्षा कर रहे हैं जो अपेक्षा हम पूरे साल काम करते उसके बाद आप करते। 6 महीने के अन्दर जितना काम हुआ है, जिस मद का है हम चर्चा करेंगे उस समय हम आपको सब बतायेंगे कि इस–इस मद में ये–ये काम हुआ है। यह बात सही है कि आपके पास पहले से लिखकर नहीं आया, लेकिन आप हमारे साथ इस वक्त बियर कीजिए, हमारे साथ सहयोग करिये। बहुत थोड़ा सा समय हुआ है, न हमारे पास कर्मचारी हैं न हमारे पास अधिकारी हैं। हम आपके सामने रखेंगे और जो आपके सुझाव होंगे उनको स्वीकार करेंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की जो बात आई 6 महीने, एक साल चला। माननीय सैनी जी ने कहा उत्तरांचल विकास विभाग का बजट तो पिछले साल ही पास हो गया था। वह नया राज्य नवम्बर में बना तो वह डिसकन्टीन्यू तो हमारी योजनायें हुई नहीं, तो 6 महीने का प्रश्न ही नहीं । यह तो पूरे साल की परफारमेन्स का सवाल है । आप देखिये

जितनी कठिनाइयां लेजिस्लेचर को अपना काम करने में आ रही हैं, अभी तक हम लोगों के पास कमरा तक बैठने के लिए नहीं है, या तो आपके कक्ष में बैठते हैं या सचिव के कमरे में, लेकिन वह सारा बियर कर रहे हैं, बियर करने का यह मतलब तो नहीं कि जो न्यूनतम चीज है, लेकिन यह काम तो विभाग कर सकता था। मान्यवर, तीन साईक्लोस्टाइल करने में क्या लग सकता था। हम लोगों को यहां दे देते। हम उस पर अपने बात कहने का काम करते। यह पब्लिक की गाढ़ी कमाई का पैसा है, केवल भाषण के लिए नहीं है। इसमें रचनात्मक सुझाव, समालोचना होती, यह भी जानने का मौका मिलता कि क्या कमियां हैं, यह भी जानने का मौका मिलता कि सरकार ने क्या काम किया है। एक समालोचना के रूप में जनता के सामने यह बात आती इसलिए यह मामला इतना गम्भीर और छोटा भी नहीं है और हम कोई आसु वक्ता भी नहीं हैं। एक परफारमेन्स आती उस पर हम अपनी बात कहते। मान्यवर, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मान्यवर, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि हम लोगों को संरक्षण देकर हमारे अधिकारों की आप रक्षा करें।

वित्त, राजस्व एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, माननीय नेता सदन ने बहुत स्पष्ट तरीके से सब बातें स्पष्ट कर दी ....

लेकिन जहां तक मा0 सैनी जी का प्रश्न है उत्तरांचल के विकास विभाग का बजट पास हुआ होगा, श्रीमन्, उत्तरांचल विकास विभाग का बजट केवल प्लान साइड का तैयार होता है, नान प्लान का उत्तरांचल का बजट था वह संबंधित विभाग उ0 प्र0 करता है। श्रीमन्, जो एक नीतिगत और एक तकनीकी कठिनाई हमारे सामने है जब तक महालेखाकार पूर्व व्यय का व्यवस्थित विवरण नहीं देता, श्रीमन्, हम विभागीय आंकड़ों के आधार पर मा0 सदन के सामने उसको नहीं रख सकते और उस समय जो वर्तमान में व्यवहारिक कठिनाई है कि हम तो लगातार महालेखाकार से अनुरोध भी कर रहे हैं, श्रीमन्, यह संयुक्त रूप से जो नान–प्लान और प्लान ये सब एकत्रित होकर के वर्ष के अन्त में ही होता है। इसलिए इतने कम समय में 6 महीने के इधर नान–प्लान के बिलों का उ0 प्र0, उत्तरांचल का, इसमें महालेखाकार से सूचना आनी है। उसमें भी श्रीमन्, समय लगेगा। वैसे तो मुन्ना सिंह जी और अम्बरीष जी ने जो भावनायें व्यक्त की, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि पूर्व ब्यौरा होता है श्रीमन्, ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा तो व्यवहारिक सहयोग चाहिए। तो इसलिए मेरा अनुरोध है। श्रीमन्, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा जो व्यय हुआ है विभाग में जो काम हुआ है, जब बजट पर चर्चा होगी तो सभी विद्वान साथी हैं, जानते हैं इनको सब मालूम है। श्रीमन्, यदि उसमें कोई पृच्छा होगी श्रीमन्, विभाग उसको देगा, विभागवार उसमें पूर्व ब्यौरा आता है। ब्यौरा क्यों नहीं आये यह उसके सामने प्रश्न है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से सहमत हूं जहां तक इसका सवाल है कि महा लेखाकार द्वारा चूँकि आँकड़ों का जो एटेस्टेशन होता है वह नहीं हुआ इसलिए उसको विकसित नहीं किया गया, हम आँकड़ों की कदाचित बात नहीं कर रहे हैं, किसी क्लेम को हम अवैधानिक करार भी नहीं दे रहे हैं, कोई बात भी नहीं कर रहे हैं कि आँकड़े अलग कर दीजिये। परफारमेन्स बजट पर आप तो कहेंगे कि पेयजल की हमने इतनी योजनाओं पर

पैसा स्वीकृत किया, इतनी योजनायें आंशिक चल रही हैं, इतनी पूर्ण हो गई हैं, सिंचाई विभाग की, हमने इतनी योजनायें स्वीकृत की थी, उसमें इतनी कार्य पर हैं, इतनी अभी प्रारम्भ नहीं हो पायी। आप यह तो कहेंगे कि शिक्षा विभाग में हमने विद्यालय खोले इतने पदों का सृजन किया, इतने लोगों को तनख्वायें दी, इतने विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया आप यह तो कहेंगे कि हमने पशुपालन विभाग की फलानी योजना प्रारम्भ कर दी थी, अब उसको कनटीन्यू स्कीम के तहत योजना में, इस बजट में प्राविधान कर रहे हैं। इसका एक सुझाव यह है कि आज भी सरकार इस बात को मान ले कि आज की जो मदें हैं, हम मा0 मुख्यमंत्री जी की भावनाओं से सहमत हैं, हम कठिनाइयों से सहमत हैं। मा0 वित्त मंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किया हम उससे सहमत हैं, आज के मदों को अगर स्थगित कर दें। आप दो, चार–चार पेज में छापकर के टाइप करके साइक्लोस्टाइल कर हर विभाग के ऊपर जो सामान्य प्रकृति के हैं, 6 महीने के अन्दर उसे हमें सरकूलेट कर दें, उसके बाद मदों का निर्धारण कर लें, लेकिन हमें कुछ तो मालूम हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, यदि ऐसी बात है तो हम बाकी कार्यक्रम करते रहते हैं कि जो आइटम है उतनी देर में फोटो स्टेट कापी कराकर जो हमारी मदें हैं, जो मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत करने है, वो हम आपको अभी दे देंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत हों, मेरी बात तो सुन लीजिए मा0 इंदिरा जी आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया पहले मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा क्रम संख्या–1 व 2 रखी गयी थी जिसमें कोई विवाद नहीं होना था लेकिन क्रम संख्या–3 रखी ही नहीं गई तो इससे पहले आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और आप जो हैं इस तरह के बर्ताव कर रहे हैं जब कि उसमें कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए था। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका जिससे ब्यौरे की जानकारी सदन को होनी थी वह नहीं है। अब चूंकि व्यवहारिक दिक्कतें हैं, मा0 नेता सदन ने भी अवगत कराया और मा0 वित्त मंत्री जी ने भी बताया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

आपकी व्यवस्था की अवमानना हम लोग नहीं कर पायेंगे, इसलिये आपसे प्रार्थना है कि आप कोई ऐसी धर्म संकट की स्थिति न पैदा करें,

(विपक्ष के लोग वेल में आये और यह कहने लगे कि हमें इसकी बजट डिटेल्स चाहिए नहीं तो सदन नहीं चलने देंगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सदन को 12.45 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

श्री मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन एक बजे तक के लिए बढ़ा दिया।

श्री मार्शल–

मा0 अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 1.15 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था दे रहा हूं मा0 अम्बरीष कुमार जी, मा0 मुन्ना सिंह चौहान जी तथा अन्य मा0 राम सिंह सैनी जी, मा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी मा0 काजी साहब जी एवं माननीय सदस्यों द्वारा जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया उस पर मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, व्यवस्था, क्या बातचीत हो गयी है।

श्री अध्यक्ष–

जो मा0 सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, कि प्रस्तुत की जाने वाली विभागवार अनुदानों से संबंधित कार्यपूर्ति दिग्दर्शक तथा अन्य साहित्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, इस संबंध में व्यवस्था दे रहा हूं कि यह संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि विभागवार अनुदानों के प्रस्तुतीकरण से पूर्व कार्यपूर्ति दिग्दर्शक सदन में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हो किन्तु यह स्वस्थ संसदीय परम्परा है कि सहायक साहित्य प्रत्येक विभाग द्वारा जिसमें भौतिक लक्ष्य निर्धारित हो अपने विभाग के कार्यकलाप के संबंध में साहित्य उपलब्ध कराया जाय। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रत्येक विभाग जिनका कम से कम लक्ष्य निर्धारित है अपने विभाग से संबंधित अनुदानों का सहायक साहित्य यथा समय उपलब्ध करायें।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–1 विधान सभा, अनुदान संख्या–3 मंत्रिपरिषद, अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान संख्या–21 ऊर्जा, अनुदान संख्या–4 न्याय प्रशासन, अनुदान संख्या–5 निर्वाचन, अनुदान संख्या–8 आबकारी, अनुदान संख्या–9 लोक सेवा आयोग, अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल युवा कल्याण, अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान संख्या–14 सूचना, अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण, अनुदान संख्या–24 परिवहन। (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–1 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 46770 हजार (चार करोड़ सड़सठ लाख सत्तर हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–3 मंत्रि परिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 26250 हजार (दो करोड़ बासठ लाख पचास हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

सिंचाई, ऊर्जा एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1341162 हजार (एक अरब चौंतीस करोड़ ग्यारह लाख बासठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21, ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 913284 हजार (इक्यानवे करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, सिंचाई और ऊर्जा दोनों का ही बजट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सिंचाई विभाग के अन्दर उत्तरांचल के अन्दर यद्यपि बहुत सारी जो नदियां हैं उनका श्रोत उत्तरांचल है, लेकिन सार श्रोत होने के बाद गंगा, यमुना और काली के श्रोत होने के बाद हमारे यहां जो सिंचाई की सुविधा है, वहीं सिंचाई की सुविधा इन नदियों से सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश को ही अधिक होती है या अन्य प्रदेशों को अधिक होती है। 98 प्रतिशत सिंचाई इन नदियों से जो प्रमुख नदियां हैं, उत्तर प्रदेश को होती हैं। बाकी हमारे यहां जो सिंचाई है वह छोटे–छोटे योजनायें हैं और इन योजनाओं से उत्तरांचल के अन्दर सिंचाई होती है। हमारे प्रदेश के अन्दर प्रमुख रूप से जो बैराज हैं उन बैराजों का जो सारा प्रबन्धन है, इस समय कम से कम हमारे यहां 11 बैराज हैं, इन 11 बैराजों में से केवल 3 बैराज ऐसे हैं जिनका संचालन उत्तरांचल सरकार कर रही है' बाकी शेष बैराजों का प्रबन्धन है वह उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 है उसके अनुसार शेष का संचालन केन्द्र सरकार के आदेशों के अनुसार होगा, क्योंकि सारी सिंचाई उत्तर प्रदेश के अन्दर उससे ज्यादा होती है, इसलिए केन्द्र सरकार के आदेश के अनुसार इनका अनुरक्षण और इनका जो सारा कार्य है वह इस समय उत्तर प्रदेश ही देख रहा है। मैंने कहा 11 में 3 हमारे यहां कार्य कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने इन नदियों के प्रबन्धन के लिये गंगा मैनेजमेन्ट बोर्ड की व्यवस्था की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, विधेयक की धारा 77, 79, 80 के अनुसार गंगा मैनेजमेन्ट बोर्ड की उसमें अनिवार्यता है उत्तर प्रदेश भी इसमें काफी इच्छुक है, गंगा मैनेजमेन्ट बोर्ड जल्दी बने। गंगा मैनेजमेन्ट बोर्ड के अन्दर आपको पता है कि बहुत सारी विसंगतियां हैं, हम सब लोगों ने जब उत्तर प्रदेश में विधेयक पास हुआ उसको पास होने में सहयोग तो किया, लेकिन उसकी जो विसंगतियां हैं इसका हम लोगों ने केन्द्र सरकार की ओर आकर्षित किया है और केन्द्र सरकार में 2–3 बार उसकी बैठक हो चुकी है हमारी अधिकारी स्तर पर,

मान्यवर, पिछली बार अनुरक्षण कार्य के लिए जहाँ केवल 5 करोड़ 42.78 लाख रुपया था, वहीं इस वर्ष हमने इसके लिए 12 करोड़ 89 लाख 4 हजार रुपये की व्यवस्था की है। जो छोटी लघु नहरें हैं, उनके लिए पिछली बार 33 लाख 99 हजार रुपये की व्यवस्था थी, इस बार हम लोगों ने उसके लिये 58 लाख 71 हजार रुपये की व्यवस्था की है। नलकूपों की हमारे हरिद्वार से लेकर हल्द्वानी तक, ऊधमसिंह नगर से लेकर नैनीताल तक एक बड़ी समस्या थी। नलकूपों के लिए पिछली बार जो आवंटन था वह 64.02 लाख रुपये का था।

इस बार हमारे वित्त मंत्री जी की विशेष कृपा रही है, इस बार 4 करोड़ 56 लाख 75 हजार रुपये नलकूपों के अनुरक्षण के लिए रखे गये हैं। मान्यवर, हमारे उत्तरांचल से गंगा, यमुना, शारदा सारी नदियां यहीं से निकलती हैं। आप सबको पता है कि इस क्षेत्र में इन नदियों से सिंचाई के लिए पानी मिलता है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन इसके साथ ही इन नदियों में बरसात के दिनों में भारी कटाव और बाढ़ के कारण काफी नुकसान होता है। पिछली बार नदियों के अनुरक्षण कार्य के लिए 78 लाख रुपये का प्राविधान था। इस बार हमने 1 करोड़ 47 लाख 70 हजार रुपये की व्यवस्था की है। मान्यवर, जहां तक नये निर्माणों का सवाल है, हम लोगों की कोशिश है कि नये निर्माणों में भी हम आगे बढ़ें। पूर्व में जो निर्माणाधीन नहरें हैं उनके लिए पिछली बार 756.46 लाख रुपये की व्यवस्था थी। इस बार हमने 18 करोड़ 29 लाख रुपये की व्यवस्था निर्माणाधीन नहरों के लिए की है। नई नहरों के लिए पिछली बार 31.50 लाख रुपये की व्यवस्था थी। इस बार हम लोगों ने 4 करोड़ 1 लाख रुपये की व्यवस्था इसमें की है। इसी प्रकार से नये नलकूपों के लिए पिछली बार 2 करोड़ 89 लाख 42 हजार रुपये का प्राविधान था। इस बार इसे भी बढ़ाकर 4 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपया कर दिया गया है। इस प्रकार से पूर्व से जो बांध निर्माणाधीन हैं, उनमें भी पिछली बार 265.58 लाख की व्यवस्था थी। इस बार हम लोगों ने 3 करोड़ 87 लाख रुपये की व्यवस्था की है। लघु सिंचाई के लिए भी पिछली बार जहां 285.74 लाख की व्यवस्था थी। इस बार हमने इसे बढ़ाकर 14 करोड़ 98 लाख 39 हजार रुपया कर दिया है। मान्यवर, सिंचाई के अन्दर ही जो बाढ़ नियंत्रण कार्य होता है, उसके लिए एक टेक्निकल सेल, टी०एल०सी० की जरूरत होती है। उत्तरांचल राज्य बनने के बाद हमने अपनी टी०एल०सी० बनायी है। टीएल०सी० द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जहां तक बाढ़ नियंत्रण आवश्यक होता है, ऐसी 31 योजनाओं के लिए टी०एल०सी० ने सहमति दे दी है। केवल जिला हरिद्वार, चूंकि हरिद्वार के सारे आंकड़े हमारे पास नहीं थे, हमें सहारनपुर से जल्द ही सारे आंकड़े मिल जायेंगे। 25 तारीख को जो टी०एल०सी० होगी, उसमें हरिद्वार की सारी योजनाओं को भी शामिल कर लेंगे। मान्यवर, सिंचाई विभाग केवल सिंचाई के काम नहीं करता। सिंचाई विभाग के अन्दर इस प्रकार से कुल मिलाकर 134 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इसमें आयोजनागत जो व्यय है उसके लिए 53.56 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। सिंचाई विभाग के अन्दर हमारा जो सेटअप है, वह काफी बड़ा सेटअप है। इसमें 128.13 करोड़

की व्यवस्था है। इस प्रकार मैंने बहुत संक्षेप में सिंचाई के बारे में जो हमारी व्यवस्था है उसके बारे में निवेदन किया है। सिंचाई के बारे में जो हरिद्वार का क्षेत्र है, हमने कोशिश की है कि हरिद्वार कहीं वंचित न हो जाय। इसके लिए एक अलग से सब–डिवीजन की व्यवस्था कर दी गयी है ताकि वह वहां की व्यवस्था को देख सके। मान्यवर, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी हमारी बात नहीं सुनते हैं। पिछले 4–5 सालों से अनुरक्षण के क्षेत्र में काफी उपेक्षा हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया पीठ की ओर जवाब दें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, पिछले 5 वर्षों से लघु सिंचाई के निर्माण में पिछले बार पैसा मिला था लेकिन अनुरक्षण के काम की उपेक्षा की गयी थी। मैं आशा करूंगा कि हमारे सम्मानित सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देंगे। मान्यवर, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है और आपको भी बोलना है इसलिए मैं अपनी बात को संक्षेप में रखता हूं। अब मैं ऊर्जा के क्षेत्र में आता हूं।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को ऊर्जा कहीं से मिलती नहीं है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, उत्तरांचल के अन्दर ऊर्जा विभाग की महत्ता को हम सब अनुभव करते हैं और न तो इस पर सम्मानित सदन और मा0 सदस्यों का विशेषकर अपने सामने बैठे सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिस दिन से मैंने सदन में बैठना शुरू किया, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन ऊर्जा पर चर्चा नहीं होती और काम रोको प्रस्ताव नहीं होता। ऊर्जा पर जैसे मा0 वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में उसका जिक्र किया, उत्तरांचल के आर्थिक विकास के लिए, आगे के भविष्य के लिए, यह सबसे बड़ा अहम बिन्दु है। हम लोगों ने काफी प्रयास किया यह प्रदेश ऊर्जा प्रदेश बने। प्रदेश को हम ऊर्जा प्रदेश के रूप में डेवलप करें, इस दृष्टि से हम लोगों के प्रमुख कठिनाई यह थी कि जो हमारा विधेयक है उस विधेयक के हिसाब से एक वर्ष तक उ0 प्र0 के साथ रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर मिलजुल करके जल्दी से जल्दी अपना उत्तरांचल का पावर कारपोरेशन अलग से बनाने का निर्णय लिया है। हमारा जो जल विद्युत उत्पादन है। हमने अल्प समय में ही ऊर्जा निगम और विद्युत उत्पादन निगम बना दिये हैं और दोनों निगमों ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है विशेष करके ऊर्जा निगम ने सारे उत्तरांचल के पावर जर्मिनेशन है, पारेषण वितरण है, 01 अप्रैल से अपने हाथ में ले लिया और साथ ही व्यवस्था कन्ट्रोलिंग को अपने हाथ में ले लिया है। हमने जहां–जहां व्यवस्था खराब थी उस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की । यद्यपि बजट के आंकड़े मैं दे दूंगा लेकिन जो विशेष करके हमने कोशिश की थी कि हमारे यहां बिजली बिना किसी बाधा के पहुंचे। इस दृष्टि से चूंकि हमारा जो 13 मार्च, 2001 को उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री के साथ पावर कारपोरेशन के बारे में समझौता हुआ है। हम तीन माह में सभी समझौते कर लेंगे, वह तीन माह पूरा नहीं हुआ। बहुत जल्दी से उ0 प्र0 के मंत्री जी के साथ बैठकर हम लोगों ने व्यवस्था की थी, संचालन

उत्तरांचल करेगा। हम लोगों का बिजली की जो व्यवस्था है वह अन्तिम फैसला होने तक जारी रहेगा। अन्तिम फैसला तो अन्तिम समझौते के बाद करना है किन्तु हमको कितना मिलेगा, कितना उनको मिलेगा, आप सबका सहयोग चाहिए, उत्तरांचल के पक्ष में हम समझौता कर लेंगे। निश्चित रूप से हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज जो रोस्टिंग की समस्या है, वह हल हो जायेगी। हमारा अपना राज्य बन गया है कम से कम हरिद्वार जैसे जनपद जो शेष उ0 प्र0 से भिन्न है, मैं आग्रहपूर्वक कहकर हरिद्वार में जो केवल 7 घंटे 8 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मिला करती थी, वह कम से कम 12 घंटे मिलनी चाहिए थी। उसके लिए लगातार 12 घंटे की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि हमारी जो सबसे अधिक कठिनाई है वह है पुरानी जो लाइनें हैं उस तरफ माननीय सदस्य मेरा ध्यान आकृष्ट करते रहे है, उसमें सबसे बड़ी कठिनाई है पुराने ट्रांसफार्मर जर्जर हो गये हैं।

............पुरानी जो लाइनें हैं उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वह जर्जर हो चुकी है या पुराने ट्रांसफार्मर बहुत जगह फूंक चुके हैं, ऐसी अव्यवस्था की स्थिति है, लेकिन हम लोगों ने यह कोशिश की है कि अगले वित्तीय वर्ष में हम उस दिशा में काफी प्रयास कर रहे हैं और विशेषकर पहले चरण में यह जो हमारा ए0पी0डी0पी0 की जो स्कीम है उसे ए0पी0डी0पी0 स्कीम के अन्दर हमने केन्द्र सरकार के साथ बातचीत कर ली है और उसमें ए0पी0डी0पी0 के अन्दर 39.25 करोड़ रुपया हम को वहां से मिलने की बात हो चुकी है, केन्द्र सरकार और उसमें से 4.8 करोड़ रुपये की स्वीकृति हो चुकी है, इसमें 3 सर्किल हैं–ऊधमसिंह नगर, देहरादून, रुड़की हैं। उसमें प्रथम चरण में उन क्षेत्रों में इसके कारण से यह जो बिजली की व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए हम को स्वीकृति मिल चुकी है और हमारा विश्वास है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस स्कीम को आगे बढ़ाकर के हमें ग्रामीण अंचल में भी लाभ मिल सके। इसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं ताकि हम उसमें जो पुराने बिजली की लाइनें हैं वह बड़ी जर्जर व्यवस्था में हैं उन लाइनों को ठीक कर सकें। इस ओर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं।

हम लोगों ने यह मीटरिंग की व्यवस्था ऊर्जा के क्षेत्र में की है, इसमें कम से कम 50 हजार मीटरों की आवश्यकता है, सामान्य रूप से जो उपभोक्ता है 2 किस्म का–एक काफी कम इनकम ग्रुप का है वह कोशिश करता है कि सरकार उसको मीटरिंग करे, हमने यह कोशिश भी की है और हमने शुरू भी कर दिया है पिछले 2–3 महीने से जो निजी उपभोक्ता अपना स्वयं मीटर खरीदे और उस मीटर को खरीदने के लिये हमने कहा कि जो दूरस्थ इलाकों से मीटर खरीद रहा है उनके मीटर लेकर के स्वयं चेक करके उनके घरों में मीटर लगा दिया और इसलिए मीटरिंग की व्यवस्था हम ठीक करने जा रहे हैं। अगर मीटरिंग की व्यवस्था ठीक होगी तो निश्चित रूप से जो हमारी लाइन अवरोध है, उनमें भी कमी आयेगी और हमारा जो राजस्व है उस राजस्व में भी हम को वृद्धि होगी, इसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, अभी तक हमारे जो ग्रामीण अंचल हैं, ग्रामीण अंचल में कुल मिलाकर 3193 विद्युतीकरण जिनमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है। ऐसे ग्रामीण हैं जिनमें काफी रोष भी है, हमारी कोशिश यह है कि उन तापों तक यद्यपि उसमें कितनी व्यवस्था हो पायेगी हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि आप सीधे कहें कि कितने धन का आवंटन हुआ है इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं जो ए0डी0डी0पी0 से हो धीरे–धीरे हम कोशिश करेंगे कि इन जगहों में भी अगले कुछ वर्षों के अन्दर हम विद्युतीकरण कर सकें और जहां

नहीं होगा तो उसके लिए अलग से सौर ऊर्जा के माध्यम से भी हम लोग इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं क्योंकि सौर ऊर्जा भी काफी कम है, विशेषकर ट्रांसमीशन में जो पारेषण है और वितरण है उसमें सबसे बड़ी कठिनाई है कि हमारे यहाँ 132 लाइनें, 120 के0वी0 और 220 के0वी0 की लाइनों की बड़ी कमी है, हम लोगों की कोशिश है कि हल्द्वानी के अन्दर 220 के0वी0 का सब स्टेशन बनना है जो बहुत दिनों से लम्बित पड़ा है, उसे जल्दी से जल्दी हम पूरा करना चाह रहे हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 400 के0वी0 की लाइनें अपने यहाँ रुड़की और ऋषिकेश में है उसका काम होने वाला है, हमारी जो कोशिश है, यह जो नेशनल पॉवर ग्रिड है, उसकी 800 के0वी0 लाइन टिहरी तक बन रही है। हमारी कोशिश है कि 800 के0वी0 की लाइन को भी हम ऋषिकेश वाली लाइन से जोड़ देंगे ताकि भविष्य में जो हमारी योजना बन रही है आगे बनने की सम्भावना है उससे बिजली का उत्तरांचल के अन्दर भविष्य में हम उपयोग कर सकेंगे और उसका जब कभी भी नियंत्रण हो सकेगा, हम उसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं।

मान्यवर, पिथौरागढ़ के अन्दर 132 का काम चालू है, उसके लिए पैसा भी रिलीज कर दिया है। इसके अलावा रानीखेत में 132 प्रस्तावित है और उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो बन जाए। उसके अलावा श्रीनगर सतपुली के लिए भी प्रस्ताव है। यद्यपि उसके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हुई है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, दीर्घाओं का हम संज्ञान तो नहीं लेते लेकिन जैसा कि कभी–कभी हमारी मदर असेम्बली उत्तर प्रदेश में भी इस बात के लिए जनहित के लिहाज से ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं। ज्यादातर बजट के दौरान जैसे सामान्य बजट पर या माननीय मुख्यमंत्री जी जिस बजट को पेश करते हैं तो मुख्य सचिव और दूसरे उच्चाधिकारी तथा जिन विभागों के बजट रखे जाते हैं, उस विभाग के सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष और अन्य उच्चाधिकारी मौजूद रहते हैं तो उसका आशय यही होता है कि जो महत्वपूर्ण बिन्दु उठते हैं, उसका वो संज्ञान ले सकें।

श्री अध्यक्ष–

उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं। माननीय कोश्यारी जी आप जारी रखें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, उत्तरांचल के अन्दर 11 वृहद जल विद्युत परियोजनायें चालू हैं। इनकी क्षमता 977.85 मेगावाट है। ये जो हमारी योजनाएं हैं इनमें से किसी को 30 साल हो चुके हैं, किसी को 25 साल हो चुके हैं और कुछ उससे भी अधिक पुरानी हैं।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, जरा इनकी क्षमता कितनी–कितनी है, बता दें तो मेहरबानी होगी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आप चाहें तो बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। ये 11 परियोजनायें हैं।

खटीमा, ऊधमसिंह नगर	—	41.40	मेगावाट
रामगंगा, कालागढ	—	198.00	मेगावाट
ढकरानी, देहरादून	—	33.75	मेगावाट
धौलीपुर	—	51.00	मेगावाट
कुलाल	—	30.00	मेगावाट
छिब्रो	—	240.00	मेगावाट
खुद्री	—	120.00	मेगावाट
चीला	—	144.00	मेगावाट
तिलोथ, मनेरी भाली	—	90.00	मेगावाट
पथरी, ऊपरी गंगा नहर	—	20.40	मेगावाट
मोहम्मदपुर, ऊपरी गंगा नहर	—	9.30	मेगावाट
	कुल	977.85	मेगावाट

मान्यवर, इन योजनाओं की कुल क्षमता 3721 मिलियन यूनिट है। इसके अलावा लघु जल विद्युत योजनायें हैं इनकी 16.25 मेगावाट की बिजली उत्पादन की क्षमता है। इन यूनिटों से हमें 45 मिलियन यूनिट बिजली मिल रही है। इसमें से कुछ बन्द भी हैं। जो हमारी जल विद्युत परियोजनायें हैं इन परियोजनाओं में काफी दिनों से इनके अनुरक्षण का, मरम्मत का कार्य, जिसकी बहुत उपेक्षा हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इनकी मरम्मत की जाये। इसके लिए 49.25 करोड़ रुपये अवमुक्त किये जा चुके हैं और 200 करोड़ रुपयें की एक योजना भारत सरकार को भेजी है, ताकि उनको ठीक किया जा सकें। इससे विद्युत का उत्पादन बढ़ेगा। हमारे प्रदेश के अन्दर काफी लम्बे समय से ग्लोबिक परियोजना मंसूरी की है वह भी काफी समय से बन्द थी, अब चालू हो गई है। 23 परियोजनायें छोटी–छोटी हैं, उनको भी हम लोग पुनर्जीवित करने की व्यवस्था कर रहे हैं। छोटी–छोटी क्षमता के भी हमारे यहाँ बिजलीघर हैं, उनमें से 3 परियोजनायें निर्माणाधीन हैं, इनकी क्षमता 3.5 मेगावाट की है। इस प्रदेश में कई बड़ी परियोजनायें जैसे टिहरी परियोजना 2400 मेगावाट की परियोजना है जो भारत सरकार के सहयोग से बन रही है। एक दूसरी योजना भी भारत सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। एक तीसरी योजना, टनकपुर की योजना है, जो उत्तर प्रदेश को बिजली सप्लाई करती है, इसलिए जो 12 प्रतिशत हमको मिलना चाहिए बहुत जल्दी ही इसका 12 प्रतिशत हमको मिलने लगेगा। मान्यवर, हम लोग अनेक बार इस सदन में चर्चा कर चुके हैं।.........

मान्यवर, सदन के अन्दर चर्चा आई है कि एक बड़ी योजना जो काफी दिनों से लम्बित पड़ी है, अधूरी पड़ी है, उस योजना के बारे में मा0 सदन के अन्दर अनेक बार आपको निवेदन किया है, आपके सामने मत व्यक्त किया है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने भी आपके सामने

कहा है हमारी कोशिश है कि हम बहुत जल्दी ही कम से कम एक योजना को अपने हाथ में लें। इसकी दृष्टि से हम मनेरी भाली योजना पर हम विचार करें उसके लिए धन की व्यवस्था कर सकें अगले 3–4 साल के लिए अपनी ओर से तो हम अपने आप ही उसको शुरू करें। मान्यवर, सदन को विश्वास में ले करके ज्वाइन्टवेंचर की बात की जा सकती है, परन्तु हमारी कोशिश है कि हम उसको शुरू करें और अब हमारा परिसम्पत्तियों का बंटवारा हो जायेगा तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि कितना धन अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी प्रकार लखवाड, बयासी की ऐसी योजना है जिसके बारे में विचार किया जा रहा है, हमारे पास अनेक लोग अपना संयुक्त काम करने के लिए आये हैं, यहाँ तक बिरला जी का व्यक्ति आया वह भी चाहते हैं। हम भी उत्तरांचल में बिजली के क्षेत्र में प्राइवेट रूप में काम करें। हम सोच विचार करके जहाँ आवश्यक होगा उत्तरांचल के हित में देखेंगे निजी कम्पनियों को देने के हम प्रयास में हैं। एक बड़ी योजना विष्णुप्रयाग में 3 सौ मेगावाट की निर्माणाधीन है, इसलिए हमारा जो विष्णुप्रयाग है इसमें भी 12 प्रतिशत का हिस्सा मिलेगा, दूसरा श्रीनगर परियोजना का भी उ0प्र0 ने समझौता किया था, श्रीनगर में शुरू नहीं कर पाये हैं, अनेक कम्पनियों के लोग हमारे पास आ रहे हैं, उसमें हम परीक्षण कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे। अगले 6 महीने में अधिक से अधिक काम शुरू हो जायेगा। भविष्य में हमारा उत्तरांचल बिजली उत्पादन से बिजली प्रदेश बने। मान्यवर, जहाँ तक छोटी लघु विद्युत योजनाओं का सवाल है इससे भी लगभग 10–11 ऐसी योजनायें हैं जो जल्दी ही सरकारी क्षेत्र में शुरू करना चाहते हैं। मान्यवर, ये तो केवल बड़ी योजनाओं के बारे में है, छोटी योजनाओं के बारे में वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में विशेषकर दुरस्त गाँवों में इतने पोल पहुँचाने पड़ते हैं तब छोटे से गाँव के अन्दर बिजली पहुँचती है उसमें लाखों रुपये लग जाते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा से काफी काम हुआ है नेडा के माध्यम से दूरस्थ गाँवों में जहाँ आसानी से पोल्स नहीं पहुँच सकते हैं, लाइन नहीं खींची जा सकती है ऐसी जगह सौर ऊर्जा के माध्यम से हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं। उ0प्र0 में जो बजट था वह लगभग 7 करोड़ था, हम चाह रहे हैं कि इस बार नेडा के माध्यम से छोटे–छोटे जगहों पर छोटे घराट टाइप डेवलप करें। घराटों की एक विस्तृत योजना बना रहे हैं। पिछले दिनों हमारे उद्योग मंत्री जी यहाँ आये थे, उन्होंने कहा, हम घराटों को उद्योग का दर्जा देंगे। हम घराटों के माध्यम से ऐसी योजनायें शुरू करें जिससे उस गाँव के लोगों को लाभ मिले। हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है हम बागेश्वर जनपद के दूरस्थ क्षेत्र में गये वहाँ पर 30 किलोमीटर पैदल गये वहाँ जो बिजली है, वह नेडा के माध्यम से मिल रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि दूरस्थ गाँवों को भी इस प्रकार की सुविधा मिल सके। यह सुविधा नेडा के माध्यम से घराटों के माध्यम से देगी, जिससे धीरे–धीरे गाँव वाले इसका अनुसरण कर सकें। उसको ग्रिड में भी नहीं डालना पड़ता है।

एक ऐसी सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रकार से लगभग 68–60 मेगावाट के अन्दर मैंने कहा था कि हम उसको शुरू करवाना चाहते हैं। 22 परियोजनायें जो काफी समय से लम्बित थी जो प्राइवेट कम्पनी के द्वारा हुआ था पिछले 3–4 वर्षों से योजनायें चालू नहीं कर पाये थे हमारी इच्छा थी कि हम उनको जल्दी से जल्दी स्वीकृति दें, लेकिन हमने कहा था कि पिछले महीने हम उनको क्लियर कर देंगे, पर तकनीकी कारण से योजनायें हम क्लियर नहीं कर पाये हैं, लेकिन वह 20 योजना जो लगभग

60 मेगावाट के ऊपर की होगी इनका भी हम लोग बहुत जल्दी ही निवारण कर लेंगे। अगले 2–4 दिन में। तो हम तकनीकी जो कमियां हैं उनको दूर करके ऐसे निजी उद्योगों द्वारा शुरू किये जा रहे हैं उनको हम जल्द ही क्लियर कर देंगे। हमारा यह पूरा प्रयास है कि हम सब लोग बिजली के बारे में, ऊर्जा के बारे में इस प्रकार की नींव डालना चाहते हैं, ताकि भविष्य में आने वाले जो हम लोगों के आय के श्रोत हैं, हम लोगों की सुविधा के लिये भी हम उस ओर काफी कटिबद्ध हैं। मैं अपनी बात समाप्त करते हुये इतना कहूँगा कि निश्चित रूप से आप सब का सहयोग मिला तो यह जो ऊर्जा का क्षेत्र है उस ऊर्जा के क्षेत्र में जब कभी वैदिक, किसी ने कहा था कि "तमसो माँ ज्योतिर्गमय" तो निश्चित रूप से हम सब लोग यहाँ बिजली के मामले में निश्चित रूप से ऐसी आधार शिला रख लेंगे, जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष प्रकाश जी हम सब लोगों को प्रकाश देते रहते हैं उसी प्रकार से यह ऊर्जा विभाग भी निश्चित रूप से प्रकाश देने में सम्भव होगा। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अधीन सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा विभाग के अधीन सम्पूर्ण अनुदान की मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष जी–

अब हम 3.00 बजे तक के लिये उठते हैं।

(सदन 2 बज कर 05 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में अपरान्ह 3 बजे पुनः आरम्भ हुई)

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्री जी ने सिंचाई और ऊर्जा विभाग की अनुदान मांगों पर अपना भाषण करते समय अपनी बातों को कन्क्लूड किया था और यह जो उन्होंने कहा, "तमसो माँ ज्योतिर्गमय"। श्रीमन्, मैं यहाँ से अपनी बात को प्रारम्भ करूँगा। वास्तव में हम साधारण बोल–चाल की भाषा में भी कहते हैं "जल ही जीवन है।" और कभी–कभी जब आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं तो यह कहते हैं कि "ऊर्जा ही जीवन है"। "एनर्जी इज लाइफ, लाइफ इज एक्टीविटी।" और बिना एनर्जी के कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। तो जीवन के स्वयं के अस्तित्व के लिए ऊर्जा की प्रत्येक क्षेत्र में जरूरत है। तो आज हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है तो वह जल की। चाहे वो किसी रूप में हो और ऊर्जा की। उत्तर प्रदेश में रहते हुए जो सिंचाई विभाग था, ऊर्जा विभाग उसी का एक हिस्सा था। उसी से अलग निकल कर ऊर्जा विभाग बना। अच्छा ही हुआ कि माननीय मंत्री जी ने सिंचाई और ऊर्जा विभाग का एक साथ बजट प्रस्तुत किया। क्योंकि वो हैं भी अपने आप में एक दूसरे के इंटीग्रल पार्ट। जब इस नवोदित उत्तरांचल राज्य की हम बात करते हैं तो हमें स्मरण रहता है, उस दिन का, जब उत्तर प्रदेश की विधान सभा में रहते हुए चाहे उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा का सवाल हो या माननीय ऊर्जा मंत्री जी आप लोगों के साथ हम लोगों ने दिल्ली की सरकार के आगे विभिन्न स्तरों पर पैरवी की, माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें आपकी गरिमामय उपस्थिति भी रहा करती थी। तो इन्हीं बातों को लेकर हम सदैव चिन्तित रहते थे और प्रयासरत भी रहते थे कि यहाँ के जो जल संसाधन हैं, उन पर इस नये राज्य का स्वामित्व कैसे सुनिश्चित हो। यह कैसे सुनिश्चित हो कि जल संसाधनों का उपयोग हम इस राज्य की तरक्की के लिए इच्छानुसार कर सकते हैं और इन संसाधनों के बल पर हम किस तरीके के नवोदित राज्य की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। तीन बड़े सवाल थे। अफसोस की हमारी तमाम पैरवियों के बाद भी कहीं न कहीं हम लोगों के खिलाफ साजिश होती रही और अन्तिम रूप से भारत सरकार ने जिस स्वरूप में हमें राज्य दिया, उसी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000, जिसके तहत उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ, उसकी धारा 79–3 से मैं अपनी बात प्रारम्भ करूंगा तो ज्यादा समीचीन होगा। उस बिल के अन्दर धारा 79 के लिए ऐसा अरेंजमेन्ट था, जिसे सही मायने में पूछिए तो स्टेट की जो अपनी स्वायत्ता है, उस स्वायत्तता पर ही प्रश्न–चिन्ह लगा दिया। जब 79–3 के अन्दर यह कहा गया कि जो भी जल विद्युत परियोजनायें होंगी, जो भी जल संसाधन होंगे, वो पहले तो उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन चलते रहेंगे और कालान्तर में आप समझौता करके उसकी सम्पत्तियों का बंटवारा कर लें। ....

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक ख्याति प्राप्त अधिवक्ता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति जमीन के मुकदमों के सिलसिले में अदालत जाता है तो वकील कहता है कि भूलकर भी यह न कह देना कि मेरी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है, क्योंकि जमीन सबसे पहले उसकी है जिसका उस पर कब्जा है। आपकी सरकार दिल्ली में बैठी है और आप यहाँ बैठे हैं। आपने पहले उत्तर प्रदेश को कब्जा दिया फिर आप अदालत में चले गये। मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम मजबूती के साथ इस बात की पैरवी करें कि जिन चीजों में इस बात का हित है, उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। अधिकार हमेशा मांगने से नहीं मिलता। मान्यवर, यह मेरी सलाह है कि ऐसा नहीं कि जब उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री चाहे आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री जब कहें आप उत्तर प्रदेश चले जाएं। आज हमारी सरकार है और उसके सिंचाई मंत्री आप हैं। यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है जल संसाधन हमारे पास हैं, लेकिन ऐसा ही सवाल है जैसे कहा जाता है कि 'इण्डिया इज ए रिच कन्ट्री बट इण्डियन्स आर पुअर'। भारत एक अमीर देश है, लेकिन भारतीय गरीब हैं। हमारे जो जल संसाधन हैं, उनका विकास हम कैसे करें ? जिस तरह वर्षाकाल में जब नदियाँ बेइन्तहा पानी लाती हैं, किस तरह हम उस जल को रोक सकें, जब पीक समय आता है तो हम उसको प्रयोग कर सकें। हमारे पड़ोस में दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है जो नदी के निचले हिस्से में है। हमारी नदियों का अधिकांश जल

इन प्रदेशों में चला जाता है। यह एक अहम सवाल है कि इस जल का हम किस प्रकार विपणन कर सकें। लखवाड़ व्यासी और मनेरी भाली परियोजनाएं हैं, ये न केवल प्रस्तावित हैं बल्कि इनमें कार्य भी होता रहा। मैं निश्चित रूप से इन चर्चाओं में नहीं जाना चाहता कि कौन से क्षेत्र में आप ट्यूबवेल लगाने जा रहे हैं, यह तो हम कभी भी आपसे चर्चा कर लेंगे। मैं नीतिगत विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। यदि हम उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग का आकलन करें कि इस विभाग के बुरे हाल होने का कारण क्या है।

मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए जब टिहरी जल विद्युत निगम प्रस्तावित हुआ था तो टिहरी परियोजना का कार्य सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारम्भ किया गया था। ....

मान्यवर, दुनिया में आज भी कोई मुल्क हाइड्रोपावर के मामले में यह दावा नहीं कर सकता कि इसके पास जो जानकारी है उसकी वह विशेषज्ञता हम से ज्यादा नहीं है। हुआ क्या प्रोजेक्ट डिजाइन किया उ0 प्र0 सिंचाई विभाग ने, रुड़की डिजाइनर ने प्रोजेक्ट के आधारभूत संरचना का काम किया, वहां के सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं ने ऊर्जा विभाग के अभियन्ताओं ने लेकिन जब बनाने का सवाल आया मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूं। टी0 एच0 डी0 सी0 का निर्माण कर दिया गया टिहरी हाइड्रोपावर कारपोरेशन ने अपने ताम-झाम अलग से जोड़ने शुरू किये। मैन पावर अलग से लिया उ0 प्र0 का जो सिंचाई विभाग था वह कार्य विहीन हो गया। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी किसी सवाल का जवाब दे रहे थे कि सिंचाई विभाग उ0 प्र0 का ऐसा है जहां पर तीन और साढ़े तीन हजार कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, आप नीतिगत बात जानना चाहते हैं कि यदि हम कोई ऐसा इंतजाम कर लें परियोजनाओं को बनाने का, यदि उनके पास काम हो तो भी आपको उन्हीं को पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी, यदि आजकल वह बिना काम के हैं तो भी वह तनख्वाह उन मैन पावर को दे रहे हैं यदि आप उनके लिए काम का सृजन करते हैं यदि उनके लिए परियोजनायें बनाने के लिए काम तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको स्टेबलिशमेन्ट के ऊपर नया पैसा खर्च नहीं करना है, यह बुनियादी बात है। यदि टी0 एच0 डी0 सी0 नहीं बना होता या टी0 एच0 डी0 सी0 बन गया था तो उसके जो मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन था उसके अन्दर यह शर्त डाल दी जाती कि टी0 एच0 डी0 सी0 टिहरी प्रोजेक्ट को बनायेगा जरूर, लेकिन टी0 एच0 डी0 सी0 के अन्दर यह अनिवार्यता होगी। श्रीमन्, के साथ मैं बातें कह रहा हूं, यदि उस समय प्राविधान कर दिया जाता टी0 एच0 डी0 सी0 में जो भी एक्सपर्ट होंगे, जो भी इंजीनियर्स होंगे, वह कर्मचारी सिंचाई विभाग के डेपुटेशन पर होंगे तो निश्चित रूप से वह स्थिति हमारे सामने पैदा नहीं होती। हम कहना चाहते हैं कि इसका दूसरा एक बड़ा कारण भी है कि उ0 प्र0 के अन्दर परियोजना तो शुरू हो गयी लेकिन पूरी कोई नहीं हुई इस कारण को हम रेखांकित करना चाहते हैं इसका सबसे बड़ा कारण यह है, एक साथ कई परियोजनाओं में काम शुरू कर दिया जाता है, जेब में 100 रुपया है, खरीदारी एक हजार की करने चले, तो कहने का मतलब किसी भी चीज की खरीदारी नहीं हो सकती, लिहाजा हम लोगों को चरणबद्ध रूप से एक प्रोजेक्ट को, उस प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से कम्पलीट कर, तब हम दूसरे प्रोजेक्ट पर जायें। यह तरीका हम अख्तियार करें। मसलन यदि

मनेरी भाली परियोजना जिसके अन्दर 60 फीसदी कार्य जो तीन सौ मेगावाट की परियोजना है, 60 फीसदी कार्य 12 साल पहले पूरा हो चुका है, और 40 फीसदी कार्य के लिए 12 साल से बैठे हैं। काश आज से 8 और 9 साल पहले यह परियोजना पूरी हो गयी होती तो सारे रिर्सोसेज इसके लिए डाइवर्ड करते 3 सौ मेगावाट पावर जनरेशन कोई हंसी मजाक नहीं है, कितना बड़ा एसेट्स इस प्रदेश के लिऐ होता।

उसी तरीके से 420 मेगावाट का हमारे क्षेत्र में जो परियोजना है जिसे लखवाड़ बयासी बांध परियोजना कहते हैं, यह छोटी सी परियोजना है, जब यह परियोजना डिजाइन हुई थी उस समय इसकी लागत कम थी लेकिन आज की तारीख में हम मान करके चलें कास्टएक्सलेशन बहुत ज्यादा हो गयी, आज भी 8 सौ करोड़ रुपये उसके अन्दर आपको जरूरत है, टोटल 1000 करोड़ रुपये उसकी लागत है 8 सौ करोड़ रुपये हम डाइवर्ड करते, यह हमें देखना पड़ेगा। इसमें मैं सरकार के साथ हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपको बल देना चाहता हूँ, मैं आपको ताकत देना चाहता हूँ कि सख्ती के साथ लोकप्रियता वाले कामों से हाथ खींचना पड़ेगा आपको कहना पड़ेगा जो रिसोर्सेज है इसको हम डायवर्ड करेंगे उन प्रोडेक्टिव परपजेज के लिए जिससे यहां रोजगार के सृजन हो सकते हैं यह बात मैं कहना चाहता हूं कि मा० मंत्री जी ने कहा हमारे पास जो भारत सरकार के सहयोग से प्रोग्राम चल रहे हैं ए० पी० डी० पी० का जिसमें वित्त पोषित कई श्रोतों से हो रहा है, इस इशू पर मैं सबसे ज्यादा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने यह तो कहा आपने जो भारत सरकार को 2 सौ करोड़ का प्रस्ताव भेजा कि उत्तरांचल के अन्दर इससे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका रख-रखाव आप ठीक से कर सकें, इस सदन के अन्दर चर्चा की। आपने कहा आपको प्रबन्धन और प्रशासन का अधिकार दे दिया, बिना पैसे का कोई प्रबन्धन नहीं हो सकता। आज यह हकीकत है कि प्रबन्धन करायें बिजली बनायें उसको उ० प्र० को आपको देना पड़ेगा लेकिन सिविल वर्क्स की मैन्टीनेन्स के लिए उ० प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा जो आपको पैसा दिया जाना चाहिए था क्या वह पैसा भी आपको मिल रहा है।

ए०पी०डी०पी० से आप पैसा लेंगे भारत सरकार से भी, मैं आपसे सवाल करता हूं कि ए०पी०डी०पी० जो आपको पैसा देगा वह आपके खाते में काउन्ट होगा। 200 करोड़ रुपया आप लेंगे, लेकिन जो पावर जनरेशन करेंगे वह आप उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करेंगे। श्रीमन्, मैं तो यह कहूंगा यदि हमारी स्वायत्ता को गिरवी रखने का काम हो ही रहा है तो कम से कम जब उत्तर प्रदेश यह कहता है कि हमारा ज्वाइन्ट प्रतिष्ठान है, आज की तारीख में तो आप यह भी तो कहिये कि जिस अंश में आप बिजली ले रहे हैं उसी अंशदान में इसके मैन्टीनेन्स के लिए ए०पी०डी०पी० के निर्णायक उत्तर दें कि जो ए०पी०डी०पी० का उनको जो पैसा मिल रहा है उसमें से वह इतना पैसा स्पेयर करें हमारे प्रोडेक्ट्स के लिए, तब तो श्रीमन्, हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर पायेंगे। एक जो महत्वपूर्ण विषय है श्रीमन्, जिसको यहां पर रेखांकित किये बिना कोई काम चल नहीं सकता है, हमारी चिंता भी जल विद्युत परियोजनाओं में सबसे बड़ा गतिरोध प्रभावित होने वाली आबादी को लेकर के होता है। इसके बारे में श्रीमन्, साफ सुथरी एक नीति निर्देशन का निर्धारण होना चाहिए। ताकि प्रोजेक्ट को प्रारम्भ करने से पहले जो विस्थापन इत्यादि की समस्यायें हैं उसको प्रोजेक्ट फारमूलेशन के समय जब प्रोजेक्ट को अन्तिम रूप देते हैं तो उस समय

अनिवार्यता है कि उसको एडवांस में कर दिया जाय। मुझे इस बात को कहने में किसी को आरोपित नहीं करना है, न लखवाड़ बांध परियोजना विस्थापितों को आरोपित कर रहा हूं, न मनेरी भाली परियोजना, न टिहरी बांध के विस्थापितों को आरोपित कर रहा हूं, लेकिन यह भी सत्य है कि जिसे हम-आप जानते हैं कि जब प्रोजेक्ट एक बार शुरू होता है तो वह और इसके बाद किसी को डिस्प्लेस करने की बात करते हैं तो वह कई तरह की बारगनिंग होने लगती है, कम मुआवजा मिला, ज्यादा मिलना चाहिए था, यह तमाम सारी बातें हैं, जिसको लेकर के बहुत जल्दी करने की जरूरत है। 3 पावर की बात आप करते हैं।

पहला जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मैं कहना चाहता हूं कि आज भी आप अपनी बारगनिंग ताकत को बढ़ा सकते थे। यदि उत्तरांचल में उत्पादित होने वाली बिजली के लिए आपकी निर्भरता उत्तर प्रदेश के ऊपर न होती, आप बाईपास करके कहीं से हिमाचल को और पंजाब को देने की स्थिति आपके पास होती। आपके पास ट्रांसमीशन नेटवर्क होता तो आपकी स्वतंत्रता बहुत ज्यादा होती और आप भी थोड़ा सा अपनी ताकत का परिचय करा सकते थे, लेकिन आपका हैण्डीकैप सबसे बड़ा यही है कि क्या आपके पास अपना ट्रांसमीशन नेटवर्क नहीं है, मेरी सलाह होगी कि उत्तरांचल को जरूर कोई न कोई अपना ट्रांसमीशन डेवलप करना चाहिए। जिस नेशनल ग्रिड से अपने प्रदेश को सुविधा कर सकें, राष्ट्रीय ग्रिड से चरण की बात कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर संशय की स्थिति यहां सदैव बनी रहती है, 79-3 का श्रीमन्, मैंने यहां जिक्र किया उसके तहत गंगा मैनेजमेन्ट बोर्ड की बात आती है। माननीय मंत्री जी ने भी थोड़ी बात कही थी कि गंगा मैनेजमेन्ट बोर्ड के स्थान पर जो अपर यमुना बोर्ड है उसी को हम काम में लगाने का काम करें, इस मामले में सुझाव देना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी को, 2-3 चीजें आपके पास बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक आपके पास नदियों की सीमा को लेकर के पंजाब रिकार्ड है। एक नदियों की सीमा को ले करके आपके पास बंगाल रिकार्ड है, पश्चिमी बंगाल का समझौता है।

मान्यवर, नदियों की सीमा को लेकर आपके पास एक रीवर बोर्ड एक्ट, 1956 है और इसी को लेकर आपके पास रीवर डिस्प्यूट्स एक्ट है जिसके अन्दर रिपेरियन स्टेट्स के राइट्स को डिटरमाईन किया गया है। जहां तक मेरा सूक्ष्म ज्ञान कहता है वहां तक एक लेहमैन की हैसियत से मैं कह सकता हूं, रीवर बोर्ड एक्ट, 1956 के तहत कहीं पर भी अधिकार नहीं दिया जाता है कि जो रिपेरियन स्टेट्स है उस रिपेरियन स्टेट्स के अन्दर अन्तर्राज्यीय वोटर हस्तक्षेप करें। हां जब कोई नदी जो रिपेरियन स्टेट के नीचे वाला स्टेट है, उसकी सीमा में जाती है तो निश्चित रूप से वहां पर जो पानी है वो उसका हो जाता है। उसके लिए वो प्रबन्ध कर सकता है। तो यह महत्वपूर्ण सवाल है, जिसके बारे में आपको बहुत मुस्तैदी के साथ फैसला करने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर आम गांव के नागरिक से लेकर हम सभी, कभी-कभी व्यथित रहते हैं, वर्षा के दौरान जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बाढ़ की स्थिति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारी जरूरत यह है कि इस उत्तरांचल प्रदेश के अन्दर जहां पर 15 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है, वहां पर आज की तारीख में इस्टौल कैपेसिटी 1065 मेगावाट मात्र है। अब उस 1065 मेगावाट में भी आज के हालात यह है कि तिलोथ पावर हाउस में पानी भर गया, चिल्ला पावर हाउस में पानी भर गया है। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, हम पूछना

चाहते हैं कि इस हिसाब से यदि आप कैल्कूलेट करेंगे तो, आपके जो पावर हाउस है, यदि उनका पावर लोड फैक्टर निकालेंगे, जो किसी भी विद्युत प्रतिष्ठान के प्रबन्धन में महत्वपूर्ण पहलू है। उसको आप निकालेंगे तो कितना निराशाजनक है। जबकि हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि पी0एल0एफ0 80 और 90 प्रतिशत तक रहा करता है लेकिन हमारा पी0एल0एफ0 30–40 प्रतिशत का रहा है। हम कहना चाहते हैं कि इसके पीछे हम कितनी सावधानी बरत रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना सिंह जी कृपया संक्षेप करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटी सी असावधानी के लिए हमें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उत्तरांचल में जो विद्युत उत्पादन की स्थिति है, वहां पर हो सकता है हमें बिजली एक्सपोर्ट भी करनी पड़ रही हो लेकिन इतना कह देने मात्र से हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप लीन पीरियड में उत्तरांचल से बाहर बिजली देंगे तो आप बिजली देंगे 36 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से और जब पीक सीजन में आप उत्तर प्रदेश से थर्मल की बिजली लेंगे तो आप बिजली लेंगे ढाई रुपया–तीन रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से। इस तरह से उत्तरांचल को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इन सारी विसंगतियों को सरकार को तत्काल दूर करने की जरूरत है और जो छोटी–छोटी जल विद्युत परियोजनायें हैं, जिसका कि अभी आपने जिक्र किया, माइक्रो और मिनी हाईड्रल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में हमारा कहना है कि हमारे पड़ोस में एक छोटा सा देश है, नेपाल। उस देश तक के अन्दर ग्रामीण इलाकों के अन्दर जो बिजली की सप्लाई होती है, अधिकांश मिनी और माइक्रो हाइड्रिल प्रोजेक्ट्स से होती है। तो श्रीमन्, हम कहना चाहते हैं कि बहुत साफ सुथरी रणनीति बनाकर काम किये जाने की जरूरत है। इन सुझावों के साथ मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मुख्य मकसद तो इस प्रस्ताव का यही था कि आपको कुछ सुझाव दे सकें, जो खामियां हैं, उनको दूर किया जा सकता। नलकूपों के विषय में एक सुझाव अवश्य ही नोट करें कि नलकूपों के प्रति यूनिट जो अनुरक्षण के मानक हैं, वो बहुत पुराने हैं, उसके हिसाब से आज की तारीख में नलकूपों का अनुरक्षण नहीं हो सकता। उसको रिवाइज किये जाने की जरूरत है और श्रीमन्, आज उत्तरांचल के अन्दर विभिन्न हिस्सों में सिंचाई के स्वरूप को आपको बदलना पड़ेगा। ....

मान्यवर, जो फ्लड एरीगेशन कंसेप्ट है, उसे त्यागना पड़ेगा और कहीं–कहीं हमें पानी को संकलित करके ड्रिप और स्प्रिंग्लर एरीगेशन जैसी जो वहां की बारानी खेती है हमारे जो मैदान के हिस्से हैं वहां तो हम नहर और नलकूप से काम चला सकते हैं। लेकिन जो ढलान वाली जमीनें हैं वहां पर हमें हम पानी से ज्यादा एरिया को इस तरीके से कवर कर सकते हैं कि फ्लड ऐरीगेशन को हम स्प्रिंग्लर और ड्रिप एरीगेशन को सबस्ट्यूट करने का काम करें। इन्हीं सुझावों के साथ श्रीमन्, मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए अधिकतम 5 मिनट का समय दिया जाता है।

* श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी अभी माननीय मुन्ना सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव ऊर्जा और सिंचाई पर रखा है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। बहुत संक्षेप में आपने 5 मिनट का समय दिया है, मैं उससे भी कम समय में अपनी बात कह कर जल्दी से जल्दी समाप्त करूंगा। मान्यवर, आज सबसे बड़ी समस्या जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा लाईन लास की, मीटरिंग की है। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि लाईन लास है या चोरी। मैं मानता हूं कि यह अधिकांश चोरी ही है तो इस पर किस प्रकार नियंत्रण करें इस पर विचार करना होगा और मेरे जनपद में खास तौर से एक नई व्यवस्था आप लागू कर दें पूरे देहात में आज मीटर नहीं हैं। बिजली उनको 8–10 घंटे या 12 घंटे जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, मिलती है। मान्यवर, सारे लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि आप मीटर लगा दें, 24 घंटे उनको विद्युत आपूर्ति कर दें। विद्युत का वे पूरा मूल्य देने के लिए तैयार हैं। मान्यवर, इससे जो समस्या चोरी की है वह भी कम होगी और जो विभागीय कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं उन पर भी किसी हद तक अंकुश लग सकेगा। दूसरी जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो हमारे बिजली विभाग के सुधार हैं, इनको जब उ0प्र0 में लागू किया गया था तो यह बात आई कि इनका अध्ययन करा लिया जाय, जिन स्टेट्स में ये सुधार लागू हुए हैं, उनकी हम प्रगति जान लें कि ये सुधार असफल हुए या सफल हुए। आज तो मैं अभी आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि श्री एस0 एन0 राय जो पूर्व चेयरमैन हैं सेन्ट्रल एनर्जी अथारिटी के और श्री एन0 एस0 वसंत साहब जो पूर्व अध्यक्ष हैं बिजली बोर्ड पंजाब के। मान्यवर, ये वसंत साहब और राय साहब बिजली सुधारों के क्षेत्र में ऐसे जानकार व्यक्ति हैं कि पूरा हिन्दुस्तान इनको जानता है और वसंत साहब तो जब उ0 प्र0 में थे तो उसकी एक रिपोर्ट भी तैयार की थी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोगों का भी निष्कर्ष यह है कि ये हमने 3 हिस्से इसके किए पारेषण के लिए अलग बोर्ड बनाया, जनरेशन के लिए अलग बोर्ड बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग बोर्ड बनाया और इसके साथ–साथ जो निजीकरण किया, नोएडा में उसका उदाहरण हमारे सामने है। सरकार का पैसा निजी क्षेत्र में फंसा रहता है, सरकार को रेवन्यू मिलता नहीं। अपना पैसा ये प्राइवेट कम्पनियां निजी क्षेत्र की लेकर चली जाती हैं तो मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि लगातार इन सुधारों के बाद भी विद्युत व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उड़ीसा का हम उदाहरण लें वहां भी ये सुधार असफल हो चुके हैं और मान्यवर, जिस अमेरिका की तर्ज पर हम अमेरिका से यह उधार लिया था, टेलीकॉम या स्टेट वहां का भी हम देख लें तो तो यह विद्युत सुधार असफल हो चुके हैं।

इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खुले दिमाग से, दिल से इस पर विचार कर लें, निजीकरण के फैक्टर पर बातचीत कर लें कि हम डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में निजीकरण लाना चाहते हैं या नहीं। गांव में जो मीटर लगाने की बात मैंने कही उस पर भी विचार कर लें और मान्यवर, ओवरआल इन सुधारों का नतीजा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे प्रांतों में क्या है ? अगर उत्साहपूर्वक है तो हमको लागू करना चाहिए, और अगर उत्साहपूर्वक नहीं है तो हमारे जो सुधार बिजली विभाग के हैं ये हमारी समस्याओं को हल करने में असफल रहे हैं तो बिना किसी संकोच के हमको इन सुधारों को अपनाने में बिल्कुल परहेज करना चाहिए यह मेरा बिजली के बारे में कहना है। एक दूसरी बात जो माननीय मुन्ना सिंह जी ने कही, मैं उस बात से सहमत हूं कि हमारी प्राथमिकतायें तय होनी चाहिए और एनर्जी से बड़ी प्रायरिटी कोई नहीं हो सकती तो हम जो आवश्यक खर्च अपने प्रांत के हैं उनके अतिरिक्त कार्य जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बियर करने को कह रहे थे, पूरी जनता हम सारे लोग मिलकर यह अपील करें कि इस नये राज्य के लिए प्रायरिटी ऊर्जा है, हम सारा जो पैसा कमायेंगे, आपके सारे विकास भी करेंगे, एक साल के लिए कम से कम हम अपने पैसे को रोक कर बिजली योजनाओं में लगा दें, बिजली हम जनरेट कर लें तो इससे प्रदेश का हित होगा। ....

..................मान्यवर, हमारी प्राथमिकतायें तय होनी चाहिए। हमारे जो आवश्यक खर्च प्रदेश के हैं उनके अतिरिक्त जैसे मा0 मुख्यमंत्री जी हमको विचार करने को कहेंगे। पूरी जनता से हम लोग मिलकर यह अपील करें कि इस नये प्रदेश के लिए प्राइटीज ऊर्जा है। हम अपना पैसा रोककर एक साल के लिए बिजली परियोजना में लगायें तो इससे हमारा विकास भी होगा और प्रदेश का हित भी होगा। मान्यवर, यह पंजाब में हो चुका है, श्री दरबारा सिंह, मुख्यमंत्री थे सभी मंत्रियों की मीटिंग करके उन्होंने फैसला लिया जो आवश्यक खर्च हैं उसके अलावा सारा पैसा हम बिजली पर लगायेंगे अब मान्यवर, पंजाब की तरक्की का रास्ता खुल भी गया। मान्यवर, सिंचाई के बारे में 2–3 बातें संक्षेप में कहना चाहता हूं एक तो ग्रामीणों के बारे कहना चाहता हूं एक बात श्री मुन्ना सिंह जी ने उठायी, यह इस बात से एग्रीमेंट हो रही है कि उनके जो सिंचाई अनुसंधान हैं या उनकी वर्कशाप है या जो दूसरे सिंचाई के इन्स्टीट्यूट हैं उत्तरांचल प्रदेश में उसके बारे में मेरा सुझाव अगर सरकार विचार कर ले तो वह अपने कर्मचारी ले लें, अपना नया इन्स्टीट्यूट चाहे मेरठ में बनायें चाहे कहीं भी बनायें। मान्यवर, दोनों प्रदेशों का इससे नुकसान हो रहा है। अगर विचार कर लिया जाय तो उसकी कीमत उ0 प्र0 हमको दे देगी और उसका किराया तय हो जाय और अपने संसाधनों को चलाता रहे अपने कर्मचारियों को यहीं समायोजित रखें और इसके बदले में जो भी तय कर लें। संसाधनों को या जो भी सुविधा न उनको हम दे रहे हैं उससे हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी इससे एक विवाद समाप्त होगा। दूसरी बात अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत सन् 1987 में भोगपुर से बालावाली तक 22 किलोमीटर की बांध की एक योजना बनी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकृति दी थी तब वह 453 लाख की थी कुछ काम उस पर हुआ 60–70 लाख उस पर खर्च हो गया अब उसकी बात फिर यू0 पी0 में उठायी तो 15 करोड़ रु0 खर्च उस पर आ गया। लेकिन गंगा बाढ़ परियोजना पटना से भी वह स्वीकृत हो चुकी है सभी औपचारिकतायें पूरी हो चुकी हैं अगर मा0 मंत्री जी अपनी लिस्ट में उसको शामिल कर लें और जितना पैसा भी उसमें दे सकते हैं,दें। हरिद्वार जनपद के सैकड़ों गांव उससे प्रभावित हैं। मैंने परसों मा0 राजस्व मंत्री जी को एक पत्र दिया उन सारे गांवों के बारे में मान्यवर 30–40 गांव हैं अगर इस पर भी मा0 मंत्री जी विचार कर लें तो मैं बहुत आभारी होऊंगा। आपने समय दिया, धन्यवाद। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सबसे पहले ऊर्जा मंत्री जी ने घोषणा की कि इस उत्तरांचल प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनायेंगे इसका मतलब यहां इतनी बिजली उत्पन्न होगी कि यहां औद्योगिक और सभी तरह का विकास होगा। यदि वे कर सकें हमारी शुभकामनायें हैं और यह ऊर्जा प्रदेश बन सके इन्फ्रास्ट्रक्चर में ऊर्जा और सड़क जिस पर हम रोज जोर दे रहे हैं यह राज्य हित में है। नम्बर–2 जो बात मुन्ना सिंह जी ने कही, नलकूप एक बहुत बड़ी समस्या है भावर की और देहरादून की यहां दो जगहों की, मुझे पता नहीं भावर की तो बड़ी समस्या नलकूप की है जैसा कि मा० सिंचाई मंत्री जी ने घोषित कर दिया इतना बजट दिया है, जब मुझे पता नहीं इसका एक तो लो वोल्टेज के कारण नलकूप नहीं चल पा रहे हैं, यहां पानी बहुत नीचे है भावर में खुदाई में पैसा ज्यादा खर्च होता है तो सारी चीजों का जैसे सोयाबीन पहले समाप्त हो गया हम सिंचाई भी नहीं कर सकें कुछ कीड़े आदि की भी परिस्थितियां बतायी गयी। मान्यवर, नलकूप भी किसान से जुड़ा हुआ है और सम्पन्नता से जुड़ा हुआ है आपने कहा कि मैन्टीनेन्स का पैसा नहीं था और हमने पैसा बढ़ाया है मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं थी पैसा बढ़ाने से व्यवस्था आपकी पूरी हो गयी। नम्बर–2 लो वोल्टेज की वजह से नहीं चल रहा है। सामान्य समस्या नहीं है, किसान दौड़–दौड़कर आते हैं। लो वोल्टेज की प्रॉब्लम की उस जगह स्थायी व्यवस्था हो जाय, लो वोल्टेज हो जाती है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जहां नलकूप हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उसमें वोल्टेज प्रॉब्लम मैन्टीनेन्स प्रॉब्लम और आपने विभाग को वापस करने के आदेश दिये इससे तो समाधान होगा नलकूप के माध्यम से सिंचाई होगी।

..........गौला नदी का बाढ़ से सारा ऊधमसिंह नगर तक का इलाका जो पूरा कट–कट कर गिर रहा है और बिन्दु खत्ता तक जाता है और हर बार बाढ़ में करोड़ों रुपये की क्षति होती है तो मान्यवर, उस बाढ़ नियंत्रण में भी हमारे सिंचाई मंत्री जी गौला नदी बाढ़ से काफी परिचित हैं, उसके बारे में भी कुछ करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

* श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, सिंचाई हमारे किसानों की समृद्धि से जुड़ा हुआ है, सिंचाई की समुचित व्यवस्था यदि हमारे प्रदेश में होगी तो निश्चित रूप से कृषक समृद्धिशील होगा और कृषि की उपज बढ़ेगी। मान्यवर, अभी ट्यूबवेल की बात की गयी। मेरे क्षेत्र में 40 ट्यूबवेल 85 ट्यूबवेल खराब हैं तो मान्यवर, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पहले नये ट्यूबवेल को मत लगाइये, पहले पुरानों को ठीक करियेगा। साथ ही साथ जो गूल थी वह भी अधिकतर टूटी पड़ी हैं तो गूल नहीं होगी तो सिंचाई नहीं होगी तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनके गूलों की मरम्मत करायी जाये और जो खराब ट्यूबवेल हैं उनको ठीक कराये जायें। रि–बोरिंग की जहां आवश्यकता हो, रि–बोरिंग करायी जाय। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था थी कि जो कृषक अपने आप डीप बोरिंग नहीं करा सकते थे, ट्यूबवेल नहीं लगा सकते थे सीमान्त कृषक होते थे तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि उसमें 2–3 लाख रुपया खर्च होता है उनकी इतनी समृद्धि नहीं होती थी तो एक लाख रुपया आज भी उत्तर प्रदेश सरकार अनुदान के रूप में उन्हें देती है, वह हमारे प्रदेश हित में भी होगा, क्योंकि ऐसे–ऐसे कृषकों को प्रोत्साहन मिलेगा तो उनकी कृषि की उपज बढ़ेगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यहां भी लागू करें ताकि कृषकों को इस प्रकार का प्रोत्साहन मिले। मान्यवर, जो कैनाल इरीगेशन हैं हम लोग भुक्तभोगी हैं, क्योंकि गंगा कैनाल का कुछ हिस्सा हमारे यहां है जहां हमारे माननीय काजी का क्षेत्र है जहां गंगा कैनाल से सिंचाई होती है वहां मेरा गांव भी पड़ता है, पहले वहां पर पानी गूलों को बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन पिछले साल से बाकी गूलें वहां नहीं बनी। पानी का रिसाव तो ज्यादा हो तो है और उससे पानी की क्षति होती है और ठीक प्रकार से किसानों को पानी नहीं मिल पाता है इसलिए पक्की गूलों का कार्यक्रम चालू कराया जाये, यह मेरा आपसे निवेदन है, जहां तक रुड़की में इरीगेशन की बहुत सी बिल्डिंग खाली पड़ी हैं, वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग्स बहुत सी खाली पड़ी हैं तो मैं चाहता हूं कि उनका सदुपयोग हो और इस तरह से कहीं हम न घर के रहें और न घाट के रहें, बात नहीं होनी चाहिए क्यों हरिद्वार कहीं उत्तर प्रदेश का और उत्तरांचल के बीच लटक के न रह जाये, तो मैं चाहता हूं कि जब भी यह गंगा मैनेजमेन्ट बोर्ड बना तो जब भी बिन्दुओं पर विचार हो, तो हरिद्वार जनपद की समुचित व्यवस्था वहां के कैनाल के रख–रखाव इत्यादि की जिम्मेदारी क्योंकि, हरिद्वार उत्तरांचल में सम्मिलित हो गया है तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि उत्तरांचल सरकार ही उसके रख–रखाव की व्यवस्था करें क्योंकि आप तो जानते हैं कि सौतेली मां तो अपने सौतेले पुत्र को दूध भी नहीं देती है, तो वह हमें सौतेला पुत्र ही समझेंगे।

मान्यवर, जहाँ तक ऊर्जा की बात है, एक तो यह चिन्ता का विषय है, जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि 977.85 मेगावाट की यहाँ क्षमता है और केवल 372 मेगावाट करीब–करीब 400 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं, आधे से कम। तो मान्यवर, इसमें सुधार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब हम थे तो हर विधायक को 5–5 गाँव दिये गये थे कि आपकी संस्तुति पर उनका विद्युतीकरण किया जाएगा या अगर किसी विधायक का विधान सभा क्षेत्र शहरी क्षेत्र में है तो 20 लाख रुपये उस विधायक को अपने क्षेत्र में विद्युतीकरण करने या बिजली की समुचित व्यवस्था के लिए दिये जाते थे। यह पिछले वर्ष हमें नहीं मिला। तब हम उत्तर प्रदेश में ही थे जब हम परिसम्पत्ति का बंटवारा करते हैं तो यह उनका दायित्व है। जब बजट में पैसे का प्राविधान किया गया है तो वो हमे पैसा क्यो नही देते हैं। यह तो एक प्रकार से उनकी हठधर्मिता हो गयी है। जितने हमारे यहाँ एम0एल0ए0 हैं उनका जो पैसा पास हुआ है, वो तो उन्हें देना ही चाहिए। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि तारों की स्थिति बहुत जर्जर है। नंगे तार डाल कर गाँव में बिजली दी जाती है। क्या यह एक कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था नहीं हो सकती कि जितना उत्पादन आप कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रिब्यूशन भी उसी मात्रा में हो रहा है या नहीं। यह आपके बिलों से पता चल जायेगा, आप कितनी बिजली चोरी कर रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और जो यह बिल आते हैं, लोगों के पास बहुत देर से पहुंचते हैं। मैंने देखा है कि बिल जमा करने के लिए एक–एक व्यक्ति का 4–5 घंटे इंतजार करना पड़ता है। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था

बनायी जाय, क्योंकि यह एक कल्याणकारी सरकार है, जिससे उन लोगों को सुविधा हो और ट्रांसफार्मर की चोरी तथा इनका बदला जाना सुनिश्चित होना चाहिए। ट्रांसफार्मर जो जल जाते हैं, वो कम क्षमता के होते हैं और उनमें लाइनें बहुत दे दी जाती हैं। उनका रिप्लेसमेन्ट बहुत दिनों बाद हो पाता है और जिससे गर्मी के दिनों में परेशानी होती है, ट्यूबवेल भी नहीं चल पाते। इसलिए ट्रांसफार्मर की व्यवस्था भी सुनिश्चित और टाइम बॉण्ड होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

काजी मो0 मोहिउद्दीन— मान्यवर,

वाए बज्म में इतना तो मीर न देखा,
फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही।

शायद माननीय विद्युत मंत्री के ऊपर मीर साहब सैकड़ों साल पहले यह शेर कह गए। जब आप तशरीफ ला रहे थे तो बिजली थी, फिर भाग गयी। मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि 2 प्रतिशत सिंचाई गंगा और जमुना से उत्तरांचल को होती है और बाकी दूसरे प्रदेशों को होती है। मैं यह जानना चाहता हू कि इस दो प्रतिशत में जिला हरिद्वार भी जोड़ा है आपने या नहीं। ...

..........मान्यवर, हो यह रहा है कि सिंचाई वो होती है, हमारे यहां एक रजबहा है, शर्की रजबहा, मंगलौर, वो बार–बार टूटता है, हम बार–बार नहर वालों को इत्तला करते हैं, डी0 एम0 को इत्तला करते हैं। उसकी पटरी की मरम्मत नहीं होती है, फिर सारे लोगों के चालान होते हैं कि आपने रजबहा काटा है, इस प्रकार मान्यवर, किसानों पर दोहरी मार पड़ती है। हमें शिकायत दर्ज कराने के लिए मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है और अब तो मुजफ्फरनगर वालों ने भी सुनना बन्द कर दिया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आखिर हम हैं कहां ? हम उ0 प्र0 में हैं या उत्तरांचल में। मान्यवर, नलकूप अक्सर खराब पड़े रहते हैं, जब हमारी सरकार उ0 प्र0 में थी, तब हमने यह तय कर दिया गया था कि बी0 डी0 ओ0 जिम्मेदार होगा। वहां कोई किसान इत्तला कर दें कि नलकूप खराब है तो बी0 डी0 ओ0 ठीक करवायेगा, लेकिन अब वो कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं हैं। मजबूरन हमें डी0 एम0 से कहना पड़ता है। मान्यवर, उत्तरांचल में दो ही चीजें तो हमें अच्छी दी हैं। एक डी0 एम0 और एक सी0 एम0। (व्यवधान) मान्यवर, नलकूप की जो नालियां मेरे खेतों के पास हैं वे टूट–फूट गयी हैं। हम कहते हैं कि ये हमें दे दो, हम ठीक करा लें। अग्रवाल साहब की चिट्ठी मेरे पास है। 20 लाख रुपये को कोई प्रस्ताव बिजली में दे दें, इंजीनियर आये थे और वो प्रस्ताव लेकर गये थे, फिर पता नहीं क्या हुआ हम तो उत्तरांचल की सरहद में अटक गये, पता नहीं 20 लाख का क्या हुआ ? उसका अभी तक पता नहीं चला, नरेश अग्रवाल का एहसान हो गया और काम दो रुपये का भी नहीं हुआ। मान्यवर, एक चीज मैं यह बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)—

मान्यवर, मैं एक निवेदन कर दूं, अगर आप कृपापूर्वक सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस ले लें तो आपको कोई दिक्कत उत्तरांचल में नहीं होने देंगे।

काजी मो० मोहिउद्दीन–

मान्यवर, अगर आपकी पार्टी यह आश्वासन दे दे लिखित में कि जीते जी आप उत्तरांचल के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो मैं मुकदमा वापस ले लूं।

समाज कल्याण, पंचायतीराज, तकनीकी शिक्षा, कारागार, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता मंत्री (श्री नारायण राम दास)–

माननीय अध्यक्ष जी काजी जी ने कहा कि जीते जी मुख्यमंत्री बने रहे मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई मरने के बाद भी सी० एम० रहता है।

काजी मो० मोहिउद्दीन–

मान्यवर, जंगल में कोई निजी लकड़ी काट लेता है तो उसके पीछे पुलिस लग जाती है। इसके लिए आपको प्रतिबन्ध हटाना चाहिए। जो लोग बिजली के कटिया डालते हैं उनको कोई नहीं पकड़ता। मान्यवर, अगर कोई बिजली की कटिया डालते हुए पकड़ा जाये तो पकड़ने वाले को 40 हजार या 50 हजार का ईनाम मिलना चाहिए। तभी पुलिस के लोग और बिजली विभाग के लोग बिजली चोरी करने वालों को पकड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुन्ना सिंह चौहान के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। ....

*श्री के० सी० सिंह बाबा–

मा० अध्यक्ष जी, मा० मुन्ना सिंह जी ने जो डिटेल में भाषण दिया और उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं उन्होंने बहुत कम बातें छोड़ी, पूरी बातें कवर कर दी। हमारा एरिया प्लेन से अलग है तराई का भाभर हमारा ऊधमसिंह नगर जहां पर जब बाढ़ आती है तो हमारा एरिया में कटान होता है। पहाड़ के तराई में और प्लेन्स में बाढ़ आने के बाद भूमि का कटान नहीं होता है। हमारे यहां बहुत क्षति हो जाती है। इसी तरीके से मान्यवर मेरा थोड़ा सा सुझाव यह था। मैं अपने एरिया का उदाहरण देना चाहता हूं केलाखेड़ा है, वहां पर 2–3 सड़कें हैं वह बाढ़ के कारण कटने वाली हैं इसके लिए मैंने कार्यवाही की थी मगर आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई जो खर्चा 2–3 साल पहले आने वाला था अब 10 गुना खर्चा हो जायेगा केवल भूमि कटने से रोडें खराब हो गयी है। मान्यवर, एक गांव है जबलपुर जो दलितों का है उसमें 100 प्रतिशत दलित लोग रहते हैं और जो नूरपुर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है ये दो गांव हमारे यहां बरसात ज्यादा हो जाये तो ये दोनों गांव वहां से बह जायेंगे। नूरपुर का तो बहुत ही पुराना किस्सा है कि कोसी नदी व एक अर्जुन नाला है वहां से बाढ़ आती है तो हम लोगों को जंगलात से हाथी लेने पड़ते हैं तब उन लोगों के लिए खाना पहुंचाना पड़ता है और इसके बचाव के लिए आज से करीब 20–25 साल पहले एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसको केवल आप यह समझिये कि डाईग्राम बनाने और उसका मॉडल बनाने में उस टाइम पर लाख व दो लाख रुपये आयी थी। इसका विकल्प यही है मान्यवर, नूरपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांव को वहां से कहीं और जगह बसा दिया जाये। इसमें बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और दूसरा गांव है वह नगरपुर, जो 100 प्रतिशत दलित भाई रहते हैं वहां ढेला नदी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का प्रभाव है और वहां भी बहुत बुरी तरीके से कटान होता है और लोग पिछले दो वर्ष पूर्व मरते–मरते बचे हैं वहां पर भी हम लोगों ने कार्यवाही करने की बात की थी। अगर उस समय पैसा मिल जाता तो हमारी सरकार का इतना पैसा खर्च नहीं होता आज जो स्थिति आ गयी है हमारे यहां जो कटान,नदियों के किनारे के गांवों में हो रहा है मेरी समझ में इसको बचाने के लिए अभी कार्यवाही की जाय तो इसमें काफी बचत हो जायेगी अगर हम इसको नेगलेट करते हैं फिर हम इसका बचाव कर ही नहीं सकते हैं इसमें इतना खर्चा आ जायेगा इसको वहां से हटा कर दूसरी जगह दे दी जाय।

* श्री भारत सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी मैं विद्युत मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जब उत्तरांचल बना हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा यह है कि सबसे ज्यादा हमारे पास जो जल सम्पदा है, उसका उपयोग करें और उसका उपयोग करके विद्युत उत्पादन करें और वही विद्युत उत्पादन हमारे सारे प्रदेश का जो आर्थिक ढांचा है उसको मजबूत करेगा और आर्थिक लाभ होगा ये उसके पीछे भाव थे। उ0 प्र0 के साथ रहकर के हमें दुखद बात यही रही कि उ0 प्र0 ने हमारी नदियों का खूब सर्वेक्षण किया, सारे प्लान बने।

..........लेकिन विद्युत योजना बहुत कम हैं जहां हमारी यह अपेक्षा है कि एक्सपर्ट के अनुसार 30 हजार मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करने की क्षमता हमारे पास है, लेकिन उन्होंने बहुत कम किया है और आज भी हम मानते हैं कि जो उत्तरांचल बन गया है हमारा सबसे बड़ा स्रोत विद्युत उत्पादन है। मान्यवर, जहां इस समय विद्युत उत्पादन हो रहा है जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा वह मात्र 300–400 मेगावाट है और हमारी जो क्षमता है वह लगभग 1 हजार मेगावाट है और इस तरह से पुरानी स्कीमें हैं, मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सारी पार्टी को छोड़कर के क्यों हम इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी ओर ध्यान दें और इसकी ओर ध्यान देकर के हम चिन्हित करें कुछ योजनायें जो निर्माणाधीन हैं जैसे अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना प्रस्ताव रखा है कि मनेरी भाली हुआ लखवाड़ व्यासी हमारी जो विष्णु प्रयाग की परियोजना है इस प्रकार का जो काम हो रहा है यह तो होंगे, लेकिन उसके अलावा 2–3 बात हमने रखी हैं, एक तो यह रखा है कि हमारी जो लम्बी योजनायें हैं जो काफी वर्षों में बनेंगी, धन का आवंटन करना हमारी सोच से बाहर तो है, लेकिन हम विदेशी–स्वदेशी जहां भी हो पूंजीनिवेश करके इनको प्राथमिकता दें तब हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात इस समय जो हमारे दो प्रकार के और जिसमें बिजली पैदा होती है, माइक्रो हाईड्रिड स्कीम हमारे पास लगभग 22 लम्बित पड़ी थी, जिनका लगभग ए0एम0ओ0 स्वीकृत होना था। प्राइवेट एजेन्सी, लघु विद्युत निगम यह बन रहे थे तो इसको भी प्राथमिकता से जल्दी बनना चाहिये था तीसरी जो विद्युत पैदा करने का श्रोत है वह है नेडा, वैकल्पिक ऊर्जा का एक विवाद है उसमें, हमारे गांव में छोटे–छोटे घाट का पानी चलता है उन योजनाओं में माइक्रो हाइड्रिड बन रहा है बहुत अच्छी है तो उनको प्राथमिकता हम देंगे। दूसरा है ऐरो जनरेशन, जहां बिजली पैदा होती है हवा से जहां बिजली नहीं जा सकती है तो हम को इस पर काम करना चाहिए। अभी हमें जो सूचना मिली है कि उत्तरांचल में नेडा को समाप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जा रहा है मैं चाहूंगा जल्दी बिजली पैदा करने के लिए नेडा को जैसा वो था उसका अलग ही अस्तित्व रखा जाये, ताकि हम को इसका लाभ मिले, क्योंकि उससे हमारे जो सोलर पैनल गांव में लगे हैं उसको भी अच्छे ढंग से लाभ मिल रहा है।

दूसरी बात हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्र में जो विद्युतीकरण गांव का हुआ है, 30 प्रतिशत हुआ है, हर ब्लाक के हिसाब से 60 से ज्यादा कोई नहीं है। विद्युतीकरण होगा नहीं, 5 गांव अगर आप बना भी दें तो एक साथ उसमें लगेगा। मैं सोचता हूं इक्कीसवीं सदी पार हो जायेगी और इस बीच हम बहुत बिजली भी पैदा कर देंगे, लेकिन गांव में बिजली नहीं दे पायेंगे। हमारे पास साधन नहीं हैं हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन आर0ई0सी0 जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है जो हर स्टेट को पैसा देता है, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में भी विद्युतीकरण हुआ उसके बाद रोक दिया गया कि उत्तर प्रदेश से उनको पैसा नहीं दिया है, क्योंकि हमारा नया राज्य बना हुआ है, इससे आर0ई0सी0 को लेकर के आर0ई0सी0 से नाबार्ड से जो भी कोई एजेन्सी हों उनके माध्यम से हम लोग इस काम को करें, दूसरी बात जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं उसका विद्युतीकरण के नाम से एकदम से प्रचार हुआ, जैसे हेमलेट गांव छूट गये, गांव का कुछ हिस्सा छूट गया। हमने मान लिया कि विद्युतीकरण होगा, लेकिन वास्तव में विद्युतीकरण नहीं हुआ आज भी जो विद्युतीकरण करें, ग्राम सभा को मैं समझता हूं कि ग्राम सभा को यूनिट मानकर के ग्राम सभा के अन्दर कोई योजना, कोई परिवार न छूटे सम्पूर्ण रूप से उसे करने की आप कृपा करें। मैं थोड़ा नेहरू के बारे में कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि पहाड़ों में 80–90 प्रतिशत जो हमारे छोटे–छोटे चैनल हैं वह सबके सब बन्द पड़ी हैं और एक साल पहले उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नियम बना कि वह सारे का सारा पंचायत को हैण्ड ओवर हो गयी और पंचायतों के पास पैसा नहीं तो वह बनी नहीं, विभाग को पैसा नहीं देगा, तो उनकी मरम्मत हुई नहीं।

मान्यवर, हमारे पहाड़ों में भी बहुत अच्छा उत्पादन होता है, पहाड़ों में भी बहुत अच्छी घाटियां हैं वहां पर सिंचाई का बहुत अच्छा प्रबन्ध होता है। मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी जो योजनायें टूटी–फूटी हैं, पहले हमारा लक्ष्य उन योजनाओं को ठीक करने के लिए हो और दूसरा जो लो–वोल्टेज की प्रॉब्लम है, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर हैं, उनके जो सब–स्टेशन बनने हैं, उनको भी पूरा करने का लक्ष्य होना चाहिए। अब मैं अधिक न कहते हुए माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री लाखी राम जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री जी ने उत्तरांचल में सिंचाई की जो कठिनाइयां थीं उनके निस्तारण की दिशा में बहुत अच्छा प्रयास किया है। मुझे जानकारी है कि वर्ष 84–85 से उत्तरांचल में एक भी नई नहर का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृत नहीं किया था। 1985 से एक प्रकार से नई नहरों के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी और जो पुरानी अधूरी नहरें हैं, उनका निर्माण भी पूरा करने के लिए किसी प्रकार के बजट की व्यवस्था नहीं की जाती थी और जो पुरानी नहरें बनी

हुई हैं, उनके रख–रखाव के लिए भी किसी प्रकार से बजट में प्राविधान नहीं किया जाता था और यदि प्राविधान किया भी जाता था तो उत्तर प्रदेश के मैदानी जिलों को प्राथमिकता दी जाती थी और पर्वतीय क्षेत्र की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, सिंचाई की नहरें हैं, उनको नजर–अन्दाज कर दिया जाता था। माननीय मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और जो सिंचाई की नहरें बनी हुई हैं लेकिन अब सिंचाई के योग्य नहीं रह गयी हैं, बहुत सी ऐसी नहरें हैं, गधेरों में बाढ़ के कारण उनके हैड पूरी तरह से कट गये, कहीं एक किलोमीटर कट गयी तो कहीं आधा किलोमीटर नहरें पूरी तरह समाप्त हो गयी, उन नहरों के पुनर्गठन के लिए अनुरक्षण मद में माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था की है। अधूरी नहरें, जो वर्षों–वर्षों से प्रस्तावित हैं, उनके निर्माण का कार्य नहीं हुआ, उन नहरों के निर्माण के लिए और नई नहरों के निर्माण के लिए भी व्यवस्था की है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। उत्तरांचल में जो सिंचाई की व्यवस्था है, वो बहुत कष्टदायक है। इंजीनियर जो काम पर लगे हुए हैं, उन पर अब तक कोई नियंत्रण नहीं था, परिणामस्वरूप ऐसी नहरों का निर्माण किया गया।

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जिनके हैड नीचे हैं और टेल ऊपर हैं, मान्यवर, उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए थी, उनको दण्डित किया जाना चाहिए था, लेकिन उ0 प्र0 की लचर व्यवस्था में यह सम्भव नहीं हो पाया। हम आशा करते थे कि कार्यों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार लाने के लिए उत्तरांचल सरकार विशेषकर माननीय सिंचाई मंत्री जी इस दिशा में प्रयास करेंगे।

मान्यवर, मेरे टिहरी विधान सभा क्षेत्र में, मैं 1991 से जब से विधायक बना लगातार 2–3 नहरों के बारे में एक अलेरू नहर है। मान्यवर, उसका हेड नीचे है और टेल ऊपर है मैं तब से लगातार निवेदन कर रहा हूं, कई उसमें समितियां गठित हुई, कई जांच बिठाई गयी और उस जांच का क्या परिणाम हुआ वह अभी तक मेरे संज्ञान में आया ही नहीं। हेड नीचे है, टेल ऊपर है। पानी चढ़ ही नहीं सकता। सिर नीचे और पॉव ऊपर। मान्यवर, दूसरी नहर भटगांव नहर है, गोलगंज में। उसका भी हैड नीचे और टेल ऊपर हो गया। ऐसी खम्भारवाल नहर है। मान्यवर, उसका भी हेड नीचे और टेल ऊपर है। मान्यवर, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी बहुत से लोगों ने जिन्होंने इस प्रकार की बेइमानी की, ऐसे लोगों ने उत्तरांचल में रहने का विकल्प दे दिया और उनको प्रमोशन भी मिल गया, अच्छे–अच्छे पदों पर वे लोग बैठे हैं तो आज हम उनसे कैसे सुधार की अपेक्षा कर सकते हैं। आज आवश्यकता यह है कि जिन्होंने इस प्रकार का गलत काम किया है, उनको दण्ड दिया जाय, उनके भ्रष्ट कार्यों का पर्दाफाश किया जाय, तब जाकर हम कुछ सुधार कर सकते हैं और भविष्य के लिए जो हम काम कराने वाले हैं माननीय मंत्री जी ने बजट में बहुत अच्छी धनराशि की व्यवस्था की है, नये निर्माण कार्य हैं, अनुरक्षण कार्य है और अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए अगर इस प्रकार से यह बंदरबाट चलती रही तो मान्यवर, उसका सदुपयोग नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने बजट में व्यवस्था तो की है, लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग हो, इस बारे में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं बिजली के बारे में बता देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में बरनूड़ी एक गांव है वहां पर विद्युत विभाग ने आज से लगभग 10 वर्ष पहले विद्युतीकरण करवा दिया था आज वहाँ एक भी खम्भा नहीं है, तार टूट गये वो लोगों के कपड़े सुखाने के

काम आ रहे हैं, खम्भे भैंस बांधने के काम आ रहे हैं और कागजों में विद्युतीकरण हो गया। ऐसा ही क्रेट गांव है, कीमट गांव है वहां भी स्थिति यह है कि विद्युतीकरण हो गया कागजों पर, लेकिन वहां पर अभी तक बिजली के दर्शन लोगों को नहीं हुए हैं। ऐसा ही मान्यवर, एक खोला गांव है। वहां भी खम्भे गड़े नहीं, तार बिछे नहीं और कागजों में विद्युतीकरण हो गया। ऐसे बहुत से गांव हैं जहां फर्जी विद्युतीकरण दिखाया गया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात ला रहा हूं कि यह जो अनियमिततायें हैं, आज भी विद्युतीकरण का जो कार्य हो रहा है वह मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है। मिट्टी में खम्भे खड़े कर दिये जाते हैं, थोड़ी सी बारिश हुई, मिट्टी गीली हुई और थोड़ा हवा का झोंका आया और खम्भा गिर गया। थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया जाय। इसमें खम्भे जब खड़े करते हैं तो उसमें सीमेन्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, विशेष रूप से गुणवत्ता के बारे में मेरा निवेदन है कि जो भी हम कार्य करा रहे हैं, जिसके लिए हम धन की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर हमारा यह उद्देश्य है कि जनता को लाभ हो तो उसका समुचित लाभ जनता को होना चाहिए। यह नहीं कि आज हमने खम्भे खड़े किये और कल वो गिर गये। फिर लोगों को बिजली विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं और तब तक ठेकेदार भी चला जाता है। इतना निवेदन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी द्वारा जो ऊर्जा के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में जो बजट की व्यवस्था की गयी है उसका पुरजोर समर्थन करते हुए, उनको बधाई देते हुए और साथ में यह भी निवेदन करते हुए कि गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए कोई इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। ....

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ऊर्जा और सिंचाई दोनों ही विभाग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उत्तरांचल राज्य नया–नया बना है जो बजट आज मा0 मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसकी आलोचना समालोचना नहीं की जा सकती है। अगर हम यह देखें कि जो भी प्रयास मा0 मंत्री जी ने किये हैं वह बहुत ही सराहनीय और बधाई के पात्र हैं। उसमें तो सभी पक्षों के द्वारा उत्तरांचल के हित में ऊर्जा के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर सकती है अपने–अपने सुझाव दे सकते हैं। श्रीमन्, मैं बहुत कम शब्दों में ऊर्जा और सिंचाई के संबंध में कहूंगा, बहुत सी बातें हमारे साथियों ने कही जैसा मैंने बताया ऊर्जा ही एक ऐसा हमारा आर्थिक स्रोत बन सकता है, हमारे उत्तरांचल के लिए, उसमें मैं अपना एक सुझाव दे सकता हूं। एस0 आर0 वाई0 का और डी0 आर0 वाई0 का पैसा हमारे पास आता है, वह सब आज तक खड़ंजों में चला गया, खड़ंजे दूसरी बार दिखायी नहीं देते। इस साल दिखायी देते हैं दूसरे साल फिर डिमाण्ड आ जाती है। मेरा अनुरोध होगा क्योंकि वह भी एक विकास कार्य में खर्च हो रहा है जैसे घराट सुधारीकरण के लिए योजना है एक किलोवाट की, दो किलोवाट की बिजली हम गांव–गांव में पहुंचा सकते हैं। एस0आर0वाई0 का पैसा खड़ंजे में न डालकर उसका एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। हमारा आज आर्थिक विकास अच्छी तरह नहीं है हम बहुत बड़े माइक्रोहाइड्रिल बना सकें एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है कि सारा पैसा जो हमको मिल रहा है, 80 प्रतिशत पहले तो हम कहेंगे इसके 100 प्रतिशत भी हम अगर खर्च कर दें तो कोई दिक्कत

नहीं होगी अगर दो साल हम लगातार खर्च करेंगे तो वास्तव में 2 साल बाद हम देखेंगे आज हम जो एक गांव में विद्युतीकरण जहां हम पहुंचा नहीं सकते वहां पहुंच भी जाती है, 10 किलोमीटर लम्बी लाइन दे करके, क्योंकि हमारा विद्युत विभाग कामर्शियल विभाग है हम अगर उसका टैक्स नहीं लेंगे तो बिजली कैसे पहुंचायेंगे। ऐसे गांवों का विद्युतीकरण हुआ जहां 10 किलोमीटर तक लाइनें गई हैं एक गांव का विद्युतीकरण हुआ है, कनेक्शन वहां देखें तो 5 कनेक्शन अगर हम उसका औसत निकालें तो बिल्कुल विरोधाभास है। एक तो हमारा निवेदन है कि इन योजनाओं के लिए इन मदों से भी खर्च करके उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकते हैं दूसरा श्रीमन बिजली आज हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। बिजली हम इसलिए नहीं पहुँचा पा रहे हैं जो वास्तव में हमारे पास कर्मचारियों का स्टाफ होना चाहिए था वह नहीं है।

मैं पिथौरागढ का आपको उदाहरण देता हूँ जो 84 में हाइडिल विभाग आपके पास पूरे दो जनपद चम्पावत में जो स्टाफ था, 2001 में वह आधा रह गया है तो श्रीमन, लाइनमैन जो था उसकी मृत्यु हो गई। मृतक आश्रित में उसकी पत्नी को नौकरी दे दी , मान्यवर, पत्नी तो पोल पर चढ़ नहीं सकती उसके बाद हमने उसकी व्यवस्था नहीं की। एक ओर गंगोली हाट इतना बड़ा ब्लाक है। एक लाइनमैन है जो उसको देखता है। बिजली होते हुए भी हम नहीं पहुँचा पाते। इतने बड़े जिले के हिसाब से भी जो आवश्यकता यहाँ कर्मचारियों की है उतने कर्मचारी यहाँ रख दें । श्रीमन्, जैसा हमारे चौहान जी ने हमारे साथियों ने भी कहा था कि पर्वतीय क्षेत्र में बिजली कभी 10 घन्टे, कभी 12 घन्टे, कभी 16 घन्टे कहीं–कहीं गाँव में 2–3–4 दिनों तक लाइनमैन की कमी के कारण बिजली नहीं पहुँच पाती है। ....

यह स्थिति यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में उद्योगों की चक्की है जो हमारी एक नार्म्स हैं कि बिजली रहे या न रहे, हम 25 सौ या 12 सौ जो भी हो वह हम लेंगे और वह वहाँ के गरीब लोगों के लिये बहुत महंगा पड़ता है उसमें श्रीमन्, थोड़ा यह संशोधन हो जाये कि कितने घन्टे उनको बिजली मिल सकती है। हम यह सुधार कर सकते हैं कि कितने घन्टे बिजली मिल रही है। उसका हम पैसा ले लें। श्रीमन् एक निवेदन यह है कि पिथौरागढ में 96 में 132 के0वी0 का सेंक्शन सब स्टेशन का हुआ था पैसा भी 4 करोड़ रुपया उसमें दे दिया गया था अभी तक उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है न कोई कार्य हो रहा है, श्रीमन्, उस पर विशेष रूप से रूची लेंगे इसी ढंग से।

श्रीमन् 2 शब्दों में सिंचाई विभाग के बारे में बता दूं। सिंचाई विभाग के बारे में अभी तक जो उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो नहरों का काम हुआ है। 90 प्रतिशत हमारी नहर बन्द हैं उस समय उत्तर प्रदेश के हिसाब से नहरों का काम हुआ । मैदानी क्षेत्र में जिनको नहर कहा जाता है या पर्वतीय क्षेत्र में जिन्हें नहर कहा जाता है वह मैदानी क्षेत्र में गूल होती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश का बजट जो निर्धारित हुआ था वहां तो हमारे लिये बजट मास्टर गूल होगा भी और यहाँ नहर होगी जो बजट वहां उत्तर प्रदेश से उस समय था। जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि आज भी पर्वतीय क्षेत्र के नहरों के लिये जो मानक हमने निर्धारित किया है वही उत्तर प्रदेश वाला है वहां तो 90 डिग्री 80 डिग्री की तल्हटी में मास्टर गूल बनाते हैं इसी समय भी बरसात के सीजन के अलावा भी कभी बरसात आ गई तो वह गूल भर गये हैं इसीलिए मुख्य रूप से सारी जो नहरें बन्द थी उसका मुख्य कारण यह था। श्रीमन्, बरसात चाहे मई–जून महीने में आये चाहे कभी भी आये वह गूलें बन्द हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफी अवरोध पैदा होता है श्रीमन्, इस मामले में जो हमारे हाईड्रम की बात आई थी, जब वहां चैम्बर में बैठक हुई थी उस समय कहा कि अभी एक डिमान्ट्रेशन पंतनगर युनिवर्सिटी में हीरो हाण्डा की

तरफ से दिया गया वह भी बहुत अच्छा इसलिये लगा कि जहां पर हम हाईड्रम बना रहे हैं और हाईड्रम भी गूलों के द्वारा वहां पर बनते हैं, उन्होंने जो 2 पम्प अभी तक दिये हैं एक 10 हार्स पावर, 5 हार्स पावर का उसका काम भी इतना ज्यादा नहीं है साढ़े 18 हजार का बड़ा पम्प है और छोटा है साढ़े 10 का, उसके द्वारा हम 100 मीटर के ऊपर पानी लिफ्ट कर सकते हैं, आज जो हम हाईड्रम या सिंचाई गूल बना रहे हैं उससे आधे खर्च में जैसे हम पेयजल कि लिये स्टोर टैंक बनाते हैं, स्टोर टैंक को नीचे से बनाकर जहां से पानी को हम ऊपर उछाल सकते हैं। ऑफ सीजन वेजीटेबिल, फूलों की खेती में उपयोग किया जा सकता है जिससे कि लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा अपने स्वर्गद्वार में दिला सकते हैं ऐसी योजना हमारी बन जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मंत्री जी से, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं और अगले साल हम यह समालोचना करेंगे कि पिछला साल हमारा कैसा गया। हमारा निवेदन है, ऊर्जा और सिंचाई विभाग से कि हम आगे की योजना कैसे बनायें, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का, जो उन्होंने एक सफलतापूर्वक प्रयास किया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, नेता जी ने कहा कि लाल रंग सबके लिए खतरनाक होता है ऐसा नहीं है सबके लिये नहीं होता है एक महिला गई, दुकान पर और उसने यह कहा कि मुझे ग्रीन लिपिस्टिक दो। उसने कहा, ग्रीन तो होती नहीं रेड होती है, या ब्लैक होती है कहने लगी मुझे तो ग्रीन चाहिए। उसने कहा क्यों, तो वह कहने लगी, कि मेरा ब्वाय फ्रेंड रेलवे में इंजन चलाता है।

* श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऊर्जा और सिंचाई का काफी गुणात्मक सुधार इस बजट में लाया गया, उनके द्वारा मान्यवर सिंचाई का जहां तक प्रश्न है उत्तरांचल में तमाम जल सम्पदायें हैं, लेकिन अपार जल सम्पदाओं के उपरान्त भी पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक स्थितियों के कारण हमारी तमाम नहरें क्षतिग्रस्त हैं और उन क्षतिग्रस्त नहरों के रख-रखाव के लिये माननीय मंत्री जी द्वारा 6.50 करोड़ का प्राविधान इस बजट में किया गया है और योजना के लिये 6.38 करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान किया गया है। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं लघु सिंचाई के लिये जो भी कार्य किया जाता है उनके रख-रखाव के लिये कोई प्राविधान इस बजट में अभी तक देखने में नहीं आया है।

मान्यवर, मैं तो अनुरोध करूंगा कि लघु सिंचाई नहरों के निर्माण का प्राविधान आप इसमें करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अगर मैं विकास खण्ड लमगड़ा के बारे में बताऊं, 20-25 किलोमीटर हमारी जो नहरें हैं, वो जीर्णोद्धार के लिए लम्बित पड़ी है लेकिन वित्तीय अभाव के कारण इन योजनाओं में अभी कोई निर्माण कार्य चल नहीं पा रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे ताकुला, हौलबाग में है, 15.96 किलोमीटर की दूरी में कोई कार्य नहरों में नहीं किया जा रहा है। धौलादेवी में 27.26 किलोमीटर में तमाम योजनायें आज हमारी लम्बित पड़ी हैं। मान्यवर, आपने अनुरक्षण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य के लिए 650 लाख रुपये का बहुत अच्छा प्राविधान किया है, इन योजनाओं के रख–रखाव के लिए आप आदेश करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मान्यवर, यहां ऊर्जा उत्पादन की अपार सम्भावनाएं हमारे उत्तरांचल राज्य में हैं और ये हमारी आय का प्रमुख स्रोत भी बन सकता है। आज जल विद्युत निगम का गठन भी हो गया है जितनी हमारी पुरानी लम्बित योजनायें थी, जैसे मनेरी भाली हैं, लखवाड़ व्यासी है, इनमें तेजी से कार्य प्रारम्भ होगा, ऐसी आशा बंधी हुई है। इसी के साथ हमारे इस नवगठित राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने का श्रेय भी आप को जायेगा। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनसे आप भिज्ञ हैं। जो विद्युतीकरण पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर किया जाता है, एक गांव का विद्युतीकरण आपके द्वारा किया जाता है लेकिन वो पूरा गांव उसमें सम्मिलित नहीं होता उसमें कुछ तौके, कुछ मजरे और चूंकि हमारे गांव बिखरे हुए होते हैं, इसलिए उनमें पूरा विद्युतीकरण नहीं हो पाता। एक क्षेत्र में विद्युतीकरण होने के उपरान्त उस सारे गांव को विद्युतीकृत मान लिया जाता है। मान्यवर, मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भी कोई योजना आपकी बने और चाहे इसमें आपको पैसे का प्राविधान और करना पड़े, पूरा गांव, ग्राम सभा के अन्दर जितने भी मजरे, जितने भी तोक राजस्व ग्राम हैं, उनका विद्युतीकरण किया जाय और दूसरा मेरा अनुरोध यह है कि बहुत सारे सड़े हुए पोल हैं, उनकी वजह से बहुत खतरा बना रहता है। मात्र 300 पोल प्रति वर्ष प्रति जिला आपका प्राविधान है, उसको बदला जाय, उनमें सड़े हुए पोलों को बदलने का भी प्राविधान किया जाय।

तीसरा मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अल्मोड़े के अन्दर एक कोसी नदी है। मान्यवर नियोजन खण्ड सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा द्वारा 30 वर्ष से लगातार उसका मापन किया जा रहा है, वहां पर लघु जल विद्युत परियोजना के लिए एक डैम प्रस्तावित है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा वो जो हमारा पारब के पास, उसमें कोई डूब क्षेत्र नहीं है, वो अल्मोड़ा के लिए एक वरदान साबित होगा। अल्मोड़ा एक प्राचीन जिला है और जनसंख्या के आधार पर बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है, इसकी सिंचाई के साथ पेयजल भी इससे उपलब्ध होगा। 50 किलोमीटर प्रस्तावित बांध था। मान्यवर, मेरा अनुरोध । है कि एक बार इसको दिखवा लीजिए। मैंने इसमें प्रश्न लगाया था तो आपका जवाब आया था कि इसमें पानी कम है। मान्यवर, कोसी नदी में बहुत पानी है। एक बार उसको दिखवा लेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा।..................

मान्यवर, कोसी एक पुरानी नदी है। एक बार इसको दिखवा लें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। 132 के0वी0ए0 का सब–स्टेशन श्यालदेघार के पास प्रस्तावित है। उसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति आपने दे दी है। इसके अभाव में आज अल्मोड़ा में लगातार रोस्टिंग चलती रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 132 के0वी0ए0 का जो सब–स्टेशन स्वीकृत है, उसे आप तुरन्त स्थापित करवा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी आपने सिंचाई, ऊर्जा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने बजट में

पर्वतीय क्षेत्र में जो नहरें हैं वे अतिवृष्टि और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उन नहरों के लिए आपने जो विशेष प्राविधान रखा है उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जो नहरों का निर्माण किया जाता है, उन नहरों का निर्माण उस क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही उन नहरों का निर्माण कराया जाये। जैसे मेरे क्षेत्र में पतेत नहर है। आज से 22 साल पहले उस नहर का निर्माण किया गया था सिचाई विभाग द्वारा। उसके बाद उसी नदी में सिंचाई विभाग द्वारा 4 नहरों का और निर्माण किया गया। रानीखेत नहर का निर्माण किया गया, भूमि पट्टा नहर है जिसका निर्माण कराया गया। जो गांव हैड में हैं वहां तो पानी चल रहा है और जो तल में हैं पतेत नहर से 8–10 गांवों में सिचाई की जाती थी आज वहां 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। वह रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ गाव है। इसलिए पतेत नहर में लिफ्ट योजना द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करायी जाय। इसी प्रकार एक भुवानी नहर है। उस नहर से सिंचाई विभाग द्वारा 3 नहरों का निर्माण किया गया और विकास खण्डों के द्वारा भी एस0आर0आई0 के तहत कई नहरों का निर्माण किया गया। पेयजल योजना का भी निर्माण किया गया। जैसे कि भुवानी नहर में आज वहां पर जहां 50 हे0 भूमि से सिंचाई की जाती थी, आज सिंचाई नहीं हो पा रही है। वह भी रामगंगा नदी के किनारे है। इसलिए वहां भी लिफ्ट योजना शुरू करायी जाये। विद्युत क्षेत्र में जहां 2–2 टरबाईन लगी है, पानी की कमी के कारण वहां पर केवल एक टरबाईन काम कर रही है। जून के महीने में पानी का मापन होना चााहिए। इसी प्रकार से कोलागाद हैं, छड़दे हैं जो आपकी विद्युत परियोजनायें हैं उसमें भी दो–दो टरबाईन की जगह एक टरबाईन काम कर रही है वह भी रात को क्योंकि दिन में कृषक अपने खेतों की सिचाई करते हैं। रात को उस परियोजना के लिए वहां पानी मिल पाता है। माननीय मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं वे 1–10 तक ग्रेड में नदियां बहती हैं। जहां पर घराट बनाये जाते हैं उसके नीचे कम से कम 3–4 घराटें बने क्योंकि हम एक–एक घराट से बिजली उत्पादित कर सकते हैं और केवल एक उस चैनल से 4–4 घराटें बन जाएंगी। विशेषकर तोकों की बात की थी जो छूटे हुए तोंक हैं उनका विद्युतीकरण किया जाय। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जिन ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण किया गया था उसमें आधे गांवों को बिजली दी गयी है। जिसमें मैंने प्रश्न भी किया था लेकिन आपने कहा इसमें कोई मानक नहीं है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 2–3 साल पहले जिन गांवों को विधायक कोटे से विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत किया गया था उनमें आधे गांवों को बिजली दी गयी है। इस प्रकार जो छूटे हुए गांव हैं उनको भी बिजली दी जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री ज्ञान चन्द–

मान्यवर, सिंचाई और ऊर्जा के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस बात के लिए हम सभी सदस्यगण उ0 प्र0 की विधान सभा के अन्दर चिन्ता व्यक्त करते थे क्योंकि उ0 प्र0 से हम लोगों को नॉन प्लान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का बजट बहुत ही कम मिलता था। इसमें आपने काफी बढ़ोत्तरी की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बजट का सदुपयोग होगा। मान्यवर, काफी बातें और सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा यहां पर दिये गये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि चन्द विषयों और नीतिगत विषयों पर आप अपनी बात कहें। मान्यवर, जो बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, 6000–10,000 की मान्यवर, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर हर साल बर्फ गिरने से पोल गिरते रहते हैं। हर साल पोलों के मैन्टीनेन्स के लिए, दुबारा खड़ा करने के लिए काफी बजट का प्राविधान किया जाता है। मैं आज भी इस बात का दावा करता हूं कि गंगोत्री, यमुनोत्री में या बद्रीनाथ, केदारनाथ जो रूट हैं वहां पर पोल गिर गये थे आज भी वह पोल सही नहीं किये गये होंगे इसमें मैं गारन्टी के साथ कहना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि यहां पर जो भविष्य में उत्तरांचल की कोई विद्युत नीति बने ऐसे स्थान पर अन्डरग्राउन्ड लाइन बिछाने का सुझाव रखना चाहता हूं। हर साल लैण्डस्लाइड से जितनी भी हमारी नहरें बन रही हैं वह वॉश आउट हो जाती हैं। दो सौ, तीन सौ फीट पर हमारी जो नहरें बनायी जाती हैं वह वॉश–आउट हो जाती हैं, वह दोबारा बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से वहां पर दोबारा नहरों का निर्माण हो सकता है क्योंकि न ऐसी जगहों पर पम्पिंग के द्वारा वहां सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मा० ऊर्जा मंत्री जी से जो हमारा तिलोथ पावर हाउस है, पिछले 12 तारीख को पानी रिसने से जलमग्न हो गया था आपके प्रयास से वह पुनः चालू हो गया है।

जनपद उत्तरकाशी में अभी तक 16 परियोजनायें ऐसी हैं गंगा नदी, यमुना नदी और टोन्स नदी कई ऐसी शाखा नदियां हैं उनमें प्रस्तावित हैं। मैं मा० मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें करोड़ों रुपये का बजट इन्कैशमेन्ट हो चुका है। एक परियोजना है मा० मुख्यमंत्री जी का भी आश्वासन आया, मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि इसमें 60 से 65 प्रतिशत काम हो चुका है विभागीय हमारे जो कर्मचारी हैं उनके पास अच्छे इंजीनियर हैं करा सकते हैं, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं हर साल कुछ न कुछ बजट देकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का प्रयास करते। मान्यवर, यह सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। दूसरा निवेदन मैं अवश्य करना चाहूंगा सौर ऊर्जा के संबंध में बहुत से हमारे ऐसे गांव हैं जहां पर पेड़ काटने की अनुमति नहीं होने से वहां पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से हम वहां के गांवों का विद्युतीकरण की व्यवस्था कर सकते हैं। इस स्कीम को भविष्य में चालू रखा जाय और एक बात शिकायत के रूप में अवश्य करना चाहूंगा जो ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों के लिए कार्य है हमारे उत्तरकाशी जनपद में नेडा विभाग द्वारा गैस लालटेन ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में न देकर जहां विद्युतीकरण हो चुका है, ऐसे क्षेत्रों में इसका आवंटन किया है। इसकी जांच मैं मा० मंत्री जी से करवाना चाहूंगा। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में कई ऐसे गधेरे हैं, नाले हैं, छोटी–छोटी नदियां हैं जिन पर छोटे–छोटे पुलों की बहुत आवश्यकता है। पुलों के लिए बजट की बढ़ोत्तरी की जाय। मैं इसी के साथ मा० मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत तेजी से मैं 4–6 बातों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा।

श्री हरबंस कपूर–

श्रीमन्, 2 मिनट का समय दे दीजिये, बोलने के लिये।

श्री अध्यक्ष जी–

ठीक है, 2 मिनट बोल लीजिये।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ आपने ऊर्जा एवं सिंचाई के बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं मा0 ऊर्जा एवं सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, सिंचाई से संबंधित माननीय मंत्री जी ने जो व्यवस्था की है, निश्चित रूप से वह बधाई के पात्र हैं जो अनुरक्षण की व्यवस्था बजट में की गई है निश्चित रूप से उन पुरानी नहरों को इससे लाभ मिलेगा और साथ–साथ जो नई योजनाओं को सम्मिलित किये जाने के लिए भी हम आभारी हैं। मान्यवर, देहरादून निगम क्षेत्र पूरे उत्तरांचल का एकमात्र निगम है और शहर के बीचों–बीच नहर जाती है और विभाग द्वारा उसकी ओर ध्यान न दिये जाने के कारण आज वह धीरे–धीरे गन्दे नाले में तब्दील हो रही है, कई जगह पर सीवर के मेनहोल उसमें खुले हैं, डेरी वाले अपना गोबर उसमें डालने लगे हैं जिससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि कृपया इस ओर ध्यान दें जो नहर एक बहुत अच्छे सौन्दर्य का स्वरूप प्रदान कर सकती है शहर को, वह आज एक समस्या बनी हुई है। इस प्रकार से देहरादून शहर के बीचों–बीच सिंचाई विभाग की भूमि है आज वहां पर कोई नहर नहीं रह गई है, पक्के मकान बन गये हैं, दुकानें बन गई हैं, बाजार बस गये हैं परन्तु जो पट्टे पर भूमि किसी समय दी गई थी आज उस भूखण्ड की कीमत करोड़ों की है, अगर उस भूमि को जो पट्टेदार हैं या जो कब्जे हैं और उनसे लेकर फ्रीहोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाये तो निश्चित रूप से करोड़ों की जो आय होगी विभाग को वह नहरों के रख–रखाव में काम आयेगी। इस प्रकार से एक जो बहुत बड़ी समस्या जो अन्डरग्राउन्ड वाटर की बन गई है। आज कच्ची नहरें पक्की नहरें बन गई हैं जहां कच्ची जमीन थी वहां मकान बन गये, पक्की सड़क बन गई और जिस प्रकार से अन्डरग्राउन्ड वाटर का रिचार्ज होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है, जिससे वाटर लेवल दिन–प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। इस प्रकार से ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से कहूँगा कि गत वर्ष शहरी क्षेत्र के विधायकों के लिये 20 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था परन्तु वह राशि न मिलने के कारण जो कार्य होना था, नहीं हो पाया, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने देहरादून को भी उन शहरों में सम्मिलित किया है कि जहां पर लाइनों का सुधार होना है ......

तो मान्यवर, जहां तक विभागीय अधिकारियों की बात है, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि विद्युत विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसके अधिकारियों और कर्मचारियों पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। कोई पोल सड़ जाए, गिर जाए, उसके लिए प्रयास करने के बाद भी उसका समाधान नहीं हो पाता है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। दिनांक 28–4–2001 को पेयजल से सम्बन्धित एक बैठक जिलाधिकारी देहरादून के कक्ष में हुई। संजय कॉलोनी

पार्ट-2 में पेयजल की व्यवस्था के लिए एक जगह देखी गयी है। न जाने किस कारण से और किस प्रकार से विद्युत विभाग वालों ने वहां पर खम्भा भी लगा दिया और झोपड़ी भी बन गयी। और विद्युत विभाग ने उसमें कनेक्शन भी कर दिया। मान्यवर, आज यह एक समस्या बन गयी है कि जहां पर विद्युत विभाग को काम करना चाहिए, वहां पर तो वह नहीं करता लेकिन जहां पर नहीं करना चाहिए, वहां पर रातों-रात काम हो जाता है, यह चिन्ता का विषय है। विद्युत विभाग से सम्बन्धित एक बात और कहना चाहता हूँ, जल विद्युत परियोजनायें सस्ती बिजली का निर्माण करती हैं परन्तु गलत नियोजन के कारण पूर्व में अनेकों जल विद्युत परियोजनायें एक साथ बननी शुरू तो हो गयी, परन्तु आजतक अधूरी की अधूरी पड़ी हैं। माननीय मंत्री जी ने जो परियोजनायें बन्द पड़ी हैं उनको पुनः चालू करने की बात कही है, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि उन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लें जो वर्षों से अधूरी पड़ी हैं, जिससे जनता एवं प्रदेश को उनका लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, दो-चार महत्वपूर्ण बातें छूट गयी हैं, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जब वे अपना उत्तर-भाषण करें तो उन बातों को उसमें रेखांकित करें। मान्यवर, सिंचाई विभाग की जो नयी मदें हैं, उसमें 4 करोड़ के करीब का प्राविधान किया गया है और इसी तरह से नदी-नालों के कटावों के सम्बन्ध में दो करोड़ रुपयों का प्राविधान किया गया है, इनके अलावा एक महत्वपूर्ण मद है, इमर्जेन्सी फ्लड स्कीम, इसके बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि आमतौर पर सिंचाई विभाग द्वारा स्पर्श बना दिये जाते हैं, तटबंध बना दिये जाते हैं, उसे हम बाढ़ सुरक्षा समझ बैठते हैं। हकीकत यह है कि यहां पर जो रेन फैड रिवर हैं, जिनमें केवल बरसात में पानी आता है, उनकी जो सेंटर है, उनमें यदि नॉन वर्षाकाल में ट्रेंचिंग का इन्तजाम करें तो निश्चित रूप से पानी का जो बहाव है, बीच में जाने की उसकी प्रवृत्ति बनेगी और पानी इधर-उधर नहीं फैलेगा। इसे मैं सुझाव के रूप में रख रहा हूँ। सिंचाई योजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में आप 4 करोड़ रुपये रखें, 10 करोड़ रुपये रखें, ये मेरा कंसर्ट नहीं है, वृहद परियोजनाओं की हम बात करेंगे, ये भी नाकाफी होगा, इसका दोगुना रखेंगे वो भी नाकाफी होगा। मेरा सुझाव यह है कि कुछ परियोजनायें आपके पास हैं, जैसे एक परियोजना मेरे क्षेत्र में है, उसका नाम है ल्यूनीप्लासा, आपके अभियन्ता आपको बतायेंगे कि ये ऐसी परियोजना है जिसको सस्ते में बनाया जा सकेगा, 80-85 लाख में यह योजना बनेगी और जब आप इसके कॉस्ट फैक्टर पर ध्यान देंगे तो 50 पैसे प्रति यूनिट की भी लागत इसमें नहीं आती तो इस जैसी छोटे आकार की और थोड़े धन की परियोजनाओं से अच्छा खासा 50 मेगावाट का जनरेशन मिलेगा, तो इसको आपको तुरन्त टेक-अप करना चाहिए। इस तरह की परियोजनाओं को ही संभवतः हम निजी सेंटर भी कह सकते हैं। ....

मान्यवर, जब भी हम बड़ी परियोजनाओं की बात इस सदन के अन्दर करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी मजबूरी है कि हमें बाहर से मदद लेनी पड़ती है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाहर से मदद लेने का मतलब यह नहीं कि हम अपने रिसोर्स को परमानेन्टली बन्द कर लें। मेरा कहना यह है कि यदि हम भारत सरकार का उपक्रम बनाकर के आपको यदि जी0एस0पी0सी0 पैसा बाजार से ले सकता है तो हम अपने प्रदेश के पावर कारपोरेशन के मार्फत क्यों बाजार से पूंजी इकट्ठा नहीं कर सकते। हम क्यों अपने प्रदेश की सरकार का कारपोरेशन बनाकर जी0एस0पी0सी0 के पैटर्न पर हम क्यों बाजार से पूंजी को इसमें मोबीलाईज नहीं कर सकते, आप बॉण्ड्स जारी कर सकते हैं। ये मेरा महत्वपूर्ण सुझाव है, लेकिन बनाने का और उसके अन्दर इक्विटी का निर्धारण करके निश्चित रूप से इण्डिया गवर्नमेन्ट की इक्विटी उसके अन्दर पड़ी होनी चाहिए, हमारा नियन्त्रण होना चाहिए तभी हम पावर कारपोरेशन से ठीक से काम करा सकते हैं। श्रीमन्, जो ए0पी0डी0पी0 प्रोग्राम है। मेरा ही नहीं सम्भवतः यह सदन पूरी जानकारी चाहता है। ए0पी0डी0पी0 प्रोग्राम पावर सेक्टर को रिवाक करने से सम्बन्धित है जिसके बारे में आपको प्रकाश डालना चाहिए, सदन के अन्दर बताना चाहिए। ए0पी0डी0पी प्रोग्राम के तरह कौन सी चीजें जरूरी है, जिसको मानक बनाया गया जिसके आधार पर हमें इसमें सहायता मिलती है, ताकि उसके हिसाब से प्रत्येक जगह पर उसमें सहयोग किया जा सके। एक महत्वपूर्ण जो समाज के निचले तबके का जो आदमी है, गरीब है, झुग्गी–झोपडी में रहने वाले, 1–2 कमरों के मकान में रहने वाले उनको पहले कुटी ज्योति और जनता कनेक्शन दिये जाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस स्थिति को बिदड़ा करके हमने निश्चित रूप से एक भारी गलती की, एक अन्याय उन लोगों के प्रति किया है। मैं चाहूँगा कि कुटी ज्योति और जितने कनेक्शन का आप रिस्टोर करने का काम करें। श्रीमन्, बजटरी का जो आउट–ले है उस पर नजर डालते हैं। मैं 3 सालों के बजट की चर्चा कर रहा हूँ। 98–99 में उ0प्र0 में लखवाड़ प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रखा गया था, 99–2000 में 67 करोड़ रखा गया, उत्तरांचल में आ करके यह शून्य हो गया। यदि हम यह बतायें कि आपका पावर कारपोरेशन इसे खुद बनायेगा उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जो नई मदें हैं उसके पेज नं0 23 पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। पेज नं0 23 नहीं श्रीमन्, पेज नं0 24 और 25 ऊर्जा की मद में इसमें लिखा गया है कि नवगठित उत्तरांचल राज्य में पावर कारपोरेशन में विनियोजन में 5 करोड़ रुपये रखे और ए0पी0डी0पी0 योजनाओं के अन्तर्गत ऋण को मंजूर किया 10 करोड़ रुपये। श्रीमन्, आप खुद समझ सकते हैं कि पावर सेक्टर जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर को इतनी नामिनल धनराशि से क्या होगा। सदन में मैंने कहा, अम्बरीष जी ने कहा, उधर के सदस्यों ने भी कहा जो हम खैरात बांटने वाली परियोजनाओं में धन लगा रहे हैं जिससे कोई रिटर्न नहीं मिलता, उस पैसे को डाईवर्ट करके हम पावर सेक्टर में लगायें और आप कहते हैं कि उत्तरांचल सरकार की 2–3 साल की बिल्कुल कन्सल्टेड अप्रोच होगी कि हम पावर सेक्टर में पैसे को पम्प करेंगे और कम से कम मनेरी भाली, लखवाड़ व्यासी, प्यूनी पलासू परियोजना को निकाल करके आयेंगे। तब तो लगता कि आपका जो संकल्प है उसमें कोई मजबूती है, वरना यह बात निहायत झूठी है। माननीय पुनेठा जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, कन्टूर कैनाल के बारे में। यह तयशुदा बात है कि पहाड़ के अन्दर हर कन्टूर कैनाल है। बरसात के बाद वह वाश आउट हो जाता है। उसके लैप्टोलेशन के लिए हम कहीं न कहीं नीति का निर्धारण हमें

प्लान में इसको लाना चाहिए जबतक हम इसको नान प्लान में झांकते रहेंगे कि मरम्मत का काम है लिहाजा हो नहीं पाता। नहरें पड़ी रहती हैं।

मैं अपना व्यवहारिक तजुर्बा दूँगा। ऊर्जा सेक्टर में यहां से श्री अम्बरीष जी आते हैं, लक्सर से वहां पर एक रायसी गांव है। उसके पास 33/11 के0वी0ए0 का सब स्टेशन बनने का काम चालू है, लेकिन बहुत धीमी गति से हो रहा है। अच्छा होगा श्रीमन्, आपका निर्देश जायेगा तो तेजी से काम होगा। जिस क्षेत्र से मैं ताल्लुक रखता हूँ मेरा गांव नागथा, विकास खण्ड कालसी है वहां एक सब स्टेशन बना है हाई एटीट्यूट एरिया का है। एक सब स्टेशन लोकल बने तो नियरबाईज विलेजेज में जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है जैसे हो सकता है उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर–भाषण करें तो बता दें कि कटौती करने का अधिकार रुड़की कण्ट्रोल को है या मुरादाबाद को या कुमायूं सम्भाग को है। ....

मान्यवर, कटौती का अधिकार आपके पास है कटौती आज भी यू0पी0 कारपोरेशन कर रहा है वह बुनियादी सवाल है यदि कटौती का अधिकार आपके पास है हम यह भी जानना चाहते हैं कि कितना पावर आज की तारीख में इम्पोर्ट कर रहे हैं और जो जनरेशन आपके पास है कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं डिमाण्ड और सप्लाई के बीच में गैप कितना है अगर वह गैप आपकी कटौती से मैच करता है या गैप आप कुछ दर्शाते हैं कटौती कुछ है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, आदरणीय कपूर साहब ने कहा, श्रीमन्, सिंचाई विभाग का एक परमानेन्ट काम परम्परागत रहा है, सीटीज के अन्दर ड्रेनेज का काम। आप सहमत होंगे सिंचाई मंत्री जी ड्रेनेज के काम से सिंचाई विभाग ने परमानेन्ट मुँह मोड़ लिया उनको कोई पूछता नहीं। डेवलपमेंट अथॉरिटी निर्माण का काम ले रहा है वह डेवलपमेंट तो पूछता नहीं कि नदी नाले किधर बनने हैं तथा ड्रेनेज कहां को हो। ड्रेनेज होता क्या है डेवलपमेंट अथॉरिटी कैसे नाली बनाती है मेरे घर से नाली बनाई किसी दूसरे घर पर उस नाली को छोड़ दिया। श्रीमन्, ड्रेनेज का मतलब यह था कि जो वर्षा का पानी और गंदा पानी जो किसी नाले में जाता था जिसको सिंचाई विभाग ले–आउट करता था कहीं सिंचाई विभाग के कैनाल को ओवर फल्ड करेगा ये तमाम सारी बातें थी। सिंचाई विभाग तो ड्रेनेज का काम करता नहीं, कर इसलिए नहीं रहा है उसको कोई पूछता नहीं है ड्रेनेज के लिए ड्रेनेज का काम सिंचाई विभाग ठीक से करे इसके लिए सिंचाई विभाग की अथॉरिटी को भी मजबूत बनाने की जरूरत है। श्रीमन्, इन चन्द सुझावों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। मा0 मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि मेरे इन छोटे–छोटे सवालों का उत्तर भी अपने उत्तर–भाषण में जरूर दें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं सोच रहा था कि मा0 मुन्ना सिंह चौहान जी प्रस्ताव भले ही कटौती का रख रहे हैं परन्तु आखिर में तो कटौती नहीं करेंगे क्योंकि मैं स्वयं बड़ा दुखी हूँ मैं दुखी तो नहीं कहता परन्तु यह जो कटौती का प्रस्ताव है कहीं न कहीं मैं उससे प्रभावित तो रहता हूँ लोग सुबह से शाम तक कहते हैं क्यों कटौती हो रही है। मैं सोच रहा था कि मा0 मुन्ना सिंह चौहान जी उत्तरांचल में नयी परम्परा डालेंगे अगर वे एक रुपये की कटौती की जगह एक रुपये की बढ़ोत्तरी लाते तो मैं सोचता था कि उनका इतना अच्छा

सुझाव होगा लेकिन कटौती की वही परम्परा शुरू कर दी। कोई बात नही, आपने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जैसा प्रारम्भ में कहा यह सुझाव और बिजली दोनों महत्वपूर्ण हैं। मा0 सदस्यों ने काजी साहब, इन्दिरा जी, सैनी साहब ने, भारत सिंह जी ने, लाखी राम जी ने, ज्ञान चन्द्र जी ने, हरबंस जी, सभी लोगों ने दोनो विभागों के लिए जो अच्छे सुझाव हो सकते हैं। अच्छे सुझाव आप लोगों की तरफ से आये मैं सब को लूँगा जो सुझाव आपने दिये हैं उनको अगर बिन्दुवाइज में बोलने लग जाऊँगा तो मैं सोचता हूँ कि शायद इतना महत्वपूर्ण विषय आ रहे हैं शिक्षा है तथा अन्य विषय हैं मा0 मुख्यमंत्री जी के पास महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर आप सुनना चाहेंगे मैं तो कहना चाहता हूँ कि कोई दो–तीन विषय को हल्का–हल्का टच करता जाऊँगा बाकी आपके विषय को संज्ञान में ले लूँगा। मेरा आपसे अनुरोध यह है मैं आप सबको और विशेषकर मुन्ना सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ उन्होंने कहा कि आपकी प्रायर्टीज क्या हैं, आप कितनी चीजें एक साथ शुरू कर देंगे 10 चीजें शुरू कर दी उनमें से एक भी पूरी नहीं होगी। मा0 कपूर साहब ने, कई और ने भी इस विषय को कहा कि आप जो भी योजना शुरू करें वह योजना पूरी होनी चाहिए।

हम लोग वास्तव में इसी लाइन पर चल रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम योजना टेकअप करेंगे उस योजना को आगे बढ़ाने के बाद जब तक आश्वस्त न हो जायें कि वह योजना पूरी होगी तब तक हम दूसरी व्यवस्था नही करेंगे। मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ, कल एक बात माननीय सदस्य ने कही थी कि गन्ने से क्यों नहीं बिजली का उत्पादन होता है। मैं आप लोगों को यह सूचना देता हूँ कि हम इस दिशा में काफी आगे बढ़ गये हैं, भारत सरकार भी पहल कर रही है और जो विशेष अधिकार रखते हैं वह निश्चित रूप से गन्ने से बिजली पैदा करने का काम बहुत जल्दी ही करेंगे। उसी दिशा में हम लोग अग्रसर हैं।

मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूँगा पर एक विषय और बताना चाहता हूँ। सिंचाई विभाग के बारे में आज की जो स्थिति है इसमें कुल क्षतिग्रस्त नहरें 736 हैं, जिनमें से आंशिक चालित हैं, 301 और अतिवृष्टि से चल नहीं रही हैं और 61 नहर तो ऐसी हैं जो चल ही नहीं सकती हैं, ऐसा उनका मानना है। यह तो अद्यतन सिंचाई की नहरों की स्थिति है, जो पिछली स्थितियां हैं उस ओर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, मान्यवर, आपने विशेष कर सस्ती लोकप्रियता वाली बात कही, मैं सोचता हूँ कि सस्ती लोकप्रियता के लिये कम से कम हम कोई काम करने वाले नहीं हैं ऐसे भी हम कदम उठा रहे हैं इसलिए सस्ती लोकप्रियता का काम नहीं, माननीय मुन्ना सिंह जी ने जो बात की है एक अच्छा सुझाव अन्त में था कि बिजली से क्यों नहीं लेते क्यों नहीं उत्तरांचल विद्युत कारपोरेशन बॉण्ड क्यों नहीं जारी करते, जो भी सम्भावनायें हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही उसके सुपरिणाम निकल कर सामने आयेंगे। एक बात और मैं बता दूं कि जो 79–3 को उल्लेख किया था उसको 64 के साथ जोड़कर क्या बोल सकते हैं उस पर मैंने पहले ही बोल दिया कि जो भी 69 में जो भी चीजें हैं जो आपने कहा उसके बारे में निश्चित रूप से कोई समझौता नहीं करेंगे। मान्यवर, आपने यह रिपेरियल स्टेट्स के बारे में जो बातें कही हैं हम लोगों को उससे लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए इस प्रकार से प्लेन रोड फैक्टर हैं मिनी माइक्रो हाइड्रिल हैं इन सब के बारे में हमारा चिन्तन है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, पावर हाऊस तो सब डूबे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चिन्ता हो रही है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हमारा आपसे निवेदन यह है कि एक पावर डूबा आपने कहा सभी पावर डूब गये, एक–दो डूब गये। तो, यह मशीन है कभी खराब भी हो सकती है।

मान्यवर, काफी लोगों ने नलकूपों के बारे में कहा माननीय काजी जी ने भी कहा, अम्बरीष जी ने भी कहा, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा, माननीया इन्दिरा जी ने कहा। ....

मान्यवर, जहां तक नलकूपों की बोरिंग का सवाल है, आपने कहा एक लाख रुपये की उसमें सब्सिडी दी जाती है। डीप बोरिंग में हम लोग भी यहां एक लाख रुपया सब्सिडी दे रहे हैं। इसके अलावा भी अनुसूचित जाति के लिए 5 हजार रुपया, सीमान्त कृषक के लिए 4 हजार रुपया, लघु कृषक के लिए 3 हजार रुपया, इसी प्रकार से जो जनजातीय क्षेत्र की कूप योजना है, उसके लिए भी हमने बोरिंग के लिए 50 प्रतिशत देने का जिला परियोजना के अन्दर प्राविधान किया है। इसी के साथ–साथ जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भाभर क्षेत्र के जो 198 नलकूप हैं, उन्हें वापस लेने की योजना भी बना रहे हैं। इसी प्रकार से जो आपने मीटरिंग के बारे में कहा, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, लोग मीटरिंग लगाने को तैयार हैं। 2–3 जगह का मेरा अनुभव है, वहां के लोगों ने तथा वहां के जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें हमें सहयोग दिया। निश्चित रूप से हरिद्वार जनपद में भी जनता इसे खरीदना चाहती है। मैंने कहा कि इसे प्राइवेट से खरीद लीजिए, उसकी टेस्टिंग हमारा विभाग कराएगा और टेस्टिंग करा कर आपको दे देगा। इस प्रकार से यदि हम देखें कि पिछले अप्रैल और इस अप्रैल में हमारी कितनी इन्कम हुई तो पिछले अप्रैल में जहां 20 करोड़ भी नहीं था, इस बार हमारी इन्कम 25 करोड़ तक पहुँच गयी है, सामान्य रूप से अप्रैल में कम रिवेन्यू आता है। आपने कहा कि इसमें कहीं 5 करोड़ है, कहीं तो कुछ है ही नहीं। आप कहां इतना करोगे। तो वास्तव में हमारा जो पावर कारपोरेशन है, यह कन्ज्यूमर से पैसा लेता है इसलिए हमने उसमें खर्चा भी कहीं नहीं दिखा रखा है। पावर कारपोरेशन में डेवलपमेंट के लिए हम कर्ज के रूप में सरकार से पैसा लेते हैं। अगर हमारी मीटरिंग ठीक से हो गयी तो मेरा मत है कि जो लाइन लॉसेज चल रहे हैं, निश्चित रूप से यह भी आप सबके सहयोग से आगे ठीक हो जाएगा और रिवेन्यू भी बढ़ेगा। हम अपने ही फाइनेन्स रिसोर्सेज से इन योजनाओं को आगे चालू कर पायेंगे। इस दृष्टि से आपने एन0 चन्द्रेय या बाकी विशेषज्ञों की बात की है, उनके अलावा भी बहुत से विशेषज्ञ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे।

मान्यवर, बाढ़ योजनाओं के बारे में आप लोगों की कुछ बातें आयी थी। माननीया इन्दिरा जी ने भी विशेषकर गोला नदी का जिक्र किया। गोला नदी के लिए अभी जो टी0ए0सी0 बैठी है, उस टी0ए0सी0 में योजना स्वीकृत हो गयी है। उसके लिए धन की भी व्यवस्था करेंगे। दो योजनायें हैं, एक तो 30.89 लाख की है और दूसरी 37.77 लाख रुपये

की है, वो भी हमने स्वीकृत कर दी है। माननीय अम्बरीष कुमार जी ने संभवतः होपपुर वाली योजना के बारे में बताया कि वो कितनी बार स्वीकृत हो चुकी है, उसके लिए पैसा भी स्वीकृत हो गया है। हम निश्चित रूप से उसको भी दिखायेंगे। माननीय सैनी जी ने, माननीय कपूर जी ने, माननीय अम्बरीष कुमार जी ने 20–20 लाख रुपये की बात कही। आप लोगों को नरेश जी 20–20 लाख रुपया दे गये, अब मैं नरेश तो हूँ नहीं तो नरेश जी ने आपको जो आश्वासन दिया उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि शहरी क्षेत्र में ए0पी0डी0पी0 के अन्दर जो तीनों योजनायें हैं, निश्चित रूप से उन योजनाओं में आप लोगों का परामर्श अवश्य लिया जाएगा। ....

मान्यवर, माननीय काजी साहब मुझसे बहुत कम काम के लिए कहते हैं, ये तो सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी से करा लेते हैं। पहली बार आपने मुझसे मंगलौर सब स्टेशन के लिए कहा है। इसकी मैं व्यवस्था करवा दूँगा। माननीय के0सी0 सिंह बाबा जी यहां पर नहीं हैं, उन्होंने ऊधमसिंह नगर की योजनाओं के बारे में कहा है, उन योजनाओं में कुछ योजनायें टी0ए0सी0 में आ गई हैं। मान्यवर, कुछ लोगों ने अभी पता नहीं माननीय मुन्ना सिंह जी ने कहा या किसने कहा कि नेडा के अन्दर कुछ काम नहीं हो रहा है, नेडा खत्म हो गया है। मान्यवर, नेडा अगर खत्म हो गया होता तो पिछली बार उसके लिए 6–7 करोड़ रुपये मिले थे, हमने इस बार 26–27 करोड़ की इसमें व्यवस्था की है। इसलिए नेडा को खत्म नहीं किया गया है। उत्तरांचल का जो वैकल्पिक ऊर्जा का संस्थान है वह बहुत जल्द ही बनकर तैयार हो रहा है। उसके द्वारा सब चीजें की जायेंगी। इसी प्रकार से आपने जो 22 छोटी परियोजनाओं के लिए कहा है, उनको हम बहुत जल्दी ही अमल में ला रहे हैं। आर0ए0सी0 के बारे में आपने कहा। माननीय जोशी जी ने भी विशेष बात कही, गुणवत्ता के बारे में। हमारा विशेष प्रयास इस दिशा में होगा। हमारी सरकार का तो मानना है, हर काम में गुणवत्ता होनी चाहिए। हमारी कोशिश यह रहेगी अब पिछले जमाने में सब उल्टा काम हुआ, अब कम से कम उल्टे काम नहीं होंगे। अब बहुत ज्यादा गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है।

श्री लाखीराम जोशी–

मान्यवर, जिन्होंने निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया है, उनका प्रमोशन हो गया है और वे नहीं हैं। मान्यवर, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इस प्रकार का पिछले 5–7 साल का कोई केस होगा तो उस पर कार्यवाही करेंगे। अब 20 साल पुराने केस में क्या एक्शन लेंगे। आपने जिन नहरों के बारे में बताया है उसका मैंने संज्ञान ले लिया है। जिन गांवों में बिजली के बारे में कहा है, मैं उसको तुरन्त ही दिखवाऊँगा कि उसमें बिजली क्यों नहीं है। माननीय पुनेठा जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं सोचता हूँ कि हमारे अधिकारीगण और हम सब किसी दिन मिलकर विचार कर लेंगे। इस सुझाव का मैं स्वागत करता हूँ। माननीय मुन्ना सिंह जी कह रहे हैं कि बिजली अप्रेन्टिसों का क्या है। मैंने उनसे कहा मेरी अप्रेन्टिसशिप पूरी हो जाने दो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करूँगा। मैंने उनको आश्वासन दिया है। इसके लिए

आप निश्चित रहिये। जितनी चिन्ता आपकी है उतनी ही चिन्ता हमारी भी है। निश्चित रूप से हम लोगों ने अपने शिक्षा मित्र, शिक्षा बंधु इस प्रकार के कुछ काम किये हैं। कुटीर ज्योति की बात आई है, मैं अभी सुनिश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन हम इसके गुण–दोष को देखकर इस पर विचार करेंगे। माननीय चुफाल जी ने कहा कि एक नहर पहले बनी उसके बाद उसी से 3 नहरें बन गई। अनेक नहरों में पानी नहीं आता है, जिन नहरों की चर्चा कर रहे हैं अगर वहां पानी नहीं आता है और वहां लिफ्ट लगाने की जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि अतीत में योजना सम्बन्धी कोई बहुत बड़ी गलती हुई है और भविष्य में इस प्रकार की गलतियां न हों, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इस प्रकार की गलतियां तो किसी भी विभाग में होनी ही नहीं चाहिए। ....

मान्यवर, मा0 ज्ञान चन्द जी ने हमारे हाई अल्टीट्यूट पर किस प्रकार से नयी व्यवस्था हो सकती है, मैं तो यह नहीं कह सकता हूँ तत्काल हाँ कर दूँ, सुझाव अच्छा है उन पर पुनः विचार करेंगे। बाकी मैं सोचता हूँ कपूर साहब मेरी थोड़ी कठिनाई यह है कि मैं तो सदन के अन्दर जल स्तर पर नहीं बोल सकता।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, उ0प्र0 की तर्ज पर क्या नेता सदन यह घोषणा करेंगे कि हर विधायक की संस्तुति पर 5–5 गाँवों का विद्युतीकरण इस वित्तीय वर्ष में कराने की घोषणा करेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मा0 मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आपसे मना कर नहीं सकते मुख्यमंत्री जी इसलिए मैं उनकी ओर से कह रहा हूँ कि 5–5 गाँवों का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा, मैं सोचता हूँ कि ड्रेनेज के बारे में मेरा सब से अनुरोध है कि ड्रेनेज पर भी हम जरूर करेंगे, आपके अच्छे सुझावों का स्वागत करते हुए मैं मा0 अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि अगर आपने कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया है तो बिजली कटौती होगी तो आप मुझको न कहिए आप सबसे चाहेंगे कि सर्वसम्मति से पास करें, यह मेरा आपसे अनुरोध है, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूँ। क्योंकि मा0 मंत्री जी ने बिजली की कटौती खत्म करने के लिए कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की इसलिए मैं मा0 मंत्री जी के अनुदान मांग पर कटौती पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20 सिंचाई विभाग एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 1341162 हजार (एक अरब चौंतीस करोड़ ग्यारह लाख बासठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21, ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 913284 हजार (इक्यानवे करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 166674 हजार (सोलह करोड़ छियासठ लाख चौहत्तर हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 32856 हजार (तीन करोड़ अट्ठाइस लाख छप्पन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 166674 हजार (सोलह करोड़ छियासठ लाख चौहत्तर हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 32856 हजार (तीन करोड़ अट्ठाइस लाख छप्पन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन में स्वीकृत हुआ)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8, आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 28656 हजार (दो करोड़ छियासी लाख छप्पन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9, लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 5506 (पचपन लाख छः हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष जी–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9, लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 5506 हजार (पचपन लाख छः हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1337957 हजार (एक अरब तैंतीस करोड़ उन्यासी लाख सत्तावन हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 5213576 हजार (पांच अरब इक्कीस करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1849497 हजार (एक अरब चौरासी करोड़ चौरानवें लाख सत्तानवें हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14, सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 82452 हजार (आठ करोड़ चौबीस लाख बावन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2840701 हजार (दो अरब चौरासी करोड़ सात लाख एक हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24, उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 141139 हजार (चौदह करोड़ ग्यारह लाख उन्तालिस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

अब संक्षेप में उद्देश्य और कारण बता दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, न्यायालय के बारे में कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट की स्थापना हो चुकी है, बैंच की बात अभी तय नहीं है। केवल इतना तय है कि हाईकोर्ट जहां चाहे वहां सिटिंग कर सकता है। बैंच नहीं है, इसलिए उसके बारे में विचार कर रहे हैं और यह शुद्ध रूप से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर ही है हम लोग केवल सिफारिश कर सकते हैं कि वो कहां पर सिटिंग करें। मान्यवर, नागरिक और सामान्य प्रशासन में, राज्य सम्पत्ति में कुछ महत्वपूर्ण काम इस सरकार ने किये हैं।

मान्यवर, आबकारी के बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि अब तक जो प्रथा थी उसके अन्दर कुछ लोग नीलामी में इकट्ठा होकर एक सिंडिकेट बनाकर शराब की नीलामी ले लेते थे। वो लोग समाज को प्रभावित करते थे। यहां तक कि चुनाव को भी प्रभावित करते थे। रुपया उनके पास इतना होता था कि सब तरह से समाज में गलत रास्ते से चलते थे और जन–जन को इससे पीड़ा होती थी। हम चाहते थे कि देव भूमि में शराब

को बन्द करें, हमारी बहनें चाहती हैं, यहां बैठे हुए हमारे बहुत से सहयोगी इसे चाहते हैं लेकिन हमने इसके बारे में बहुत चिन्तन किया। हमने अपनी टीम तमिलनाडु, हरियाणा और दिल्ली भेजी। ये जानने के लिए कि वहां पर शराब बन्दी का क्या असर रहा। ये बात सामने आयी कि जब शराब बन्द हो जाती है तो बहुत खराब शराब, जिसके अन्दर जहर भी होता है, वो जगह–जगह बनती है। एक तर्क यह दिया जा सकता है जैसा कि माननीय सैनी जी ने कहा कि पुलिस काहे के लिए है। वो बात सही है लेकिन कितनी पुलिस आप लायेंगे। इतनी कच्ची शराब बनती है कि हम उसको रोक नहीं पायेंगे और जब कच्ची शराब, जहर मिली शराब हम अपने लोगों को देंगे तो उनके जीवन के साथ हम खेलेंगे। इसलिए एक बात हमने सोची कि इस बार पहला कदम उठायेंगे। पहला काम हम यह कर रहे हैं कि उसको उन लोगों के हाथ से ले रहे हैं जो लोग यहां पर सिंडिकेट बनाकर शराब की नीलामी लेते थे। उसको तोड़ कर यह तय किया गया कि उत्तरांचल का नागरिक जिसको डी0एम0 चरित्र का प्रमाण पत्र देगा, जिसकी बैंक ग्राउण्ड ठीक होगी और जो रिलाइबल होगा, जो उस दुकान को चला सकेगा, इस बात को ध्यान में रख कर एक–एक दुकान का लाइसेंस दिया गया। लाइसेंस फीस वो रखी गयी जिससे कि पिछली जो नीलामी बीड बनी थी वहां तक हम पहुँच सकें। ....

मान्यवर, आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस समय तक पिछले बार 176 करोड़ रुपये की आय की थी, इस बार हम लोग 173 करोड़ रुपये तक पहुँच गये हैं और इसके अलावा जो हमने एफ0एल0–2, जो कि हमारा स्टोर है और वह होलसेल है वह हमने निगमों को दे दिया है और वहां हमको 5–6 करोड़ रुपये का हमको लाभ होगा। हम उस सीमा को पार कर जायेंगे जो पिछली बार थी। अभी इसके अन्दर थोड़ी सी कमियां रह गई हैं मैं इसको स्वीकार करता हूँ। कुछ जगह पर वही लोग जो पुराने लोग थे किसी न किसी व्यक्ति के पीछे खड़े होकर किसी न किसी ढंग से अन्दर घुस गये हैं। हम उतना रोक नहीं पाये, कोशिश हमने बहुत की। अब भी हम यह सोच रहे हैं कि कहीं पर अगर कोई गलत व्यक्ति घुसा है और हम उनकी दुकान कैंसिल करने की स्थिति में आ सके, हम यह साबित कर सके कि उस व्यक्ति के पास दुकान नहीं और गलत आदमी के पास है तो हम उसे कैन्सिल करेंगे। हम उसका जो रुपया है, लाइसेन्स मनी है वह भी जब्त करेंगे, दुकान भी जब्त करें लेकिन यह जब साबित हो जायेगा तब की बात है। तो यह पालिसी हमारी है इसके द्वारा हम लोग लाभ में जा रहे हैं और धीरे–धीरे इसको हम कम करेंगे। ये जो हमारे नागरिकों को परमिट हम गढ़वाल मण्डल में देते हैं वह तो जारी रहेगा, लेकिन पर्यटकों का हमने परमिट समाप्त कर दिया, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम यह चाहते हैं होटलों के अन्दर उन लोगों को जो वे चाहते हैं वह उनको मिल जाये। हमने भांग खत्म कर दी। भांग से हमको बहुत कम लाभ होता था शायद 5–7 लाख रुपये का ठेका उठता था तो भांग को पूरी तरह खत्म कर दिया है। मान्यवर, गृह विभाग में मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस ने उत्तरांचल के अन्दर अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारी एक परेशानी तो है कि हमारे पास जो उ0प्र0 के कुछ पुलिस कर्मी हैं उन लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों को हमने छाँट करके जिन लोगों की रिपोर्ट खराब थी, उनको हमने छाँट कर के तय किया है कि उनको हम जल्द से जल्द छुट्टी दे देंगे, ये लोग उ0प्र0 चले जायेंगे, लेकिन सामान्यतः आपके

सामने मैं रिजल्ट रखना चाहता हूँ। आप कहेंगे कि मैं बार–बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन जरूरी है दोहराना। ....

मान्यवर, लगभग नौ लोगों को मार गिराया है हमारी पुलिस ने और जितने केसेज थे वह सब वर्क आउट कर दिये हैं आप डिटेल्स भी कहेंगे हम आपको दे देंगे कोई केस बना नहीं है।

नैनीताल के हल्द्वानी के कुख्यात अपराधी प्रकाश पाण्डे (पी0 पी0) को बर्खास्त शुदा सिपाही श्री महेन्द्र राणा के गैंग द्वारा विभिन्न व्यवसायियों को टेलीफोन पर धमकी देकर लाखों रूपये वसूल करने संबंधी मामलों में 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर दिया। 5 सौ भूतपूर्व सैनिकों का चयन करके उनको ड्यूटी में शामिल किया, यह अस्थायी व्यवस्था की है क्योंकि अभी हम लोगों ने 1000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए निर्णय ले लिया है, भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग में जो समय लगेगा। इस समय हम 500 पुलिस कर्मचारियों का अच्छा शरीर हो और स्वस्थ और ठीक हों वह हमारे उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों के हों उनको हम लोगों ने इम्पलाई करने का विचार किया है। मान्यवर, पुलिस की आवास की व्यवस्था कर दी है। हमारा इस समय पिछली बार का चार्ट है उसमें हम लोग आगे हैं यानि क्राइम बहुत कम हुआ है। मान्यवर, शिक्षा विभाग के अन्दर जो हम लोग कुछ नये काम कर रहे हैं मा0 इन्दिरा जी हमसे सहमत न हों मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो शिक्षा मित्र और शिक्षा बन्धु की योजना बनायी है इसमें हमारे प्राथमिक विद्यालयों के 38925 अध्यापकों के स्वीकृत पदों के विपरीत 31865 कार्यरत थे और 7060 पद रिक्त थे हमने 2250 रुपये मानदेय पर 2600 शिक्षा मित्र नियुक्त किये हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। विशिष्ट बी0टी0सी0 के 2000 नियमित अध्यापकों की भर्ती कर 4609 अध्यापकों की व्यवस्था करने का कीर्तिमान है। मान्यवर, जो बी0एड0 और जो सी0पी0एड0 डिग्रियां लेकर के हमारे लड़के घूम रहे थे, पहाड़ों के अन्दर, उनको हम यहां पर ले रहे है, उनको हम काम दे रहे हैं और उन लोगों को भी रेग्यूलर पेमेन्ट करेंगे। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों में 19965 स्वीकृत पदों के विपरीत 15115 कार्यरत थे और 4850 तो रिक्त थे उसमें हम साढ़े तीन हजार मानदेय देकर 2000 शिक्षक बन्धु की व्यवस्था कर रहे हैं ज्यादातर साइंस एवं कामर्स और मैथमेटिक्स पद हैं उनको पहले भरेंगे बाकी जो बचेंगे उनको बाद में भरेंगे। उसके अन्दर चयन की प्रक्रिया नहीं लगायी जो लोग अर्हता रखते हैं उनके लिए एक सामान्य चयन प्रक्रिया अपने विभाग की है उससे हम चयन कर लेंगे। मान्यवर, जो हमारे विभाग हैं उनके जो सर्टीफिकेट्स हैं जो उनकी अर्हता है क्योंकि ये अभी अस्थायी योजना है उसके बाद जो लोग बाकायदा चयनित होकर आयेगा उन लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। मान्यवर, हमारे यहां 72.28 प्रतिशत साक्षरता है।

(व्यवधान)

मान्यवर, उत्तरांचल में गुणात्मक सुधार के लिये 40 शिक्षा योजनायें चलायी जा रही हैं, जिसमें इसी वर्ष के अन्दर 2 से ढ़ाई करोड़ रुपये व्यय करेंगे, जिसमें कम्प्यूटर की शिक्षा देंगे। आपने कल सम्भवतः यह उल्लेख किया था कि उनको कहां रखेंगे। मान्यवर, कमरों की व्यवस्था हो गयी, केवल 40 से हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए मान्यवर, स्पोर्ट काम्प्लेक्स भी बन रहा है और प्रदेश में पहली बार प्रतियोगिता हो रही है। पूरे उत्तरांचल

के हमारे खिलाड़ियों को हम लोग अखिल भारतीय खेलकूद में भेजेंगे।

मान्यवर, पेयजल के बारे में बता दूं। पेयजल में 61 नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, ग्रामीण क्षेत्र में 31 हजार बस्तियों में 29558 बस्तियों को पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है और 265 बस्तियां असेवित हैं एवं 1185 बस्तियां आंशिक सेवित हैं। हमारी यह प्राथमिकता है और आप मेरे से सहमत होंगे कि पहाड़ों के अन्दर बहुत सी जगहों में पेयजल योजना को बनाना बड़ा कठिन है, मैदानी क्षेत्र में भी पेयजल बनाना कठिन है तो हम कई तरह से पेयजल योजना बना रहे हैं। जैसे जहां पर ग्रैविटी से है उसको हम कोशिश कर रहे हैं जो गरीब होगा उसको ठीक कर रहे हैं और जहां पर ट्यूबवेल लगा सकते हैं ट्यूबवेल लगा रहे हैं और पहाड़ों के अन्दर भी एक नया प्रयोग हो गया है कि सड़क के किनारे हैण्ड पम्प बोरिंग कर दिया जाय। 6679 हैण्ड पम्प बोरिंग कर दिये गये हैं और मान्यवर, इस समय समस्याग्रस्त जो भी योजनायें हैं जो भी स्थान हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, अल्मोड़ा के अन्दर 20.22 करोड़ लागत का अनुमान है, उसके अनुसार वहां पर योजना निर्माणाधीन है।

मान्यवर, वर्ल्ड बैंक की जो योजना है 500 से अधिक ग्रामीणों को चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उसमें योजना पहुंचा दी गयी है और स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

मान्यवर, आवास के बारे में बता दूं। कुल 16177 ग्रामों में से 1 अप्रैल, 2000 तक 9893 ग्राम सड़कों से जुड़े थे शेष 6284 गांव में से वर्ष 2000–2001 में 180 गावों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है इसके विपरीत 31 मार्च, 2001 तक 162 करोड़ रुपया व्यय कर दिया है। 166 गाँव को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा गया है यह योजना यह है कि एक हजार तक की आबादी वाले गाँव है उनको जोड़ दिया गया है अब 500 तक आबादी के गाँव को जोड़ा जा रहा है छः राष्ट्रीय मार्गों को उत्तरांचल मार्ग में जोड़ने वाले 435 किलोमीटर के लम्बे भाग के मूल निर्माण एवं सृजन के लिये भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2001 में 9.49 करोड़ रुपये प्राप्त किया, यह व्यय हो रहा हैं।

मान्यवर, केन्द्रीय सड़क निधि से 11 योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा 10.92 करोड़ के विपरीत 3.67 करोड़ रुपया प्राप्त हो गया और व्यय हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 13 जनपदों हेतु भारत सरकार से 60.83 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। मान्यवर, मैं इस बात का आश्वासन सभी माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं, चाहे इधर बैठे हुए सदस्य हों, चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों, पी0 डब्ल्यू0 डी0 के अन्दर आप लोग जो सड़कें हमें बताऐंगे, उनको माननीय विधायकों के निर्देश पर हम प्राथमिकता पर बनवाऐंगे। सामान्यतः कोई भी सड़क ऐसी नहीं बचेगी जिसको आप लोग चाहेंगे और न बन पायें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, हरिद्वार की सड़कों के बारे में भी कुछ सोच लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, हरिद्वार के अन्दर जब कुम्भ हुआ था तो सारी सड़कें बहुत अच्छी बन गयी थी। जो बनी हुई है, उन्हें क्या बनायें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हल्द्वानी शहर की एक भी सड़क साबुत नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, जो भी हैं, आप दे दीजिए, जिन सड़कों के प्रस्ताव आयेंगे हम उनको बनवा देंगे। इसी प्रकार जहां–जहां पुल आवश्यक हैं, उन पुलों को बनाने के लिए भी तय कर लिया गया है। आप लोग जो सुझाव देंगे उनको हम स्वीकार करेंगे। मान्यवर, इसके साथ ही भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए भी हम लगातार मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। हमने अनियमितता बरतने के लिए दो अधिशासी अभियन्ता, दो सहायक अभियन्ता और चार अवर अभियन्ता निलम्बित किये हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, ये तो एक जगह के हुए।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, अन्य जगह के आप बताइये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना सिंह जी ये सब आप बाद में बोल लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, परिवहन में अभी हम लोग अपना परिवहन निगम नहीं बना पाये। हो सकता है हम बनायें न बनायें, उसकी कोई व्यवस्था करें और जो पंजीयन की व्यवस्था है उसको जल्दी से जल्दी सही करना है क्योंकि जो हमारे यहां पंजीयन नहीं हो रहा है, उससे हमको बहुत नुकसान हो रहा है। अभी तक हमें करों से 56 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है और 100 करोड़ राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य है।

मान्यवर, जो पंजीयन की व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द सही करना है, क्योंकि हमारे यहां जो पंजीयन नहीं हो रहा है उससे हमें नुकसान हो रहा है। अभी तक हमको करों से 56 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है और 100 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है। यह एक हमारी उपलब्धि है, आप कहेंगे केन्द्र सरकार ने किया है। ममता जी से हमने प्रार्थना की थी काठगोदाम को रेल यातायात से जोड़ने हेतु, जनवरी से जनता एवं रानीखेत एक्सप्रेस में वातानुकूल तथा थ्री टियर शयनयानों की व्यवस्था है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, वो रास्तों में खड़ी रह जाती है, चल नहीं पाती है। जो ट्रेन जुड़ी है उससे हम लोग आ ही नहीं सकते। वह नजीबाबाद में खड़ी जो जाती है, एयरकन्डीशन उसका फेल हो जाता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, इसको मैं दिखवा लूंगा। वैसे हम कोशिश यह करेंगे कि थ्रू ट्रेन हो। मान्यवर, सम्भागीय परिवहन का गठन किया जा रहा है। अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि जितना काम उत्तरांचल सरकार कर रही है। (व्यवधान) मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं विश्वास से कह रहा हूं कि एक साल में भी कोई सरकार नहीं कर सकती।

काजी मो0 मोहिउद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0 8, आबकारी के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय सैनी जी ने रात को मुझे बताया कि आपको आबकारी पर बोलना है तो मैंने कहा मुझे क्या बोलना है तो वे बोले आपको शौक है माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे–पीछे रहने का। वह प्रस्तुत करेंगे। गालिब ने कहा था "लिखेंगे खत मतलब कुछ भी न हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के।" मान्यवर, आबकारी के बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन आपका प्रस्ताव है इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ बोलूंगा जरूर। मान्यवर, यह समझ लिया गया है कि मैं केवल हरिद्वार का आदमी हूं, मैदानी क्षेत्र का, क्योंकि मैं वहां की बात ज्यादा करता हूं। मैं हमेशा यह कहता हूं कि मैदान का कल्चर अलग है और पहाड़ का कल्चर अलग है। मान्यवर, एक बार मैं ऊपर गया था। मैं पार्टी के गठन के लिए दौरे कर रहा था, पैदल मैं बहुत चला वहां। मैं वहां लोगों से मिला तो मैंने एक बात अजीब जानी। मैंने पूछा सबसे अच्छा प्रधानमंत्री तुम किसको समझते हो एकदम उन्होंने कहा कि मोरार जी देसाई को। मैंने कहा क्यों, कहने लगे कि एक तो उन्होंने गुड़ इतना मंदा करा दिया था, इतना सस्ता करा दिया था कि कच्ची खींचने में मजा आ गया, दूसरी बात यह कि शराब पर लगी हुई थी पाबन्दी तो पीने में भी मजा आया कच्ची को और बेचने में भी। वे कहने लगे इससे बढ़िया प्रधानमंत्री न पैदा हुआ है और न होगा। मान्यवर, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग की बात बहुत होती है, बेरोजगारी की बात बहुत होती है। स्व0 चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था जो काम हाथ से हो सकता हो, वह मशीन से न किया जाय, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोजी छीन कर एक की जेब में पैसा चला जाता है। इसके लिए अमेरिका की नकल न की जाय, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाय। ....

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि इसको कुटीर उद्योग में क्यों नहीं ले लेते। मैंने अपने यहां दोस्तों से पूछा था कि घटिया शराब होती है तो तुम्हें कैसे अच्छी लगती है तो उसने कहा यह घटिया–बढ़िया नहीं होती है यहां तो यह है कि मसला अच्छा हो खराब हो शराब हो शराब हो। मान्यवर, मा0 सैनी जी ने भी कहा इतने मर गये इतने लोग जी

गये आज दुनिया चिन्तित है इस पर आबादी बढ़ गयी और दुनिया के फिलॉशफर यह कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार है जीने का, तो मरने का अधिकार मौलिक क्यों नहीं, इस पर रोक क्यों नहीं लगा दी गयी। एक दिन अम्बरीष जी ने रोजा इफ्तार की दावत दी। रामसिंह जी भी थे तो वहां चाट आयी, तो उन्होंने कहा मिर्चा है, मैं नही खाऊंगा। ठंडा आया उन्होंने कहा मैं पिऊंगा नहीं। तो मैंने कहा सिगरेट लीजिए तो उन्होंने कहा मैं सिगरेट पीता नहीं, तो मैंने कहा सारी कयामत के बोरिये उठाने का ठेका हमने लिया था, तो मैंने कहा जगह खाली करेगा तो कहने लगा वाह! मैंने कहा हमें कानून बनाना पड़ेगा कि 70 से ऊपर को कम्पलसरी रिटायरमेन्ट देना पड़ेगा कहने लगा वाह स्वामी जी है मुजफ्फरनगर वाले 128 साल की उम्र है, कितने कल्याणकारी काम कर रहे हैं, मैंने कहा एक आदमी हिन्दुस्तान में बेशर्म हो जाय तो पूरा हिन्दुस्तान तो बेशर्म नहीं होना चाहिए दूसरों के लिए भी सीट खाली करनी चाहिए। मान्यवर, मैं जानता हूं कि एक सिगरेट कई सेकेण्ड जिन्दगी के कम कर देती है लेकिन मैं 40–50 सिगरेट फिर भी पीता हूं। अच्छी खासी उम्र है कब तक खींचेंगे बोझ को जिसने मरने का इरादा कर लिया है। वह आपके लिए फायदेमन्द है औरों को रोजगार मिलेगा। आपने एक बात कही, शराब माफियाओं को खत्म किया है अच्छी बात है शराब माफियाओं को खत्म किया। मान्यवर, सबसे बड़ा माफिया को आपने सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया मोहन मेकिंग। बगैर किसी बिट के उसको ही सारे ठेके दे दिये। खुला कम्पटीशन उसमें रखा होता ज्यादा अच्छा होता लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ मान्यवर, जहां तक शराब का ताल्लुक है, मैं शराब पीने वालों के खिलाफ नहीं हूं न शराब के। मैं तो जो शराब पीकर बदतमीजी करते हैं मैं उनके सख्त खिलाफ हूं अक्सर देखा गया है कि कैन्टीन में बैठ गये और आने जाने वालों को परेशान करते हैं। महिलाओं को छेड़ते हैं। कम से कम कैन्टीनों पर शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। बस स्टैण्ड पर शराब नहीं बिकनी चाहिए। एक चीज मैं कहना चाहता हूं परिवहन निगम आप बना रहे हैं, न बना रहे हों तो दारू निगम बना दीजिए। मान्यवर, दूसरे देशों में भी शराब के खिलाफ अभियान छेड़े जा रहे हैं वहां शराब बन्द कर दी बल्कि यूरोप में यह हो रहा है एल्कोहल की तादाद को कम कर रहे हैं धीरे–धीरे कम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई अभियान यहां भी चले। एल्कोहल की परसेन्टेज कम हो जायेगी, तो धीरे–धीरे खुद ही कम हो जायेगी।

..............या तो इसको कुटीर उद्योग का दर्जा दे दिया जाय या अल्कोहल इसमें कम करायें, दोनों में एक बात आप मान लें तो बड़ी इनायत होगी और इससे ज्यादा मैं लम्बा–चौड़ा समय आपका नहीं लेना चाहूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं बता दूं कि इसी साल मैंने 34 परसेन्ट से 32 परसेन्ट कर दिया है। थोड़ा इस बार कम किया है अगली बार और कम कर देंगे।

काजी मो0 मोहिउद्दीन–

कम कर दिया है तो अच्छी बात है। मान्यवर, आखिरी बात मैं यह कह रहा था कि सदन में केवल दो शरीफ आदमी हैं एक तो माननीय नेता सदन और दूसरे खाक साहब

मैंने आपको उपाधि दी यानी पूरे सदन ने दे दी थी, आपने कहा मैं अपने शब्द वापस लेता हूं तो जब कोई आदमी मुख्यमंत्री नहीं रहता तो कई पार्टी समर्थन वापस ले लेती हैं, बहुमत समर्थन वापस ले लेता है तो क्या हो जाता है भूतपूर्व मुख्यमंत्री तो मैं तो भूतपूर्व शरीफ और माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान शरीफ हैं। यह हिन्दी भाषा प्यारी तो है लेकिन साइंटिफिक नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि भूत ही काफी था पूर्व क्यों लगाया जाता है, कोई हट जाय।

मुख्यमंत्री के पद से तो वर्तमान भूत कहा जाय उसको पूर्व लगाने की क्या जरूरत है। जो लोग झुककर सलाम करते हैं वह बचकर चलने लगते हैं दायें–बायें को कि देख न लें, फिर सलाम न करना पड़े तो अच्छा–खासा भूत बन जाता है। यह तो अच्छी बात कही है किसी ने, लेकिन पूर्व इसमें क्यों लगाया जाय वर्तमान भूत कहा जाये तो ज्यादा अच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी आप उधर बैठे हैं मेरी सीट माननीय अध्यक्ष जी ने वहां लगायी मेरा जी चाहता है कि मैं आपके सामने बैठूं, इसलिए इधर बैठा हूं। तो मान्यवर, आपने तो उपाधि वापस ले ली शरीफ की मैं यह उपाधि वापस नहीं लूंगा मगर मुझे डर है कि 7–8 महीने बाद आप भी उपाधि भेजेंगे मेरी तरह से, इसी लिए मैं कोशिश में लगा हुआ हूं कि मुझे भले ही आपने भूत बना दिया, खुदा करें कि आप भूत न बनें आप सदैव मुख्यमंत्री बने रहें। धन्यवाद।

* श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग से सम्बन्धित सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना। मान्यवर, यह गृह विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और आप स्वयं भिज्ञ हैं कि कानून व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त करने और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दल ने शुरू में नारा दिया था कि "भयमुक्त समाज होगा, कानून का राज होगा"। मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि कोई भी प्रदेश हो, देश हो, समाज हो, जब तक कानून व्यवस्था वहां की ठीक नहीं होगी। न तो वहां उद्योग धन्धे पनप सकते हैं, न वहां कृषि की उन्नति और प्रगति हो सकती है। सारे प्रदेश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि कानून व्यवस्था ठीक हो। क्योंकि जहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती, वहां उद्यमी उद्योग लगाने के लिए भी तैयार नहीं होता वहां से पलायन कर जाता है। इसी तरह से चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि हो किसी की उन्नति नहीं हो सकती । मान्यवर, मेरे यहां एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। उनका पूरा का पूरा परिवार पलायन करके दिल्ली चला गया। कानून व्यवस्था ठीक हो, यह शासन का दायित्व है परन्तु जब से उत्तरांचल में यह सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से यह चैलेंज किया है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है और इस प्रकार के जो क्राइम हैं, वो कम हुए हैं। लेकिन मान्यवर, यहां पहाड़ में पहले से ही कुछ कम क्राइम होते थे लेकिन हमारे हरिद्वार जनपद में, देहरादून में और ऊधमसिंह नगर में जघन्य अपराध हो रहे हैं। अगर मैं अब तक का ब्यौरा प्रस्तुत करूं तो पता चलेगा कि क्राइम कितना बढ़ गया है। हमारे यहां रुड़की में ही दिन के 10 बजे बी0टी0गंज बैंक में 15 लाख रुपये की लूट हुई, आज तक उसका पर्दाफाश नहीं हुआ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जितनी घटनाएं हुई हैं, उनका पर्दाफाश हो गया है। 6–4–2001 को सुल्तानपुर, कुन्हारी में साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गयी। 6–4–2001 को थाना भगवानपुर के ग्राम सौठेरी में एक किसान की दिन–दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गयी। 6–4–2001 को रात्रि में फल एवं दूध विक्रेता का अहरण कर लिया गया, आज तक उसका कहीं पता नहीं चला। 6–4–2001 को कोटद्वार डिपो के बस कंडक्टर का अपहरण हो गया और 20 दिन बाद जंगल में उसकी लाश मिली। 11–2–2001 को थाना डोईवाला में ग्राम लालतपड़ में एक हत्या कर दी गयी। हरिद्वार मुख्यालय पर एक पुलिस कर्मी, जो जेल से अपनी ड्यूटी दे कर आ रहा था, उसको गोली मार दी गयी। 10–4–2001 को बहादराबाद में अपहृत व्यापारी रमेश के पुत्र की हत्या कर दी गयी। मान्यवर, इस तरह से बहुत लम्बी लिस्ट मेरे पास है। इतने जघन्य अपराध यहां हुए हैं और मेरे अपने क्षेत्र में ग्राम–खेलसीको पुर में दो बच्चों की हत्या कर दी गयी। इसी तरह से यदि अपहरण, लूट, डैकेती, बलात्कार के पूरे के पूरे आंकड़े इकट्ठे किए जाएं तो इनकी तादाद बहुत अधिक होती है। अभी 2–4 दिन पहले माननीय ईसम सिंह जी ने कुछ आंकड़े यहां पर प्रस्तुत किये थे, वो सिर्फ हरिद्वार जनपद के थे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल लक्सर थाने में एक हफ्ते में 6 मर्डर हुए। तो ये सारे अपराध घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं ?............

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि क्राइम घट रहा है। मेरे क्षेत्र में अभी गढ़मेरपुर मैं डकैती पड़ी इसमें 2–3 लाख का माल लूटकर ले गये और एक लड़की को भी ले गये। कराहती हुई लड़की जंगल में मिली, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। मान्यवर, इतना उनके पास पैसा नहीं है कि उसका वे इलाज ठीक प्रकार से करा पायें। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं आप कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल है। मेरी जानकारी में है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नहीं है। मेरी जानकारी है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नहीं है। अभी जो 1000 कांस्टेबिलों की यहां पर भर्ती करने जा रहे हैं, उनकी चयन प्रक्रिया क्या होगी ? चूंकि उस चयन प्रक्रिया में यदि पारदर्शिता होगी तो वे लोग रखे जायेंगे जो पात्र होंगे। मेरे क्षेत्र हरिद्वार के लोग भी शरीर से हष्ट–पुष्ट हैं, उनकी उपेक्षा नहीं की जायेगी। मान्यवर, अक्सर यह देखा जाता है कि थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रिपोर्ट लिखी जाती है। मैं चैलेन्ज करता हूं कि आप अखबार में निकलवा दीजिए कि जिसकी रिपोर्ट न लिखी जाय वह सीधे मुख्यमंत्री से मिले, तब देखिये। मान्यवर, लिखवाने के लिए व्यक्ति थाने से लेकर एस0पी0 के यहां तक चक्कर लगाता है तब भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाय कि रिपोर्ट तो दर्ज की जाय और विवेचना भी हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई केस पंजीकृत हो जाता है तो उसमें ऐसे निर्दोष लोग फंसा दिये जाते हैं, जिनका उस केस से कोई लेना–देना नहीं होता। पिछले दिनों एक व्यक्ति को मर्डर में फंसा दिया गया जबकि वह मेरे साथ था। मान्यवर, जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि के साथ हो, जब उसको इस प्रकार से फंसा दिया जाता है तो बेचारी गरीब जनता को न्याय कैसे मिलेगा। आज मान्यवर, जो हाई क्रिमिनल हैं, उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है। मेरे यहां ज्वालापुर में तीन लोगों का मर्डर हुआ। इस केस में उसका बाप गवाह था। मर्डर करने वाले ने कहा कि हम तुमको भी मार देंगे अगर तुमने गवाही दी तो मान्यवर, उसने गवाही नहीं दी।................

................मान्यवर, जनता के साथ व्यवहार की बात है, पुलिस का व्यवहार जहां तक मैं समझता हूं उनके डी0 एस0 पी0 तक रैंक के संबंध में उनका व्यवहार जनता के साथ ठीक है जबकि एस0 आई0 या सब–इंस्पेक्टर, हैड कांस्टेबिल के पास जब जनता के लोग जाते हैं तो वह दुरव्यवहार करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए उनका व्यवहार ठीक प्रकार से हो नहीं तो जनता और पुलिस में दूरी बनने के बहुत चान्सेज रहते हैं।

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि थानों के क्षेत्रों का परिसीमन बहुत आवश्यक है मेरे क्षेत्र में इस प्रकार के थाने हैं कि जहां से उनके क्षेत्र में जो गांव आते हैं दूसरे थानों से बहुत नजदीक पड़ते हैं यह प्रेक्टिकल होगा, व्यवहारिक होगा। थानों के क्षेत्रों का परिसीमन करायें जो गांव जिस थाने से नजदीक पड़ता है उस गांव को उसके क्षेत्र में रखा जाय। साथ–साथ हमारे यहां बहुत से थाने ऐसे हैं आज हम कहते हैं कि आज युग इस प्रकार का है हर थाने में कम से कम टेलीफोन तो हो। पथरी थाना है वहां टेलीफोन तक नहीं है मैं आशा करता हूं मा0 मुख्यमंत्री जी से कम से कम हर थाने में एक टेलीफोन की व्यवस्था होगी। थाने में आज गाड़ियां भी बाबा आजम के जमाने की जिप्सी हैं जो क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम करते हैं उनके पास तेज रफ्तार वाले वाहन हैं। जब हमारे एस0पी0 और डी0एस0पी0 उनका पीछा करते हैं तो वे पीछे छूट जाते हैं, मैं कहना चाहता हूं हर थाने में कम से कम एक जिप्सी जो अच्छी और तेज रफ्तार की होनी चाहिए। मान्यवर, आज जो आपने हथियार दे रखे हैं वह राइफल ऐसी हैं जैसे गांवों में किसान जुवा रखकर चलता था उनसे गोलियां चलती नहीं। कम से कम पुलिस वालों को थानों में अत्याधुनिक हथियार देने चाहिए जिससे वे क्रिमिनल्स को पकड़ सकें और क्राइम पर कन्ट्रोल कर सकें। मान्यवर, हमारे यहां रुड़की में पुलिस ऐरीगेशन ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना वहां हो जाय तो रुड़की युनिवर्सिटी को काफी मदद मिल सकती है वहां इंजीनियरिंग कालेज है वहां होमगार्ड की स्थिति बहुत दयनीय है आप उन्हें 65 रु0 प्रति दिन पर आप एक होमगार्ड को रखते हैं एफीसिएंसी के साथ मैं समझता हूं आज के युग में 65 रुपये उसके बहुत कम है एक महीने में 24 दिन वेतन आप उसे देते हैं। यह तो एक बंधुवा मजदूरों की तरह काम ले रहे हैं तो उनकी दशा भी सुधरनी चाहिए। आज हमारे प्रदेश में आई0 एस0 आई0 की गतिविधियां आज इस देश में बढ़ रही हैं। हमारी सीमा नेपाल से मिली हुई है वहां से आई0 एस0 आई0 की गतिविधियां संचालित होती हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि उसके लिए एक स्टेटमेंट डी0जी0पी0 का पढ़ा था। वहां 7 चौकियां स्थापित कर दी मान्यवर, 7 चौकियों से काम नहीं चलेगा हमारे यहां जाली मुद्रा का एक तरह से प्रचलन यहां पर बढ़ रहा है। जाली मुद्रा बाजार में उतर रही है आई0 एस0 आई0 की गतिविधियों से हमारे देश और प्रदेश को खतरा पैदा हो रहा है। इसमें मान्यवर, ऐसी व्यवस्था करें जिससे इस पर रोक लग सके, इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जेलों में आज व्यवस्था बड़ी खराब है। मान्यवर, जिस तरह किरन बेदी ने जैसी व्यवस्था तिहाड़ जेल में कर दी थी और सुधारात्मक कार्य वहां हुआ था तो मान्यवर, हमारे उत्तरांचल में भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और उन कैदियों को कम से कम जैसे टाट–पट्टी बुनना और दूसरे कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए और

इस प्रकार जो हमारे हार्ड क्लीनर हैं जेलरों के पास मोबाइल फोन होते हैं वो तो ऐश करते हैं और मेरी निश्चित रूप से जानकारी है कि जो लोग जेल में मिलने जाते हैं उनके साथ जेल में व्यवहार ठीक नहीं होता और उनसे सुविधा शुल्क लेकर ही उनको मिलने दिया जाता है। यह भी बहुत बड़ा अन्याय हमारे जनपद के साथ है तो इसमें भी मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ सुधार करेंगे और इस तरह से जेल में जो रहने वाले लोग हैं उनमें क्राइम करने वाले लोग कम हैं और जो बेचारे शरीफ हैं वह ज्यादा हैं तो इस बात पर भी विचार करें कि जितनी अवधि के लिये उन्हें जेल भेजा गया है अगर उनका व्यवहार ठीक है तो उनकी जेल की जो सजा की अवधि है उस पर भी कमी करने का विचार शासन करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

श्रीमन्, अनुदान संख्या–11 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना है।

श्रीमन्, अनुदान संख्या–24 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तीनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग हैं। शिक्षा हमेशा गौड़ विभाग के रूप में और युवा कल्याण और खेल यह तीनों ही गौड़ विभाग के रुप में लिये जाते हैं। भले ही वित्त मंत्री जी ने अपने बजट प्रस्ताव में यह बताया कि हमने 15 प्रतिशत रुपया दिया है, लेकिन मानसिकता अभी इन तीनों विभागों को गौड़ मानने का है और जो नागरिक का निर्माण करते हैं अगर वह संस्थायें शिक्षा, खेल और युवा कल्याण का अगर इन संस्थाओं ने वरीयता नहीं दी तो जैसा एक लम्बे समय से शिक्षा की एक गौड़ स्थिति रही वह यहां बनी रहेगी और उत्तरांचल राज्य जो बना है यहां तो अधिक आवश्यकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसा ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम ऊर्जा प्रदेश बना रहे हैं और जब वित्त मंत्री ने अपना भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि हम शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं और शिक्षा प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इसलिए 15 प्रतिशत रुपया दिया है। ऊर्जा प्रदेश भी बने और शिक्षा प्रदेश भी बने, ऊर्जा सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा और शिक्षा नागरिक का हिस्सा है तो तीनों का ही बड़ा महत्व है।

मान्यवर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विद्यालयों में रिक्तियों की संख्या की जानकारी दी। मैं सभी माननीय मंत्री गणों से अनुरोध करूंगी कि पहले हमें तय करना है कि हम शिक्षा में कहां जाना चाहते हैं। आज अकेले आपके ऊपर यह भार नहीं है, क्या हम सब मिलकर इस भार को नहीं उठा सकते ? दोहरी शिक्षा, जिसके लिए पर्वतीय क्षेत्र बहुत मशहूर है, दून में पढ़ेंगे यह तो बहुत लोगों की इच्छा होती है। यहां पर एक वो इंस्टीट्यूशन है, जो पावर ऑफ पर्स पर आधारित है और दूसरे वो प्राइमरी विद्यालय, जिनकी रिक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने बतायी। 31 हजार काम करते थे, जिनमें से 2250 पर कुछ शिक्षक रखने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताई। तो मान्यवर, एक ओर वो विद्यालय हैं जिनकी रिक्तियां 7 हजार हैं। आज इन विद्यालयों में वो ही बच्चा जा

रहा है, जिसके क्षेत्र में यह विद्यालय हैं। अर्थात् जो वहां लोअर पुवरटी लाइन में जी रहा है। क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा में खड़ा होता है तो उसके पास आर्थिक संसाधन नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह तय करना है कि हम शिक्षा में किस दिशा में जाना चाहते हैं। दोहरी शिक्षा व्यवस्था, पावर ऑफ पर्स के आधार पर क्रय शक्ति के आधार पर शिक्षा होगी कि हर एक को शिक्षा देने का लक्ष्य होगा हर एक को शिक्षा देने के लक्ष्य में हर बच्चे का मौलिक अधिकार होगा कि वो जिस इंस्टीट्यूशन में चाहे पढ़ सके और यदि पढ़ सके तो उसके आर्थिक संसाधन क्या होंगे। इस पर बहुत लम्बे समय से विवाद चल रहा है।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस पीठ पर थे और हम लोग सदन में थे तो उन्होंने कमेटी भी बनायी थी। मैं उनकी कठिनाई भी समझ रही हूं लेकिन केवल उपदेश देने मात्र से काम नहीं चलेगा, क्रियात्मक प्रयोग भी सामने आना चाहिए। जैसे आबकारी में आपने कहा मुख्यमंत्री बनते ही शराब बन्दी हम लागू कर देंगे। चारों तरफ हाय तोबा मच-गयी, कुछ पीने वालों की तो कुछ बिना पीने वालों की, कुछ आमदनी के स्रोत की, तो अब उनकी संख्या ज्यादा हो गयी, माननीय मुख्यमंत्री जी को शासन भी चलाना था, तो यह हुआ कि चलो सिंडीकेट तोड़ो। कुछ टूटा, कुछ नहीं टूटा, कुछ आगे टूटेगा। इसी ढंग से ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स हैं ....

मान्यवर, जो पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स हैं इनकी स्थिति यह है कि हम इन्हें बन्द नहीं कर पाये तो क्या लेजिस्लेशन से इनको कन्ट्रोल में ले पायेंगे। वे ताकतवर लोग जो धन शक्ति और जिनकी क्रय शक्ति और उच्च स्थानों पर हैं और रिसोर्सफल हैं, इस व्यवस्था के हामी हैं क्योंकि जैसे हमारे देश की आजादी के समय ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इन्स्टीट्यूशन्स बने थे, उसी में दून भी है। उसके तमाम इंस्टीट्यूशन्स बने थे, जिसमें राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ा करते थे। आज यहां पर इन्हीं राजाओं के नाम पर उनके आवासों के नाम दिये गये हैं कि यह फलाना हाउस है, यह फलाना हाउस है। राज घराने के बच्चों के पढ़ने के लिए ये पब्लिक स्कूल बने जिसमें ये दून स्कूल भी है, इन्दौर का स्कूल भी है। करीब 10-11 इंस्टीट्यूशन्स बनाये गये पूरे देश में, जिसमें राज घरानों के बच्चे पढ़ने आते थे। यहां भी राज घरानों के बच्चे पढ़ने आते हैं। देश तो आजाद हो गया। जब देश आजाद हो गया तो सबको शिक्षा के समान व्यवस्था होनी चाहिए। अगर यह सदन में आ जाता तो लेजिस्लेशन इसमें लाने का मन विधान परिषद् से बन चुका था, लेकिन आज वही स्थिति यहां शासन में बैठकर भी है। हमें अब पता नहीं कि वह लेजिस्लेशन बना पायेंगे या नहीं, बहुत बड़ी कठिनाई है और वह वर्ग व्यवस्था पर हावी है। कभी-कभी आपको लगता होगा कि शायद वे सरकार हैं। मैं नहीं मानती कि वे सरकार हैं, वे सरकार को चलवाते हैं। इसका उदाहरण शिक्षा से ही दे दूं। मैं कई दिन से इस बात पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हूं कि आपने जो शेशन बदला, किसके सुझाव पर बदला, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। 20 जून तक तो करवा दिया पर्वतीय क्षेत्र में। कुछ अधिकारियों ने मुझे बाहर आकर के समझाया तो मैंने समझ लिया कि ये वही बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने कार्यालय में कभी नहीं जाते, वे पूरी आदर्श शिक्षा का नक्शा आपको पकड़ा देते हैं। ये लोग कभी जीवन में व्यवहारिक नहीं रहे। मैंने एक प्रिंसिपल से पूछा क्या आपके विद्यालय में शिक्षा सत्र 20 जून तक है। मान्यवर, 14 मई वाले हम लोग हैं और 31 मई वाले ये लोग हैं जिसमें हम गुणात्मक सुधार की बात करते हैं। शिक्षा व्यवस्था में दोहरी शिक्षा व्यवस्था

है। जो जिज्ञासू विद्यार्थी हैं वह हर समय पढ़ता रहा है, जो जिज्ञासू नहीं है उसे जिज्ञासू बनाने का प्रयास किया जाता है। मान्यवर, घर ही सबसे बड़ा वातावरण देता है उसके बाद इंस्टीट्यूशन आता है। ....

मान्यवर, बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील हैं इसलिए बालिका विद्यालयों के रिजल्ट भी अच्छे आते हैं मैंने कई बार सदन में, पिछले सदन में कहा कि उन्हीं को पुरस्कृत कर दिया जाय।

तो मान्यवर, शिक्षा के मामले में जब हम केवल आलोचना की दृष्टि से नहीं किसी एन0सी0आर0टी0 से बात की और लोगों से राय ली और एक अचानक फितूर सवार हुआ आदर्शवादिता का, और वहां ले जाकर कर दिया, खींचिये 31 मई तक, जायेगा बेचारा बच्चा। इससे कोई सुधार नहीं हुआ केवल इसलिए नहीं कि आपने किया हम उसका विरोध करेंगे। इस घोर गर्मी में कितनी जगह ठंड है। मेरा गढ़वाल मण्डल में, सारा जीवन गुजर गया दौरा करते–करते, सब जगह घोर गर्मी है। जैसे डेन्स फारिस्ट्री है, इसी तरह मान्यवर, कुछ स्थान थे अब वहां भी पंखे लगने लगे। पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो वहां तो एयरकण्डीशनर चल रहे हैं। हमने जानकर उदाहरण दिया। जिनके पास पर्याप्त समय है, नयी सरकार में, मैं यह बताना चाहती हूं कि देखिये मैं कितना बढ़िया नुस्खा लायी कैसे व्यवस्था होगी। मैं आपको सही बता रही हूं पहले वहीं रखिये, आपने कहा प्रयोग कर रहे हैं। आपकी बड़ी कृपा हो सकती है आप इस प्रकार चिन्तन भी करें। मुझे मालूम है कुछ दिनों बाद अभिभावक आपके पास आने शुरू कर देंगे अभी तो व्यवस्था है, 20 % मैदानी हैं। पर्वतीय भी मैदानी भी, मैदानी क्षेत्र की व्यवस्था अच्छी है। पर्वतीय क्षेत्रों की व्यवस्था और खराब है। हमारे पहाड़ नंगे हैं, मान्यवर इन परिस्थितियों में ऐसा नहीं यह उपदेश की या इस पर विचार और चिन्तन के लिए हम कोई नयापन कर देते हैं।

मान्यवर, मैं कई बार कह चुकी हूं कि आप विद्यालय के स्तर को सुधारें, शिक्षा का वातावरण तभी सुधरेगा। हम हैरो और कम्ब्रेज की बात करते हैं उनके उदाहरण देती हूं कि वहां का हैड मास्टर अपना कैरीकूलम खुद बनाता है क्या हमने कभी इस पर विचार किया, किसी शिक्षा विभाग के व्यक्ति ने विचार किया कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या पाठ्यक्रम है। क्या यहां पर पाठ्यक्रम कौन बनायेगा वही विभाग के अधिकारी पाठ्यक्रम भी दे देंगे। आपने कोई पाठ्यक्रम बनाने की कमेटी बनायी। क्या शासन ब्यूरोक्रेसी पाठ्यक्रम बनायेगा और शिक्षक पढ़ायेगा और इसके अलावा तीसरी बात यह कि शिक्षक पढ़ाता नहीं घूमता है, शिक्षक का सर्वाधिक सम्मान दुनिया के देशों में है जहां सम्पूर्ण एजूकेशन सर्वाधिक वेतन और सर्वाधिक सम्मान शिक्षक का है, हम शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहते हैं एक दिन मना लेते हैं कि यह राष्ट्र निर्माता है क्योंकि हम नागरिक बनाने की जो इण्डस्ट्री इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन को सर्वाधिक गौड मानते हैं शिक्षक को हम कहते हैं कि राष्ट्र निर्माता ठीक है इसका कोई सवाल नहीं इस गांव की बात करते हैं अरे भाई यहां पढ़ाई नहीं हो रही है, यहां टीचर नहीं आ रहा है। हम इंस्टीट्यूशन पर केन्द्रीत हो गये, लेकिन हम उसको राष्ट्र निर्माता के रूप में उसका सम्मान कर ही नहीं पाते, क्या हमने यह वातावरण सृजित किया और इसलिए सारी दुनिया के देशों में उस हैरो और कैम्ब्रीज का मैं उदाहरण दे रही हूं, जहां सब प्रधानमंत्री चुने गये, वहां अपने किंग को आने को मना

कर दिया हैड मास्टर ने इसलिए कि किंग इंस्टीट्यूशन में आयेगा तो वहां के प्रिंसिपल को खड़े होकर हैड उतारकर उसको रिसीव करना होगा और वह अपने स्टूडेन्ट्स को मैसेज नहीं देना चाहता था कि स्कूल के हैड मास्टर्स से बड़ा राजा होता है, जिसने उसे रिफ्यूज कर दिया कि इंस्टीट्यूशन में न आये उसने कहा क्योंकि मुझे हैड उतार कर आपको रिसीव करना पड़ेगा प्रोटोकाल में दर्जा जाना जायेगा कि राजा बड़ा होता प्रिंसिपल छोटा होता है। मान्यवर, कृपा करके पर्वतीय क्षेत्र में एक सोच के साथ चलिए आप हमारी सोच अपने ऊपर मत लादिये लेकिन एक व्यापक चिन्तन विभागीय अधिकारी करें कि कैसे इसे चालू रखें।

मान्यवर, नवीं की बोर्ड की परीक्षा होगी 8वीं की बोर्ड की परीक्षा हो गयी क्योंकि यू0 पी0 में हो गयी।

..............मान्यवर, यह जो रिक्तियां हैं मेरी यह मान्यता है कि नियमित नियुक्तियां की जायें और हाइऐस्ट वेतन दिया जाय, तत्काल पांचवा वेतन आयोग शिक्षकों पर लागू करके यह इंडीकेशन दिया जाये कि सर्वाधिक सम्मान हम शिक्षकों को देते हैं हम आपसे कहते हैं कि उन संसाधनों पर जहां कमी आयेगी उसमें हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, लेकिन पैसा आप कितना रख रहे हैं, 2250 रुपये में प्राइमरी शिक्षक, 3500 में माध्यमिक शिक्षक, तो माननीय मुख्यमंत्री जी यह कहें कि स्थाई व्यवस्था है इसको हम नियमित कर देंगे तो ठीक है, मान्यवर, जितना आप नियमित कर सकें नियमित करें क्योंकि इसे करने के बाद आपके सामने कष्ट आ जायेगा आगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि यह सही है बेरोजगार बिन पैसे में क्या डिमाण्ड करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। मान्यवर, एक चिन्तन और पाठ्यक्रम बनाने में विशेषज्ञों की समिति और शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या दृष्टिकोण अपना सकते हैं, देशाटन और अध्ययन प्रयोगशालायें हम दे सकते हैं। आधुनिक इक्कीसवीं सदी की शिक्षा कैसी हो इस पर भी चिन्तन कर लें, समय बहुत कम है, विषय बहुत बड़ा है।

परिवहन और दूसरी बात नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन को मैं पर्यटन से जोड़ रही हूँ। मान्यवर, परिवहन की हालत बहुत खराब है, एक बार मुझे अवसर मिला बस में बैठने का। एक बार मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई तो मैं एक बस में बैठ गई और बस में बैठने के बाद मैंने अपने सेल फोन से घर में फोन किया कि गाड़ी ले आओ नहीं तो दम ही घुट जायेगा। तो बड़ी दयनीय स्थिति है बसों की। तो परिवहन की व्यवस्था के लिये आप निगम नहीं बनायेंगे, तो यह चिन्तन का विषय है, क्योंकि हमारे यहां पर्यटन के स्थान हैं इसलिये मान्यवर बसों की व्यवस्था अच्छी से अच्छी करवा दीजिये, यह नहीं कि वह मसूरी तक चले, दूर तक सारे क्षेत्र में सुन्दर बसें और पर्वतीय क्षेत्र में कहीं–कहीं एक ही बस होती है, तो बस तो चलानी पड़ेगी उनका भी ध्यान रखें जीपें भी चलती हैं उनको रोजगार मिला, यह अच्छी बात है लेकिन उसमें 50 बैठते हैं तमाम ऐक्सीडेंट होते हैं, बसें भी चलें और जिनको रोजगार मिला, उनका रोजगार न छिने इस पर विचार कर लें। हमारे पर्वतीय क्षेत्र से विधायक आते थे उनको बसों से जाना पड़ता था। ट्रेनें हैं नहीं, वह तो अधिक कष्ट झेले हुये हैं।

मान्यवर, नागरिक उड्डयन के बारे में मान्यवर, चूँकि यह पर्यटन जिसे आपने कहा

ऊर्जा, शिक्षा और पर्यटन तो इसलिए नागरिक उड्डयन पर आपका क्या संशोधन है कितना फाइनेंस है, कितने देहरादून के हवाई अड्डे, पंतनगर के हवाई अड्डे, पिथौरागढ़, गोचर यह तो लगभग बने हुये हैं। जो बने हुये हैं इनमें डेली सर्विसेज और पंतनगर पर कृपा कर दीजिये, लेकिन देहरादून भी तो रेगुलर नहीं होना चाहिए, राजधानी भी है, होना चाहिए तो यह हो। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देती हूँ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 13, जलापूर्ति, सफाई एवं आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आज जब यह सदन शुरू हुआ था तो हम लोगों ने अपनी बात को रखने का काफी प्रयास किया था लेकिन अब परिस्थिति यह है कि मेरे मन में यह द्वन्द है कि जस्टीफिकेशन तो मैं कर नहीं पाऊँगा। 3 बड़े विभाग आवास विभाग, जलापूर्ति, स्वास्थ्य और उसके साथ–साथ ग्रामीण पेयजल और लोक निर्माण विभाग भी, आपकी आज्ञा है, 15 मिनट हैं। मैं प्रयास यह करूँगा कि जो कुछ है उसको सुपर फास्ट की तरह पढ़ दूँ। जस्टीफिकेशन हुआ या नहीं, इसका निर्णय तो लोग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं चाहता यह था कि अच्छे ढंग से अगर बातचीत हो जाती, अगर समय रहता तो कुछ बहुमूल्य सुझाव मैं दे पाता, जिससे हम अपनी इस स्थिति में सुधार लाने में सक्षम होते। मान्यवर, मैंने सुबह आपसे अनुरोध किया था और आपने श्रद्धापूर्वक स्वीकार भी कर लिया था कि आप जो समितियां सदन की बनाएं, उसके अतिरिक्त जो विभागीय समितियां हैं, वो भी अगर आप गठित कर देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां समय की कमी न रखें तो विस्तार से हम उन पर वहां भी चर्चा कर लें। हमारा उद्देश्य तो यह है कि हमारे सम्मिलित प्रयास के माध्यम से उत्तरांचल की जो व्यवस्था है, चाहे वो नगर विकास की हो, स्वास्थ्य की हो या लोक निर्माण विभाग की हो, हम उसमें अपेक्षित सुधार भी कर सकें। और प्रगति भी कर सकें। मैं अपनी बात प्रारम्भ करूँगा, नगरों के विकास से, हमारे नगरों का विकास और सभ्यता, ये एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभ्यता नगरों को पालती–पोसती है और उसके बदले में हमारे नगर इस सभ्यता की रक्षा करते हैं। ये जो हमारी सभ्यता और शहर हैं, ये इस बात के भी परिचायक हैं कि उस समय का जो मानव रहा, उसका विचार क्या था और सृजनात्मकता क्या थी। शहर और सभ्यता इस बात को भी प्रकट करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से शहर बढ़ रहे हैं, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपनी उस पुरानी परम्परा से, सभ्यता से दूर हो जायेंगे, शहर जिसका प्रतीक हुआ करता था। यह इतिहास की चीज बन जाएगी। भविष्य के शहर शायद हमारी सभ्यता को प्रतिबिंबित नहीं कर पायेंगे। ये आज दुःख का विषय है। खासतौर से मैं सबसे पहले सफाई से अपनी बात शुरू करता हूँ, शहरों की सफाई की जो व्यवस्था है, उस पर अगर हम गंभीरता से

विचार कर लें, तो निश्चित रूप से हमको बहुत कष्ट होगा कि आज हम किन हालातों में इन शहरों में जिन्दा हैं।

मान्यवर, जो कूड़ा घरों से, सड़कों से, अस्पतालों से और नर्सिंग होम से निकलता है, उसका डिस्पोजल हम नहीं कर पाते। ....

मान्यवर, आज शहरों की जो सफाई की व्यवस्था है। उस पर अगर हम गम्भीरता के साथ विचार कर लें तो निश्चित रूप से हमको बहुत कष्ट होगा कि आज हम किन हालात में इन शहरों में जिन्दा हैं। मान्यवर, कूड़ा जितना शहरों से निकलता है, घरों से निकलता है, सड़कों से निकलता है उसके साथ-साथ मान्यवर, जो अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं वहां से भी कूड़ा निकलता है। मान्यवर, और इसका डिस्पोजल हम कर नहीं पाते। बहुत प्रयास हम कर लें तो 65-70 प्रतिशत से अधिक कूड़ा हम शहरों से नहीं उठा पाते हैं और जो कूड़ा हमने उठा भी लिया उसके डिस्पोजल की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। उसके डिस्पोजल में लैण्ड फीलिंग का हमारा एक महत्व है, लेकिन धीरे-धीरे वह लैण्ड भी खत्म होती चली जा रही है। मान्यवर, उसमें भी एक समस्या है जो कि अजैविक कूड़ा जो नष्ट नहीं होता प्लास्टिक के रूप में जिसको हम कहते हैं। उस कूड़े की अलग समस्या है और मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक निर्णय भी पूरे भारत के लिए दिया था कि 31 दिसम्बर, 2000 तक ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि अस्पताल और नर्सिंग होम से निकलने वाला, कूड़ा जिसकी भयावहता पर अगर हम चर्चा कर लें इसमें सीरिन्ज भी होती हैं, इसमें और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमारे दुश्मन फिर वहां से उठाते हैं और दुबारा उसका इस्तेमाल करते हैं। इससे कितने रोग फैलते हैं। यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। हम कूड़े का पूरा डिस्पोजल नहीं करेंगे उसका परिणाम क्या होगा नालियां भरी होंगी, मक्खियां होंगी, मच्छर होंगे, लैण्ड फीलिंग की समस्या है वहां प्रापर ट्रीटमेंट नहीं है और प्रापर ट्रीटमेंट न होने के कारण वहां गाय, सुअर और भी जितने पशु हैं वे बीमारी ले जाते हैं मान्यवर। हम अस्पतालों में इलाज कराते हैं, दवाई की व्यवस्था हम नहीं कर पाते, अस्पतालों में परेशानी आती है। प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। हम सावधानी-पूर्वक रहें, बीमारी हमारे नागरिकों को न हो, यह व्यवस्था हम कर लें तो मान्यवर, वह उससे अच्छा है कि कोई जब बीमार हो जाये तो हम उसके इलाज की व्यवस्था करें। यह इसका एक पहलू भी है। हम इस कूड़े के द्वारा ऐसा नहीं है कि हम इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। यह आज हमारे लिए एक लाईबिलिटी है, परेशानी है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको लाभ में बदल सकते हैं।

मान्यवर, जो छोटे-छोटे बच्चे कूड़े से पॉलिथीन चुनते हैं, अगर हम उनको बढ़ावा दें, उनको कुछ पैसा दे दें और हम जैविक, अजैविक कूड़े को अलग कर लें, रिसाइकिलिंग की जो व्यवस्था पॉलिथीन की है उसको वहां इस्तेमाल कर लें और जो जैविक कूड़ा बचता है उसके माध्यम से अगर हम खाद बना लें, बिजली बनाने का काम कर लें तो जो चीज आज हमारे लिए लाईबिलिटी है, उसको हम बदल सकते हैं और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चूँकि यह विभाग है कहना चाहूँगा कि इसके लिए कोई कमेटी या विशेषज्ञों की राय लेकर चिन्तन करा लें कि कैसे हम इस हानि को लाभ में बदल सकते हैं। सीवर सिस्टम की बात मैं आज मुख्यमंत्री जी नियम 51 के अन्तर्गत जो माननीय

कपूर साहब की 301 की सूचना के जवाब में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया, बड़ा आश्चर्यजनक बयान है। देहरादून अब उत्तरांचल की राजधानी है और देहरादून नगर में अगर 40 प्रतिशत आबादी को हम केवल सीवर दे पाये हैं। राजधानी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि 150 करोड़ रुपये की आवश्यकता है अगर हम पूरे देहरादून को सीवर लाईन दे दें। तो मान्यवर, अगर हम यहां भी नहीं कर सकते तो इससे जो छोटे शहर हैं, उनकी हम सहज कल्पना कर सकते हैं कि आज क्या स्थिति हमारी है और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े हैं, हमारे जो केन्द्रीय मंत्री जगमोहन साहब हैं, शहरी विकास के उनके मुताबिक नगरों में मात्र 24-25 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्हें शौचालय की सुविधाएं प्राप्त हैं। ये कन्ट्रीब्यूट कर रही है हमारी नदियों को प्रदूषित करने में, गन्दगी फैलाने में, बीमारी फैलाने में तो इस पर गम्भीर चिन्तन होना चाहिए कि हमारी अपनी जो नगर पालिकायें हैं, नगर परिषदें हैं, नगर निगम हैं उनके लिए आय के स्रोत वह अपेक्षा अगर सरकार करे कि सरकार सारा पैसा दे दे और सरकार के पास होता तो सरकार पैसा दे भी देती क्योंकि मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार यह नहीं चाहती कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम सीवर लाईन की व्यवस्था न करें, लोगों को गंदगी में जीने के लिए मजबूर करें। कोई सरकार कोई मुख्यमंत्री यह नहीं चाहता है और पैसा नहीं है तो हम यह संतोष करके बैठ नहीं सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है। उसके विकल्प पर चिन्तन करना होगा, उसका विकल्प हमको तलाशना होगा और उसका एकमात्र विकल्प है आज हमारे पास स्थानीय निकायों में है क्या, हमारा मानक है कि हम 10 हजार व्यक्तियों पर 2700 सफाई कर्मचारी की हमें आवश्यकता होती है, लेकिन 27 कर्मचारी भी हम शहरी निकायों में रख नहीं पा रहे हैं। हमारे पुराने तौर तरीके हैं उनको बदलने के लिए यह तो जरूरी है कि शहरी निकायों को मजबूत बनाना पड़ेगा, उसका रास्ता क्या है। डायरेक्ट टैक्स हम लगा नहीं सकते, क्योंकि हम साहस नहीं करते ऐसे निर्णय लेने का जो निर्णय सख्त हो तो मान्यवर, इनडायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट हम आय के स्रोत ढूंढ सकते हैं। बारात घर बना सकते हैं। मार्केटिंग काम्पलेक्स नगर निकायों को हम दे सकते हैं और जो बस स्टैण्ड हैं उनकी व्यवस्था नगर निकायों को दे सकते हैं कि ये आय कर लें। इस प्रकार के और भी बहुत से साधन हैं जिनके माध्यम से हम नगर निकायों की आय बढ़ा सकते हैं और आय बढ़ाकर इन चीजों की पूर्ति हम कर सकते हैं। ....

मान्यवर, एक बात दुखद है कि, रेवन्यू हम देख लें, शहर हमारे रेवेन्यू कन्ट्रीब्यूट करते हैं यहां शहरों को जो मिलने वाली सहायता है वह कितनी है उस पर भी हम गौर कर लें तो मान्यवर हम पायेंगे हम शहरों के साथ उसके विकास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं। दूसरी बात मैं जो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ये जो चुनौतियां हमारी हैं उनसे निपटने के लिए सुस्पष्ट नीतियां बनाने के बारे में और उसका कार्यक्रम भी बनाना पड़ेगा। हमारे शहर में झुग्गी झोपड़ियाँ-बस्तियाँ जिस तेजी से बढ़ रही हैं शहर की आबादी के आंकड़े हैं वह देहात की अपेक्षा दुगुनी होंगी, और 2020 तक हम कल्पना करते हैं जो शहरों की आबादी है यह दुगुनी हो जायेगी। इसके कारण लोग रोजगार की तलाश में शहर को भागते हैं। शहरी जीवन में कुछ सुविधायें और बिजली 24 घंटे मिलती है ऐसी बहुत सी चीजें हैं तो इस पर गहन विचार की जरूरत है जो देहात से पलायन हो रहा है हम उसको रोकने का काम करें और शहरों को हम अच्छा बनाने का

काम करें। क्योंकि यह हमारी सभ्यता को रिप्रजेन्ट करता है और हमको सामर्थ्य विरासत में मिली है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो हमारे पुराने शहर थे जिनका हम इतिहास में वर्णन पढ़ते हैं, मान्यवर आज की विचारधारा या आज की पश्चिमी क्षेत्रों के देशों की आर्कीटेक्ट हैं जो योजनाकार है वह उनको छू भी नहीं पाये हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उसको बचाने के लिए इस युग में हम पैदा हुए हैं जन्म लिया है तो यह कर्तव्य है हम शहरों के माध्यम से उस सभ्यता को जीवित रखने का कार्य करें, ताकि भविष्य में लोग कह सकें कि ये शहर बताते हैं कि उस समय की सभ्यता क्या थी। मान्यवर, एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण जो वायु प्रदूषण है वह आज हमारे शहरों में है, कैसे फ्लाई ओवर बनाने हैं, कैसे हम सड़कों का सुधार इस व्यवस्था में कर सकते हैं कैसे हम सड़कों का सुधार करके बायपास बनाकर कर सकते हैं, यह एक लम्बा विषय है। मान्यवर, अब मैं पैसे की बात करता हूँ। देहरादून के स्तर के जो शहर हैं 'ए' क्लास के इनके लिए जल्दी अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार 75 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है जो दिल्ली जैसे शहर हैं उनका 175 है। मान्यवर, मैं भी अपनी बात कहता कुछ बता लेता कहीं पानी हम दे पा रहे हैं कहीं पानी हम नहीं दे पा रहे हैं और जहां दे पा रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं। मैं एक बात आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूँ मान्यवर, अगर हमारा विशिष्ट मेहमान आ जाता है शादी ब्याह में देखते हैं भोजन होता है, वहां कोई जल निगम की टंकी या टैंकर रहता है उसका पानी वह नहीं पीना चाहते हैं उसके लिए भी मिनरल वाटर के बड़े–बड़े जग आते हैं हम लोग स्वीकार करते हैं कि शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं। हम 12 रुपये की एक बोतल साढ़े सात सौ मिलीग्राम की खरीद कर पानी पीयें, लेकिन वह गरीब जिसके पास 12 रुपये पूरे दिन में पानी पीने के लिए भी नहीं हो सकते और वह अशुद्ध पानी पीता रहे। हम इस बात की चिन्ता न करें कि यह हमारे मन को झकझोरता नहीं, मान्यवर, इस शहर में दो सभ्यता पैदा हो गई, एक मिनरल वाटर वाली सभ्यता, एक वह गरीब जो अशुद्ध पानी पीता है, उससे हम उसको निजात नहीं दिला सकते। मान्यवर, यह गम्भीर सवाल है इससे ज्यादा ग्लानि की बात और क्या हो सकती है। जब हम उ0प्र0 में थे, विधान सभा में भी हमने सवाल उठाया। मान्यवर, आप देखिये हरिद्वार जैसे शहर में जहां कुम्भ में इतनी बड़ी व्यवस्था हम करते हैं और हम कहते हैं आज की तारीख में भी टोटल पानी देख लिया जाय। जितने ट्यूबवैल देते हैं तो मानक से ज्यादा हैं लेकिन इसलिए कि मेले भी रोज होते हैं तो मान्यवर, आप 15 नमूनों में से 10 नमूने ऐसे पाओगे जो पीने योग्य नहीं है। गंगा का जल पीने योग्य नहीं है लाखों लोग आते हैं ऋषिकेश, हरिद्वार में शौच भी गंगा में करेंगे, वहां शौचालय उपलब्ध हैं नहीं।

मान्यवर, मैं एक निवेदन आपके माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूँ, अगर सब लोगों ने ऐसा ही सोच लिया होता कि चलने दो ऐसे ही, तो यह देश कभी आजाद नहीं होता। इस समाज में इस संस्कृति में परिवर्तन नहीं होता इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मा0 मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ आवास की जो स्थिति है उस पर विकास प्राधिकरण में मामले पड़े हैं। आवास विकास परिषद् तो मैं नहीं जानता, अभी मा0 मुख्यमंत्री जी ने इस पर प्रकाश भी नहीं डाला।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से आवास विभाग की कहना चाहता हूँ, आवास की जो स्थिति है उस पर विकास प्राधिकरण हमारे बने हुये हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर प्रकाश भी नहीं डाला है कि आवास विकास परिषद् उत्तरांचल में गठित है कि नहीं अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह दें तो उस पर मैं अपनी बात रखता, लेकिन विकास प्राधिकरण हमारे यहां है तो कितनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा। अभी उत्तर प्रदेश में था कि जितने विकास प्राधिकरण थे बगैर उसे शहर की भौगोलिक परिस्थिति स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए सबके लिए एक कानून बने, एक ले ऑडिट का तरीका बन गया भले हरिद्वार पहाड़ गंगा के बीच में ही 200 मीटर की पट्टी भी न हो 100 फुट में आदमी रहता हो। उसको भी कहेंगे एक–तिहाई छोड़ दो तो 33 फिट छोड़ दे तो 7 फिट में आदमी रहेगा कहां पर। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस पर भी विचार करें कि जो प्राधिकरण हैं वह अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, भौगोलिक स्थिति के अनुसार, लोगों की स्थिति के अनुसार, अपने नियमों को बनाने का काम करें और इसके साथ एक गम्भीर बात जो मैं आते हुए चिन्तन कर रहा था कि यह अनधिकृत मकान क्यों बनाते हैं इसके पीछे कारण क्या है और इसके पीछे कारण जो हैं वह हैं कि विकास प्राधिकरण जो विकास शुल्क मांगता है जो उसका मानक है वो एच0आई0जी0 है या और बड़े लोग हैं उनके लिये तो हो सकता है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लिये उन नियमों का पालन करना सर्वथा असम्भव है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमको इस बात पर भी विचार करना चाहिए जो गरीब लोग हैं मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिये प्राधिकरण का शुल्क, विकास शुल्क और शर्तें हमारी ओपन एरिया छोड़ना चाहिए और जो कालोनी केवल ऐसे वर्गों के रहने के लिये हों, उनकी शर्त हम अलग कर दें और उनको प्रोत्साहित करें तो मान्यवर, अगर इसके आवास के बारे में मेरे सुझाव पर माननीय मंत्री जी विचार करें और दूसरी बात यह है कि हम जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जितने विधायक हैं, प्राधिकरण के साथ उनको भी जोड़ने का काम करें तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा पारदर्शिता भी रहेगी और प्राधिकरण अच्छे ढंग से काम भी कर पायेंगे। इन सुझावों पर हम वहां भी सुझाव दे सकते हैं।

लोक निर्माण विभाग की बात कही मान्यवर, जैसा काजी साहब ने बताया भारत में आधुनिक सड़कों का, जो इतिहास है वह तो शेरशाह से प्रारम्भ होता है और सड़कें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं हैं कि बसें, कारें उस पर तेजी से दौड़ सकें। हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ऐसा नहीं कि इनका महत्व केवल इतना है, इनका महत्व इसलिए है कि सड़कों द्वारा हमारी दूसरी संस्कृतियां जुड़ती हैं, सभ्यताओं से जुड़ते हैं, दूसरे लोगों से जुड़ते हैं और इस प्रकार मैं यह कह सकता हूँ कि सड़क हमारी राष्ट्रीय एकीकरण में, हमारी संस्कृति में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं यह इनका बहुत बड़ा महत्व है। देहात का आदमी जिसके पास सड़क नहीं है, सड़क मिलती है शहर आता है शहर में उससे जुड़ते हैं तो उसका मानसिक स्तर भी बदलता है उसका चिन्तन भी बदलता है और उसके चिन्तन बदलने से समाज को कुछ कंट्रीब्यूशन भी होता है।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं बताई। मुझको भी आदेश दिया कि जो प्रस्ताव हैं, उनको भेजूँ। मान्यवर, आज तो समय नहीं है लेकिन जब स्थायी समिति में मौका मिलेगा फिर अपनी बात कहेंगे लेकिन एक बात मैं खास तौर से कहना

चाहूँगा, हमारे जनपद में बालावाली पर ट्रेन का एक पुल है। पिछले समय जो रेल मंत्री ममता बनर्जी थी, पुराने पुल को उत्तर प्रदेश सरकार को, चूँकि पुराना प्रदेश उत्तर प्रदेश था, उन्होंने कहा बिना मूल्य के मैं दे रही हूँ। मान्यवर, अगर उस पर सड़क बन जाती तो पूरा बिजनौर का सारा हिस्सा लक्सर से जुड़ता। अगर हम मात्र उसका रिडैकिंग कर दें, अपनी तरफ की सड़क हम पूरी कर लें, बिजनौर अपनी तरफ की सड़क पूरी कर ले। केवल उस पुल में हम सड़क मार्ग बना दें तो कितना भारी पेट्रोल का व्यय और बरसात में होने वाली कठिनाइयों से हम बच सकते हैं और जो हमारा सारा इलाका अपराध ग्रस्त रहता है, उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। यह एक बड़ी परियोजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर की। वहां से बात करके उसमें अमल करायेंगे तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। इसके साथ ही मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये तो हुए मेरे कटौती प्रस्ताव। लेकिन अगर मैं जेल पर कुछ कहूँ तो उसके लिए तो आप 5 मिनट देंगे न।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, बहुत हो गया। पहले कुछ सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी बोलना चाह रहे हैं।

काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, इतने प्रस्ताव आ गये, इतने कटमोशन आ गये कि पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है ? अन्धे की लाठी है, जिसके भी लगे। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के बारे में बात कही।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी जी ऐसा करते हैं, पहले सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी सुन लेते हैं।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, अभी एक अनुदान संख्या और रह गयी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 14, सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आज के इस प्रगतिशील युग में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है। इसलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि इन नवगठित राज्य में इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत आयाम हैं और इसको विकसित करना बहुत आवश्यक है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, इसका उस सूचना विभाग से कुछ लेना–देना नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, 8 करोड़ में कम से कम एक टेलीफोन की डायरी तो दे देते।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, डायरी छप गयी है। बहुत जल्दी हम रिलीज कर देंगे।

श्री राजेन्द्र शाह–

मान्यवर, एक नगरपालिका बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उनका विशेष ध्यान रखा जाये और एक डिग्री कालेज के संबंध में आपने आश्वासन भी दिया है और उ0प्र0 में इस पर सहमति भी, स्वीकृति भी मिल चुकी है। मान्यवर, अब मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूँ। बार–बार सदन में चर्चा होती है पुलिस की और आबकारी की। बहुत बार सदन में सुनने को मिला कि शराब की वजह से अपराध होते हैं और मैं नहीं मानता। क्योंकि साकी प्याला सुन्दरी अक्षाला की बात की। बात करने वाले विद्वान हरवंश राय बच्चन ने भी कहा था "मन्दिर–मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला" या तो वे गलत थे और इतनी ताकतवर चीज मान्यवर, कि एक पीने वाला शाम की नमाज के बाद जब नमाजी चले गये उसे खाली जगह मिली, मस्जिद का हाता, वहां बैठकर पीने लगा। वह पी ही रहा था कि वहीं मौलवी साहब आ गये उन्होंने कहा अरे खुदा के बंदे इबादत की जगह ऐसे नापाक कार्य कर रहा है। नापाक कर दिया इबादत को यहां। वह कुछ ज्यादा सुरूर में था उसने कहा अगर इबादत में दम है तेरी, तो मस्जिद हिला कर दिखा, वरना एक जाम पी और मस्जिद हिलती देख। इतनी अच्छी चीज और उसकी बुराई हो। मान्यवर, यह प्राचीन काल से, मैं समझता हूँ जब मोरार जी का शासन आया था 77 का, उसमें बन्द हुई थी, सोमरस चल पड़ी थी, संजीवनी सुरा चली और जिन्हें नहीं मिली उन्होंने ब्रेड में आयोडेक्स लगाकर खाना शुरू कर दिया। इसमें बहुत लोग मरे और जो कफ सीरप हैं, पूरी की पूरी बोतल पीना शुरू कर दिया क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। गलत तरीके से लोग मरने लगे। तो मैं समझता हूँ सोमरस, सुरा लोगों ने कुछ नाम रखे हैं इसके। मदिरा जब समुद्र मंथन में भी यह बात इस तरह से निकली होगी। सोमरस देवताओं के हिस्से में आया, मदिरा दैत्यों के हिस्से में आई। वह चाहे राक्षस कह लें, क्योंकि वह बहुत गरीब लोग रहे होंगे। रम को देखता हूँ तो समझ नहीं पाता हूँ कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है रेग्यूलर यूज इट मेडिशियन 30 डेज। वह जवान के लिए अच्छा है। बच्चे के लिए पौवा है। इसी तरह से विस्की, मैं समझता हूँ कि देवताओं के ही पीने की चीज है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आपको बधाई हो। आपकी सरकार में आबकारी की वकालत हो रही है।

श्री राजेन्द्र शाह–

मान्यवर, उसमें ब्रान्डी है लोग भी उसे दवा के रूप में पीते हैं। ठंड लग गई तो ब्रान्डी दे दो। बच्चे को भी दे देते हैं।

विस्की में विष्णु बसे, बसे रम में राम।
ब्रान्डी में ब्रह्मा बसे, ठर्रा में हनुमान।।

तो मान्यवर, बहुत गुणकारी चीज का सब विरोध कर रहे हैं। पता नहीं मुख्यमंत्री जी को किसने भ्रमित कर दिया है।

मान्यवर, मैंने कुछ सुझाव दिये हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी ने सुबह कह दिया था कि आबकारी पर राजेन्द्र जी बोलेंगे इसलिए मान्यवर, मुझे अपने मा0 सदस्यों ने भी कहा अभी पॉलिसी बनी इसमें थोड़ी बहुत कमी अधिकारी वर्ग की तरफ से रही। कुछ सख्ती हो, जुर्माना अधिक हो, इसमें जो अवैध शराब बनती है उसमें रोक लग जायेगी। दूसरा जो अभी पहाड़ में बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जिसमें सौ डेढ़ सौ बोतल साल का कोटा है उसमें गलत तरीके की शराब जा रही है चोरी करके ला रहे हैं और जो 26 तारीख को देशी मदिरा में प्रतिबन्ध कर दिया था और विदेशी मदिरा 31 मई तक परमिट से मिलती रहे। इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, मेरी आप सभी के लिए एक कामना है– "लेकर हाथों में जाम खूब पी तू, सुबह शाम जब तक तू पीता रहेगा, बिना गम के जीता रहेगा।" इन्हीं कामनाओं के साथ मैं समर्थन पर बल देता हूँ।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी द्वारा नगर विकास, पेयजल, आवास के प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपना विचार रखना चाहूँगा। मान्यवर, देहरादून उत्तरांचल का एकमात्र नगर निगम है और आज से 2 वर्ष पूर्व मात्र नगर पालिका थी और नगर पालिका से इसका उच्चीकरण नगर निगम के रूप में हुआ और अब तक जो नगर निगम की व्यवस्था थी वह भी अभी पूरी नहीं हो पायी कि अस्थायी राजधानी बन गई। मान्यवर, नगर निगम में नये क्षेत्र जुड़ने के कारण नगर निगम की समस्याओं ने गम्भीर रूप धारण कर लिया क्योंकि जो वर्तमान व्यवस्था थी उसके आधार पर नगर निगम की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता था। यहां की यातायात व्यवस्था, सफाई व्यवस्था आदि मान्यवर नगर पालिका की आबादी के आधार एवं क्षेत्रफल के आधार पर लगभग 1100 सफाई कर्मचारी होने चाहिए थे नगर पालिका के पास मात्र साढ़े 600 सफाई कर्मचारी थे। नगर निगम बनने के पश्चात् जब जनसंख्या लगभग डेढ़ गुना पौने 2 गुना हो गई सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई। आज भी वह साढ़े 6 सौ सफाई कर्मचारी उस व्यवस्था को देख रहे हैं। निश्चित रूप से जो साढ़े 6 सौ सफाई कर्मचारी हैं वह सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं रख सकते। मान्यवर, स्थिति यह है कि नगर निगम क्षेत्र में लगभग 100 मलिन बस्तियां हैं जहां मलिन बस्ती सुधार की बात की जाती है। नगर निगम के पास पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण स्थिति यह बन गई है जो नगर के प्रमुख पुराने मोहल्ले हैं वह मलिन बस्तियों में तब्दील हो रहे हैं।

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था के लिये उचित प्रबन्ध होना चाहिए और सफाई कर्मचारियों की स्थिति यह है कि जो सफाई कर्मी को सफाई व्यवस्था दी गई है उनके पास ठेलियाँ नहीं हैं, जो नालियों में काम करते हैं उन्हें गमबूट्स नहीं दिये जाते हैं, उनके पास जो जंगले होनी चाहिए वह नहीं उपलब्ध कराये जाते हैं, जिन परिस्थितियों में उनसे सफाई की कल्पना की जाती है वह व्यर्थ है। मान्यवर, इस ओर भी ध्यान दिया जाये और उसके बाद जब सफाई कर्मी रिटायर हो जाता है तो उसको यह नहीं मालूम होता कि उसके पास प्रॉविडेंट फण्ड कितना होता है उसको

मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो बरसों दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मान्यवर, प्राधिकरण की बात करूँ, प्राधिकरण क्यों बनाया आज हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं, मुख्य रूप से धारणा यह रही होगी कि नियोजित विकास हो परन्तु नियोजित विकास किस प्रकार से प्राधिकरण कर रहा है इसका आज कोई भी उत्तर हमारे पास नहीं है। 1984 में एक विकास प्राधिकरण बना। एक अधिकारी वहां पर आया, उसने बिना आवश्यकता के 35 जूनियर इंजिनियर्स को डेलीवेजेज पर भर्ती कर लिया और आज उन्हें हटाया नहीं जा पा रहा है क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। दूसरा उपाध्यक्ष आया उन्होंने शहर के चारों तरफ तार बाड़ कर दिया और वहां पर वृक्षारोपण कर दिया। आज एक भी पेड़ वहां पर जीवित नहीं हैं। इसी प्रकार से जो भी नियोजित विकास के लिए जो निरंतरता जरूरी थी वह निरंतरता नहीं है, जिस कारण से प्राधिकरण अपने आप में एक समस्या बन गई है, आज हम कोई ऐसी उपलब्धि नहीं गिना सकते। या 8–10 साल जो प्राधिकरण जब बना हुआ है एक ऐसी उपलब्धि नहीं है जो हम कहें कि प्राधिकरण के माध्यम से हमने प्राप्त की हो। जो भी अधिकारी आया उसने जो पैसा विकास शुल्क के रूप में लिया उसे अपने तरीके से खर्च किया, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, वहां पर अभियन्ता क्या करते हैं, वहां के कर्मचारी क्या करते हैं कोई अंकुश नहीं है। जिस कारण से जो विकास प्राधिकरण जिसे शासन ने नाम दिया वह आज विनाश प्राधिकरण के नाम से चिन्हित हो रहा है। मान्यवर, वाटर लॉगिंग या पानी निकासी एक मुख्य समस्या है, कि एक समय था जब देहरादून में बारिश आती थी, सड़क ऐसे बन जाती थी जैसे यह माना जाता था कि किसी ने सड़कों की धुलाई की हो, परन्तु आज 15 मिनट के लिये भी बारिश आ जाये तो सारी गंदगी जो नालों में भरी पडी है। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण वह गन्दगी बाहर सड़कों पर आ जाती है और एक घिनौना दृश्य उत्पन्न करता है, प्राधिकरण का काम नियोजन होना चाहिए, और क्रियान्वयन का काम अगर हम नगर निगमों को दें तो निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार हो सकता है और इसके साथ–साथ प्राधिकरण में क्या सुधार हो सकता है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

मान्यवर, मैं पेयजल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय राणा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने नगर की पेयजल की समस्या को देखते हुए बीजापुर कैनाल की योजना को स्वीकृति प्रदान की है, उससे 12 एम0एल0डी0 पानी बढ़ जाएगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपया इस साल आवंटित करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी समस्या यह है कि वर्तमान में नगर की पेयजल समस्या का, जो समाधान हो रहा है, वह ट्यूबवेल के माध्यम से हो रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ट्यूबवेल की जो व्यवस्था है वो स्थायी नहीं है। एक तो वह बिजली पर आधारित है, बिजली चली जाए तो पानी नहीं आता और दिन प्रतिदिन जल स्तर नीचे जा रहा है। ट्यूबवेल जिस अवधि के लिए बनाये जाते हैं, उस अवधि तक चल नहीं पाते हैं और जितने पानी की हम अपेक्षा करते हैं, वह नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि हम ट्यूबवेल के माध्यम से आने वाले समय में पानी की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे और भविष्य में यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। हमारे यहां गंगा जी और यमुना जी हैं, अगर हम नेचुरल स्रोतों

पर आधारित कोई पेयजल योजना बनायें तो पेयजल योजना के साथ सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकते हैं। यह व्यवस्था काफी लम्बे समय तक स्थायी बनी रहेगी। इसके पूर्व एक योजना बनी भी थी परन्तु धनाभाव के कारण वह पूरी नहीं हो सकी। एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ कि यदि सोम नदी पर आधारित बहुउद्देश्यीय योजना हम बनायें तो निश्चित रूप से काफी समय तक वह हमारी पानी की समस्या का समाधान कर सकेगी। सीवरेज के बारे में अनुरोध करना चाहूँगा, अभी नियम 51 में एक प्रश्न मैंने दिया था, उसका उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। उसमें बताया गया कि 40 प्रतिशत आबादी नगर निगम की आबादी सीवरेज के अन्दर आती है। मैं नहीं समझता कि कहीं गलती हुई होगी, हो सकता है मैं ही गलत हूँ कि नगर पालिका, जो 40 प्रतिशत क्षेत्र था वो उसके आधार पर तो यह ठीक हो सकता है, परन्तु नगर निगम का जो क्षेत्र है, उसमें 25 प्रतिशत क्षेत्र सीवरेज से कवर है। और 25 प्रतिशत सीवरेज होने के बाद भी कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। मान्यवर, यह बहुत बड़ी समस्या है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट न होना और गंदगी को खुले नालों में छोड़ देना और वो नाले घनी बस्तियों से निकलते हैं। मान्यवर, नगर निगम क्षेत्र में जो नदियां थी, अतिक्रमण के कारण वो नाले बन गये और नाले नालियां बन गयी। अगर इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में निश्चित रूप से यहां प्रत्येक क्षेत्र में पानी का भराव होगा और बाढ़ आयेगी। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ....

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि अभी आबकारी पर शराब की जो वकालत की गई। मान्यवर, आपकी पीठ के पीछे गांधी जी की मूर्ति है तो मान्यवर, शराब की जो वकालत सदन में की गई, ठीक है हम बाहर हंसी में, मजाक में बहुत सारी बातें करते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अगर आप उचित समझें जो मेरा अनुरोध है कि परम्परा के अनुसार वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं अपने कक्ष में देख लूँगा और उसमें जो–जो वाक्य और जो शब्द असंसदीय होंगे और गरिमामय नहीं होंगे, उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री लाखी राम जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विभिन्न विभागों का बजट प्रस्तुत किया गया उसके सम्बन्ध में बोलते हुए निवेदन करना है कि एक तो जल निगम के बारे में मेरा यह अनुरोध है कि कई ऐसे विभाग हैं जल निगम है, लोक निर्माण विभाग है वहां पर स्थानान्तरण की कोई नीति नहीं है। हो यह रहा है कि जो अधिकारी 10–12 साल से एक ही स्थान पर जमे हुए थे, उनका प्रमोशन भी वहीं पर हो गया, उनको ए0ई0 बना दिया गया और फिर वहीं पर उनको एक्स0ई0एन0 बना दिया जायेगा और उसकी तमाम

शिकायतें आ रही हैं। मेरा निवेदन यह है कि एक स्थानान्तरण नीति स्पष्ट रूप से बनाई जाये। दूसरा मान्यवर, मेरे टिहरी जिले में जितने भी जल निगम के डिवीजन हैं या लोक निर्माण विभाग के डिवीजन हैं उनके सारे लोग देहरादून में रहते हैं। चपरासी से लेकर उनके चीफ तक देहरादून में रहते हैं। यही स्थिति कुमायूँ मण्डल की है। होता यह है कि पहाड़ों पर कोई रहना नहीं चाहता, सारे लोग मैदान में रह रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसी स्थाई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहां पर कार्य प्रभावित न हो। दूसरा मान्यवर लोक निर्माण विभाग में अभी स्तर 1 के मुख्य अभियन्ता और गढ़वाल डिवीजन, कुमायूँ डिवीजन में स्तर 2 के जो मुख्य अभियन्ता थे, उनको पदोन्नति नहीं दी गई है। और अभी जो मुख्य अभियन्ता स्तर 1 हैं वे जुलाई में रिटायर होने वाले हैं और उसके बाद उनके स्थान को भरने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक तो मेरा यह सुझाव है उसमें निश्चित व्यवस्था करके, क्योंकि अभी संज्ञान में यह आया है कि जल निगम के अभियन्ता को एक साल का सेवा विस्तार दे दिया है। यह बहुत खराब परम्परा है। एक तरफ हम कर्मचारियों की कमी की बात करते हैं कि कमी करनी चाहिए और दूसरी तरफ रिटायर हो गये हैं उनको रोक लेने की बात है। यह बहुत खराब परम्परा है। मुझे सन्देह है कि यह जो स्तर 2 के मुख्य अभियन्ता की पदोन्नति अभी तक नहीं हो पा रही है कहीं उसके पीछे यह मंशा तो नहीं है कि मुख्य अभियन्ता जुलाई में रिटायर होने वाले हैं उनको सेवा वृद्धि दे दी जायेगी। मैं नगर विकास के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूँ वर्ष 1997 में जब मायावती जी मुख्यमंत्री थीं तो उन्होंने घोषणा की थी कि नई टिहरी को ए–श्रेणी की नगर पालिका बनाया जाये। उसके बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई और अभी तक भी सरकार की कोई मंशा नहीं कि उसको ए–श्रेणी की नगर पालिका घोषित करे। अभी जो वहां के जिलाधिकारी थे, उन्होंने वहां के जो कर्मचारी हैं उनको ए–श्रेणी की नगर पालिका के समकक्ष उनको पदोन्नति कर दी और तमाम एरियर का भुगतान करके एक बहुत बड़ा गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है। नगर पालिका टिहरी में सामान की खरीद हुई, उन्हीं लोगों ने जिनकी पदोन्नति वहां की गई, उन्होंने सामान की खरीद की, लेकिन वह सामान पहुँचा ही नहीं वहां। जिलाधिकारी से निवेदन किया गया, उसमें जांच बैठाई गई और जो स्टोर था उसे सील कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

मानवीय जोशी जी कृपया संक्षेप करें।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, शिक्षा विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कई कालेज ऐसे हैं, जहां पर जैसे कामर्स का विषय स्वीकार है, कामर्स पढ़ाया जाता है लेकिन पढ़ाने के लिए वहां पद सृजित नहीं है। एक तो मैं मा0 मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जहां पर पद स्वीकृत है और विषय स्वीकृत नहीं है जहां विषय स्वीकृत है वहां पद सृजित नहीं है तो ऐसे विद्यालयों की सूची मंगवाकर कृपा करके उन पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। दूसरी पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 1–1 ब्लाक में विद्यालय में 3–3, 4–4 विद्यालयों में कृषि विषय की अनिवार्यता करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मान्यवर, लोक निर्माण की जितनी सड़कें हैं वे सड़कें पुस्तों पर जो कटान करके सड़कें

बननी चाहिए थी वह नहीं बन रही है जिसके कारण वह बरसात में टूट जाती हैं। इसके साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए विभिन्न विभागों के मदों का समर्थन करता हूं।

काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात मा0 मुख्यमंत्री जी ने कही थी डा0 सम्पूर्णानन्द जी ने, जेल के संबंध में, जो उन्होंने बजट भाषण में पढ़ा था, सन् 1952 में कहा था कि एक दिन कैदियों से मिलने का जो वक्त मुकर्रर है। यह भ्रष्टाचार की जड़ है और इस पर कम से कम 6 दिन होने चाहिए। इस पर मैंने भी आदेश किये और कई मंत्रियों ने भी किये पक्की तौर पर तो वे मान लेते हैं जेल वाले, लेकिन फिर न जाने क्या करके उसे बन्द कर देते हैं, नतीजा यह कि वह 5–5 सौ रुपये मिलवाई के लेते हैं। अगर 6 दिन मिलवाई इतवार के दिन कर दी जाय तो उसमें भ्रष्टाचार वाकई कम होगा। मान्यवर, पाल्यूशन के बारे में नॉयज पाल्यूशन किस विभाग में आयेगा, यह मैं नहीं कह सकता यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मा0 मुख्यमंत्री जी से निवेदन है नॉयज पाल्यूशन पर आप सोचें एक तरफ से हल्ला एक तरफ हरे राम दूसरी तरफ हरे कृष्णा, जय माता दी, जय हुसैन, बरातें होती हैं नाच गाने डॉन्स होते हैं नॉयज पाल्यूशन पर कोई कानून बनना चाहिए। ....

मान्यवर, पब्लिक स्कूल के बारे में कहा जाता है दोहरी प्रणाली इसके सबसे बड़े वकील हैं माननीय मुलायम सिंह जी वह भाषण दे रहे थे "ऐज चीफ मिनिस्टर" दोहरी प्रणाली, यह कर दूंगा वह कर दूंगा तो मैंने कहा कि आपका लड़का कहां पढ़ रहा है तो उन्होंने कहा पब्लिक स्कूल में है पर इण्टर के बाद वहां से हटा दूंगा तो मैंने कहा मैं भी हटा लूंगा, तो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। एक कुबड़ा था उसने कहा कि हे भगवान तूने मुझे क्या सजा दी कि मुझे कुबड़ा बना दिया तो एक दिन एक महात्मा ने कहा तेरे कष्ट दूर हुए बता अब तू क्या चाहता है तो उसने कहा जो हमको देखकर हंसते थे तो उनको भी कुबड़ा बना दो तो मान्यवर, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइये दूसरों के स्तर को नीचा न करें मैं इसका बड़ा वकील हूं यह नहीं कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं इस तरह के स्कूलों में तो मैं इसका वकील हूं और यह दोहरी नीति गलत है, अपने बच्चों को पढ़ायेंगे इंग्लिश स्कूलों में और उनके बच्चे पढ़े चुंगी के स्कूल में, तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। अपना जो सरकारी स्कूल है उनको बढ़ायें ताकि पब्लिक स्कूल छोड़कर लोग उसमें आयें। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

श्रीमन् मुख्य रूप से जैसे कि पुलिस विभाग के बारे में बहुत सी चर्चायें आई। मेरा सुझाव है कि मान्यवर, अंग्रेजों ने जो पुलिस व्यवस्था यहां की थी तो हम गुलाम थे और हमको गुलाम बनाने के लिए डण्डा प्रणाली अपनायी थी उनकी व्यवस्था यह थी कि उनके वहां इंग्लैण्ड के अन्दर पुलिस के ऊपर विश्वास किया जाता था हमारे यहां कोई डर के मारे थाने के अन्दर नहीं जायेगा वह कहीं मुझे बन्द न कर दें, जैसा बार–बार काजी जी ने कहा है हमारा उत्तरांचल राज्य अलग बना है यहां के परिवेश में हम प्रयास करें एक–एक ऐसी व्यवस्था बने और लोगों की आस्था बने कि थाने जाने में कोई आदमी डरे न। मुख्य रूप से यह सुझाव मेरा है दूसरा पी0डब्ल्यू0डी0 जो विभाग है उसके बारे में एक तो 92–93 में जब एस0आर0वाई0 का पैसा जब हमारे पास आया तो एस0आर0वाई0 के पैसे से हमने

बहुत सारी सड़कें कटवा दी और पी0 डब्ल्यू0 डी0 ने उन सड़कों का निर्माण किया तब से वह सड़कें बन्द हैं। लिहाजा पी0 डब्ल्यू0 डी0 उन सड़कों को दोबारा लें उनका रख–रखाव करें ताकि हमारा वह सम्पर्क मार्ग जुड़ सके। तीसरा मेरा सुझाव है पी0 डब्ल्यू0 डी0 के बारे में है, आज के दिन हम अगर 10 किलोमीटर किसी विधान सभा में सड़क स्वीकृत करते हैं कि 13 लाख रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक करोड़ 20 लाख रुपया उसको दे देते हैं अब वह वन अधिनियम की वजह से एक साल, दो साल, तक मामला लटका रहता है फिर तीन साल बाद स्वीकृति दी। विधान सभा के हिसाब से वह एक करोड़, दो करोड़ होता गया जब वन अधिनियम से उसका निस्तारण हुआ, तभी हम अगर शुरू कर पायेंगे। श्रीमन् उसमें मेरा एक सुझाव है कि पहले स्टेज में हम एक लाख रुपया दे दें और गैर वानिकी में जो पैसा खर्च होता है वह पैसा लगाया जाय ताकि जिसमें वह डिस्फारेस्ट होगा उसके बाद एक लाख प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसको स्वीकृति दे दी जाय जैसे ही वह डिस्फारेस्ट होता है, एक साल लगे, 2 साल लगें जब वह डिस्फारेस्ट होता है इतना पैसा हम दे दें।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां भ्रमण भी हो चुका है गंगोलीहाट में बहुत लम्बे समय से डिग्री कालेज की समस्या है और मान्यवर, गंगोलीहाट और पुल्ला दो जगह पूरे जनपद में ऐसी हैं, जहां आज की तारीख में 15 रुपये, 20 रुपये कनस्टर पानी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। दो जगह पेयजल की समस्या है और टनकपुर में महिला डिग्री कालेज की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विभागों का जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। शिक्षा के क्षेत्र को इस सरकार ने प्राथमिकता पर लिया है और अभी 4–5 हजार शिक्षकों की शिक्षा बन्धु तथा शिक्षा मित्र के तहत नियुक्ति भी की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पूरे जिले में एल0टी0 के 210 पद हैं और अभी मात्र 40 पदों पर शिक्षा बन्धु के तहत नियुक्तियां हुई हैं। ऐसे ही प्रवक्ता के 339 पद रिक्त हैं, इनमें से 51 पर अभी शिक्षा बन्धु रखे गये हैं और कितने समय में वो आयेंगे, मैं कह नहीं सकता। इसी प्रकार इण्टर में 50 तथा हाईस्कूल में 24 प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो बड़ी मुश्किल हमारे सामने आती है, इसकी व्यवस्था की जाय। प्राइमरी विद्यालयों में 116 विद्यालय जिले में हैं, जिनमें अध्यापकों के पद सृजित नहीं हैं लेकिन इनके भवन बन गये हैं। अभी आपने विशिष्ट स्थिति में बी0टी0सी0 में पद सृजित करने की बात की है। अशासकीय विद्यालयों में भी हमारे प्रवक्ता, एल0टी0 और प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं। अशासकीय विद्यालय हमारे सरकार का ही अंग है। सरकार उनको वेतन देती है। मैं तो निवेदन करूंगा कि जितने भी अशासकीय विद्यालय हैं, उनको सरकार ले। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आयेगी। मान्यवर, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा विज्ञान विषय पर ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे अनेक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें विज्ञान की कक्षाएं नहीं हैं। इंटरमीडिएट में हमारी विज्ञान की कक्षाएं नहीं हैं। हमारे यहां उत्तरांचल में दो–दो इंजीनियरिंग कालेज हैं। एक बात रोड के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 30 किलोमीटर मार्ग जो सन् 1997 से आज तक लगातार स्वीकृत किया गया है, उनमें से किसी में काम नहीं चल पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपसे निवेदन किया था कि पी0डब्ल्यू0डी0 के जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, एक तो वो कम हैं और जो हैं भी, वो काम नहीं कर पा रहे।

मान्यवर, हमारे यहां सीवर की समस्या का समाधान हो गया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पेयजल योजना के बारे में कहना चाहता हूं, एक द्वाराहाट की पेयजल योजना है और दूसरी दन्या की पेयजल योजना है। मान्यवर, जल संस्थान और जल निगम का एकीकरण हो जाय तो निश्चित रूप से हमारे सामने जो पेयजल की समस्या आ रही है, वह समाप्त हो जायेगी। ....

* श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी मैं एक–एक मिनट में अपनी बात कहता हूं एक तो शिक्षा के ऊपर। हमारे यहां ऐसा है कि एक–एक सेक्शन में 120 लड़के हैं। ये जो इण्टरमीडिएट बोर्ड है पहले ऐसा था कि अलग–अलग स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिये गये थे। अब रामनगर में इसका जो हेड ऑफिस बनाया गया, लेकिन जो बच्चे देहरादून के हैं, हरिद्वार के हैं उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, इस प्रकार का एक कार्यालय देहरादून में भी खोला जाना चाहिए। उ0 प्र0 में क्षेत्रीय कार्यालय अलग–अलग थे। दूसरी बात यह है जो सड़कें विभिन्न विभागों द्वारा बनायी हुई हैं जैसे गन्ना विभाग द्वारा उसका पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा अधिग्रहण किया जाना चाहिए था, क्योंकि न तो इनकी मरम्मत होती है और न उनका रख–रखाव होता है इसलिए वे सड़कें बहुत खराब हो गयी हैं। उन सड़कों का रख–रखाव हो इसके लिए यह आवश्यक है कि उनका अधिग्रहण पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा हो जाना चाहिए। दूसरी बात इस प्रकार के एस0डी0ओ0 हैं, ए0ई0 हैं जिन्होंने अपना विकल्प उत्तरांचल का दिया हुआ है मान्यवर, उन लोगों ने यहां ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उन्हें अभी तक काम नहीं दिया जा रहा है और वे बीच में लटके हुए हैं तो इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी हैं इनकी स्थिति को स्पष्ट करते हुए उनको काम देने का कार्य करेंगे। जहां तक पुलिस की बात है। आज पुलिस में जो इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं जैसे रामनगर की घटना है। पुलिस इस प्रकार के लोगों को, जो पकड़े जाते हैं, उनको मारते हैं, सेकेण्ड ग्रेड मैथड अपनाये जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतकों के आश्रितों को तीन लाख रुपये दे दिये, लेकिन इस प्रकार से जो मौतें होती हैं, तो उनके ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए। पुलिस हिरासत में जो मौतें होती हैं उन पर भी प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि पुलिस इस प्रकार के कार्य न करे। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, गृह विभाग के बारे में मैं सुन रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग में सबको बधाई दे दी। हम लोगों को भी बरदास्त करना पड़ेगा। मान्यवर, बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुरी स्थिति है थानों की। मैनेज ही नहीं कर पाते और किस तरह के प्रेशर में रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई दबाव बना हुआ है। मान्यवर, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। पुलिस विभाग में सुधार की बहुत सख्त आवश्यकता है। हल्द्वानी में तो इस बीच इस कदर अखबार छपते रहे कि सामान्य आदमी डरा-धमका हुआ रहा। उसे टेलीफोन पर रंगदारी वसूली की धमकी दी जाती है। पता नहीं कितने लोग भगत जी के यहां गये होंगे। मान्यवर, शिक्षा पर मेरा सुझाव है, काजी साहब चले गये हैं (व्यवधान) इस पर बड़े कमीशन आये। कमीशन से कहा पड़ोस का विद्यालय, थिसिस यह थी कि कलेक्टर का बेटा और कलेक्टर के चपरासी का बेटा एक स्कूल में पढ़ें। वह शिक्षा हम नहीं दे पाये इसलिए इसका नाम दोहरी शिक्षा व्यवस्था है। मान्यवर, क्रय शक्ति जिनके पास है वे अपने बच्चों को पब्लिक इंस्टीट्युशन में पढ़ा रहे हैं। इस पर भी चिंतन होना चाहिए। दूसरा मान्यवर, जो विकल्प के लोग आये हैं वे शिक्षक से लेकर कर्मचारी तक हैं इस पर भी आप निर्णय करा दीजिये और बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार संबंधी की कार्य योजना बन जाये कि स्वरोजगार की व्यवस्था हो जाय, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकते। यही मान्यवर, मुझे कहना है।

* श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, शहरों में अण्डरग्राउण्ड वाटर लेवल है वह बहुत नीचे चली गयी क्या करें उसके लिए सभी ने ऐसे सुझाव दिये हैं जिसमें पैसा लगेगा मैं ऐसा सुझाव दे रहा हूं जिसमें पैसा बचेगा, मेरा सुझाव है कि एम०डी०डी०ए० जहां कहीं भी हैं नगरपालिकायें हैं, जो घरों के नक्शे पारित कर रही है उसके लिए सख्त इंस्ट्रक्शन हों कि मकान के अलावा जो आहाते हैं उसको पक्का नहीं किया जाय ताकि जो पानी उस आहाते में गिरे वह सड़क में न जाकर जमीन के अन्दर जज्ब हो। श्रीमन् एक डाक पत्थर में डिग्री कालेज है केवल वाणिज्य संकाय है, विज्ञान और कला संकाय नहीं है। आपने घोषणा भी की है। मेरे क्षेत्र चकराता जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं। डिग्री कालेज को लेकर आज भी मेरे ऊपर 12 मुकदमें दर्ज हैं, लेकिन वह डिग्री कालेज चकराता के अन्दर खुले। मान्यवर, एक बात रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट की हम करते हैं, किसी के मकान हटाने की बात नहीं करते हैं लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी आप तय नहीं करते, कि रोड के किनारे जो बुनियाद डालना शुरू करते हैं उसको उसी दिन रोका जाय उसके पास कानूनी अधिकार हैं हम तब उसको रोकते हैं जब उसकी 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और फिर मुन्ना सिंह चौहान जैसे 50 नेता उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं कि नहीं टूटेगी। कोई पैसा नहीं लगना है रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट लगा हुआ है जो इंजीनियर उसका अनुपालन नहीं करता उस अभियन्ता के खिलाफ जरूरी एक्शन हो। एक बात और है एक प्राथमिक शिक्षा विभाग है कुछ के लिए जी० ओ० है कि प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए यदि 5 वर्ष की निरन्तर सेवा हो, निरन्तर 5 वर्ष की सेवा के बाद प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल जायेगा दूसरी श्रेणी के लिए जी० ओ० नहीं है तमाम सारी बातें हैं दसों पचासों शिक्षक रोज मेरे चक्कर काटते रहते हैं। तो श्रीमन् मैं एक बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं मैं नॉयज पाल्यूशन के बारे में काजी साहब के साथ हूं। दूसरा श्रीमन् सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, सड़क के किनारे जमीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घेरने का तरीका। लाल कपड़ा बांध दो हनुमान जी का मंदिर का चबूतरा बना दो, मजार बना दो, रोड साइड की जमीन हथियाने का धर्म के नाम पर ठेके हैं। इस पर बुल्डोजर चला दीजिये हम सबसे पहले आपके साथ होंगे। ये बात कहना चाहता हूं यदि इस उत्तरांचल को थोड़ा व्यवस्थित रखना चाहते हैं, नहीं तो यहां चलना फिरना मुश्किल हो जायेगा। देहरादून शहर में अच्छी खासी चकराता रोड पर पैदल चलने की जगह नहीं है घुमा के बना दिया वहां पर मंदिर थोड़ा आगे गये मजार बन गयी। इसमें सख्ती से कार्य करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, पहले मेरा अनुरोध मा0 मुख्यमंत्री जी से यह है कि जब वह भाषण दें, प्रदूषण नियंत्रण के जो सेकेण्ड फेज के काम थे उनका पैसा भी मान्यवर, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से आना था वह काम कब तक शुरू होना है। दूसरी बात यह है जो एन0जी0ओज0 स्वजल योजना में लगी है उनकी भी जांच हो जाय वे काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं ये एन0जी0ओज0 की रेपूटेशन कम से कम उत्तरांचल के मामले में खराब है उत्तरांचल के कुछ अधिकारियों ने अपने संबंधियों को इसमें लगा रखा है। तीसरी बात यह है कि विधायकों को 50–50 हैण्ड पम्प मिले थे पिछले साल के वह भी नहीं लगे इस वर्ष मा0 मुख्यमंत्री जी कुछ कृपा कर दें तो बेहतर होगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, हमारे शहर में 2 ट्यूबवेल की जरूरत है। 10 लाख में विधायक निधि से देने को तैयार हूं, 10 लाख प्राधिकरण से माननीय मुख्यमंत्री जी दिला दें और 2 ट्यूबवेल हमारे बन जाते हैं, कन्ट्रीब्यूट करके सहयोग से उनको लगाना चाहते हैं और मान्यवर, पुलिस के बारे में मुझे तो कहना है कि एक बड़ी भारी चर्चा यह हुई है कि रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि एस0 पी0 साहब के अन्तर्गत या कहीं भी जिला स्तर पर एक कक्ष इसी बात का बना दिया जाये जिसकी रिपोर्ट कहीं पर दर्ज न हो फैक्स के माध्यम से या व्यक्तिगत वह पहुंचकर वहां दे दे। वह तुरन्त वहां रजिस्टर्ड कर लिया जाय और संबंधित थाने को भेज दिया जाय जिससे 156–3 की उन लोगों की शिकायतें दूर हो जायें। दूसरी बात मैं यात्रा के बारे में कहना चाहता हूं हम बहुत अधिक पुलिस फोर्स की मांग करते हैं मान्यवर, ऐसा नहीं है मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे एन0सी0सी0 के कैडिट हैं या कालेज के लड़के हैं, छुट्टियों में मेले अवसर पर ट्रेंड करके हम उनको लगा सकते हैं और पुलिस फोर्स में कमी भी ला सकते हैं और अपने नौजवानों को एक सर्टीफिकेट पर रख लेंगे और हमारे नौजवान खुश हो जायेंगे। हम उनको एक स्पेशल सर्विसेज की सेवा के लिए ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर लें और इसके साथ ही साथ जो हमारे यहां सिपाही और जनता का अनुपात है, सिपाही बहुत कम हैं और जनता बहुत ज्यादा है उसके लिए अगर वार्ड कमेटी की जो अवधारणा है यदि हम उस पर विचार कर लें और पुलिस के कुछ कर्मचारी और वो लोग आपस में मिलकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो जनता और पुलिस के सहयोग से हम इस समस्या पर भी बहुत हद तक काबू पा सकते हैं और एक पीपुल्स चार्ज हो पुलिस का और लोगों के बीच हो और क्या न हो इसको डेवलप कर

दें तो पुलिस और जनता का सहयोग और जो शिकायतें हैं उनको हम दूर कर सकते हैं और मान्यवर, शिक्षा विभाग के बारे में मुझे यह कहना है कि जमीन हम उपलब्ध करा रहे हैं, काजी साहब बैठे हैं लक्सर उनका और हमारा क्षेत्र है। एक डिग्री कालेज वहां हम अपने विधायक निधि से दोनों आदमी देंगे, जमीन भी देंगे बाकी, शेष काम माननीय मुख्यमंत्री जी अगर करवा दें तो बड़ी कृपा होगी, इन शब्दों के साथ बात खत्म करता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, माननीय राम सिंह जी ने न्याय नहीं किया, आपने इतने आरोप लगा दिये हैं, पुलिस के बारे में, मान्यवर, वह न्याय संगत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि 2000–2001 के अन्दर कोई डकैती नहीं है। लूट की पिछले साल 15 थीं इस साल 13 हैं, हत्या की घटनायें पिछले साल 31 थीं इस साल 25 हैं, दहेज हत्या पिछले बार 4 थी इस बार एक है, बलात्कार पिछले साल 6 थी इस बार 5 हैं, फिरौती पिछली बार 2 थीं इस बार एक है और मान्यवर, अपराधियों का वर्कआउट कर लिया गया, हत्या का 31 में से 23 वर्कआउट हो गया है, बलात्कार का 5 में से पांचों का वर्कआउट हो गया, फिरौती का 2 में से 2 वर्कआउट हो गये हैं, दहेज का एक में एक वर्कआउट हो गया है, लूट की 13 में से 4 वर्कआउट हुई हैं। मान्यवर, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जो पुलिस कर्मी हैं जो उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं और इसलिए बहुत ज्यादा मन से वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं। पुलिस है भी कम, मैं एक बात के लिए आपको आश्वस्त कर दूं कि कोई भी नागरिक हो, हमारे गृह सचिव को रिपोर्ट दीजिये, जो रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी वह फैक्स से करवा दीजिये हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे और जिस दरोगा ने जिस एस0ओ0 ने रिपोर्ट नहीं लिखी होगी हमारे पास खबर आयेगी हम उसे तुरन्त सस्पेन्ड करेंगे हमने तय किया हुआ है कि वह सब रिपोर्ट दर्ज होंगी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं होगी जो दर्ज न हो। मान्यवर, दूसरी बात मैं बताऊं हमने जो शासन से रुपया स्वीकृत किया है और कुछ केन्द्र से मिला है, आपने कृपया पूर्वक कहा था कि हमारे आधुनिक शस्त्र होने चाहिए, आधुनिकीकरण हेतु प्रति वर्ष 6.32 करोड़ रुपया हम पुलिस चौकियों को देंगे, और 65.80 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ है और सब थानों के अन्दर आधुनिक हथियार, वायरलेस और जो जीप की बात आपने की थी सब हम करेंगे और पुलिस को, जैसा आपने सुझाव दिया कि पुलिस से आदमी को डरने के बजाय उसको सहयोगी माने, जैसे इंग्लैण्ड आदि दूसरी जगह पर होता है, इस बात की हम कोशिश करेंगे। लेकिन जितनी बातें हैं उनमें से 99 फीसदी तो हो रही हैं, और जो कुछ पहले हुआ उसको हम लोग ढो रहे हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस के कांस्टेबिल और हैड कांस्टेबिल स्तर के पुलिस कर्मियों की सेवा शर्तें भी अच्छी बनाइये। जिससे उनमें कुछ उत्साह भी आये। उनकी आलोचना हम रोज करते हैं लेकिन उनकी कुछ सेवा शर्तें भी बनायें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, उनके लिए मकान भी बन रहे हैं। उनकी सेवा शर्तें भी हम ठीक करेंगे, आप निश्चित रहें। मान्यवर, नेपाल के बारे में जब हमें खबर लगी, हमने अपने आई0जी0

को वहां भेजा। उन्होंने जाकर एक-एक जगह, धारचूला और मुन्स्यारी तक सारे बार्डर को चेक किया और एक-दो व्यक्तियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की जो बाहर से आये थे और जो कार्यवाही हो सकती थी, वो की। कुछ कार्यवाहियां गोपनीय हैं। प्रताप सिंह और लिखी राम आई0एस0आई0 के एजेन्ट थे। उनके पास से कागजात हमारी पुलिस ने बरामद किये और उन्हें गिरफ्तार करके कार्यवाही कर रहे हैं।

मान्यवर, होमगार्ड के अभी तो हमने 10 रुपये बढ़ाने की बात की है। हमारे पास जितना बजट होगा, उतना ही हम कर पायेंगे। होमगार्ड के अलावा आपने कहा कि एन0सी0सी0 के लोगों से भी काम लिया जाय। हम तो स्काउट के लोगों से भी काम लेंगे और यह जो हमारी यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था हो रही है, उसमें हमने आपको बताया कि 500 सैनिकों को तो हमने इम्पलाई कर लिया है और जो रिटायर्ड सैनिक, जो हमारे उत्तरांचल के बहुत ही डेलीगेटेड लोग हैं, उनकी सेवायें हम साल-दो साल लेंगे, जब तक हम पुलिस में नयी भर्ती नहीं करते।

श्री राम सिंह सैनी-

मान्यवर, उसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बता दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी-

मान्यवर, पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया है। फिजिकल टेस्ट हो रहा है और उनका रिटेन टेस्ट भी हो रहा है। इसके अलावा जो चयन प्रक्रिया है, उसके हिसाब से हो रहा है। आपने एक और बात कही है, थाना क्षेत्र का परिसीमन। उसके ऊपर हम विचार करेंगे और कुतुबपुर में जो लड़की का मामला था, इसका सरकार अपने खर्च पर इलाज करा रही है। मान्यवर, इसके अलावा शिक्षा के बारे में माननीया इंदिरा जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये। मैं आपके सुझावों का स्वागत करता हूं। लेकिन जो बात माननीय काजी जी ने कही, वो भी हमारी समस्या है। आपके सामने ही लखनऊ में हमारे अवस्थी जी ने कहा था कि उनका नौकर, जिसको उन्होंने इम्पलाई किया था, वो चुपचाप चोरी से अपने बच्चे को पढ़ाता रहा, पब्लिक स्कूल में, जब डिग्री कालेज में दाखिले का मौका आया तो उसने अवस्थी जी के पैर पकड़ लिये कि जो 16 रुपया फीस है, वो माफ करा दीजिये। 800 रुपया फीस जिन्दगी भर देता रहा। ये मानसिकता है। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जो एटॉमिक एनर्जी के अध्यक्ष थे, वो यहां देहरादून पधारे, उनको हमने भारत गौरव का सम्मान दिया। उन्होंने एक बात कही कि मैंने अपनी शिक्षा मेरठ के म्यूनिसिपल स्कूल में ली। फिर मेरठ के ही इण्टरमीडिएट कालेज में मैंने शिक्षा ली। मेरठ के डिग्री कालेज में शिक्षा ली और उसके बाद आज वो देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। ऐसा नहीं है कि वहीं पर शिक्षा लेकर आदमी बड़ा बन सकता है। हमारे बहुत से बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़े हैं लेकिन हमने एक बड़ी लाइन उसके मुकाबले में खींची है। अभी उनको बिल्कुल बन्द नहीं कर सकते।

श्री राम सिंह सैनी-

मान्यवर, एक-एक सेक्शन में 100-100, 150-150 बच्चे हैं। उसका समाधान भी कर दीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, उसको हम देखेंगे। अभी हमारा प्रदेश एक गरीब प्रदेश है। कितने स्कूल बढ़ा पायेंगे, कितनी कक्षाएं बढ़ा पायेंगे, कितने टीचर्स बढ़ा पायेंगे, अभी आपने कहा बहुत से टीचर नहीं है, स्कूल के अन्दर, वो टीचर भी हम बढ़ायेंगे लेकिन हर चीज के आधार में रुपया है। जितना हमारा आर्थिक आधार होगा उस हिसाब से हम उनको करेंगे।

मान्यवर, आवास एवं नगर विकास के बारे में कई सुझाव आये। बड़े अच्छे सुझाव आये। आपको मैं एक निवेदन कर दूं, जो पॉलिथीन की बात आपने कही। पॉलिथीन के लिए हमने यहां पर विचार किया है, अभी हम पूरी तरह विचार नहीं कर पाये हैं। हम इसमें कोई न कोई विधेयक लायेंगे। क्योंकि पॉलिथीन ऐसा राक्षस है, आपने कहा रिसाइकिलिंग करें, वह तो कहीं नहीं मरता, उसको तो जिन्दगी भर मार नहीं सकते। उसको तो बैन करना होगा। जो अब तक हैं, उनके लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। इसके अलावा आपने जो अस्पताल वगैरह के बारे में कहा, उसका हम पूरा इंतजाम करेंगे। देहरादून के अन्दर जैसा हरबंस कपूर जी ने कहा कि हमारे पास बहुत कम सफाई कर्मचारी हैं। उनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं और जो नाले की सफाई की बात है, उसके लिए हम विशेष आयोजन करेंगे। ....

मान्यवर, जो मलिन बस्तियां हैं उनके लिए एक योजना माननीय टण्डन जी ने बनाई थी। आपको पता होगा उन्होंने शायद गरीबों के लिए 5, 10, 15 रुपये के हिसाब से किराये पर उनको मकान देने की योजना बनायी थी वो सफल है और वहां से हम उनकी योजना लायेंगे। यहां जो गरीब हैं और मलिन बस्तियों में रहते हैं, उनको हम इसमें रखेंगे। जो दो हवाई पट्टियों की बात आपने कही है उसमें जौली ग्रान्ट का तो विस्तार भी किया जा रहा है और उच्चीकरण भी किया जा रहा है और गोचर के लिए भी व्यावसायिक सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। देर सवेर पाँचों का उच्चीकरण होगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, बी0एच0ई0एल0 में भी एक हवाई पट्टी बनी हुई है, उस पर भी विचार कर लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, इस पर भी विचार कर लेंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस राज्य के अन्दर हम और आप मिलकर काम करें। इसके अन्दर हमारे आपके बीच में कोई भेद नहीं हैं। जितने हमारे माननीय सदस्य हैं, उनके सुझाव आये, बहुत अच्छे–अच्छे सुझाव आये। इस सरकार की नीयत यह है कि इस उत्तरांचल राज्य का विकास हो। जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारे दिमाग में आता है। आपने बहुत सारी बातें कहीं। सड़कों के बारे में आपने सुझाव दिया है कि सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। वर्तमान में कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने नहीं आया होगा। पीछे तो जो होना था, हो गया लेकिन आज ऐसा नहीं है। अभी मैंने कई बहुमंजिली मकान बनाने का देहरादून के अन्दर तो आदेश करके

रोक दिया, क्योंकि अभी जो भूकम्प आया था उसमें बहुमंजिली मकान गिर गये थे। तो जहां–जहां सुधार हो सकता है, हम सुधार कर रहे हैं। प्राधिकरणों की आवश्यकता है मैं इसकी आवश्यकता को इन्कार नहीं करता क्योंकि प्लान्ड वे में कार्य होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण रखा जाये। उसके अन्दर 3 प्रतिनिधि जनता के रखे जायें। उन लोगों की ड्यूटी है कि उन पर नियंत्रण रखें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, विधायकों को इसमें शामिल कर लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मोहन मीकिन वाले कुछ लोग थे। ये जो होलसेलर है वे लेते हैं। (व्यवधान) अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं, अभी आदेश नहीं हुआ है, लेकिन जो रात को लाउडस्पीकर बोलता है, गलत समय पर लाउडस्पीकर बोलता है। उसको रोकना चाहिए। एक समय सीमा के अन्दर ही 10 बजे के अन्दर आप लाउडस्पीकर बजा लीजिये।

मान्यवर, आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं आपने इतना अच्छा सुझाव दिया। आपसे प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कटौती प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–8, आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–8, आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 28656 हजार (दो करोड़ छियासी लाख छप्पन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 1337957 हजार (एक अरब तैंतीस करोड़ उन्यासी लाख सत्तावन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 5213576 हजार (पांच अरब इक्कीस करोड़ पैंतिस लाख छियत्तर हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 1849497 हजार (एक अरब चौरासी करोड़ चौरानबे लाख सत्तानबे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14, सूचना के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14, सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 82452 हजार (आठ करोड़ चौबीस लाख बावन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 2840701 हजार (दो अरब चौरासी करोड़ सात लाख एक हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24, परिवहन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24, परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 141139 हजार (चौदह करोड़ ग्यारह लाख उन्तालिस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

हरिद्वार जनपद के महाविद्यालयों का सम्बद्धीकरण हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) से किये जाने सम्बन्धी माननीय सदस्य विधान सभा श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

["सम्पूर्ण भारत के प्रत्येक राज्य में महाविद्यालयों का सम्बद्धीकरण क्षेत्रीय आधार पर उस विश्वविद्यालय से किया जाता है जिसके क्षेत्राधिकार में वह महाविद्यालय आता है, उत्तरांचल मंत्रिमण्डल द्वारा जनपद हरिद्वार के महाविद्यालयों को गढ़वाल अथवा कुमाऊं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने का विकल्प प्रदान करने से स्थिति पेचीदा हो गयी है, जबकि हरिद्वार जनपद के आम लोगों की राय गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्धीकरण की है।"

वक्तव्य–इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि हरिद्वार जनपद स्थित महाविद्यालयों/निजी संस्थाओं को हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) से सम्बद्ध कराये जाने का प्रकरण सम्प्रति विचाराधीन है।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देहरादून नगर क्षेत्र में सीवर के निस्तारण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरबंस कपूर मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

श्री नित्यानन्द स्वामी–

[देहरादून नगर निगम की वर्ष 2001 एवं 2011 की परिकल्पित जनसंख्या क्रमशः 5.56 लाख तथा 7.50 लाख है। मानक के अनुसार इस जनसंख्या से देहरादून शहर में 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से वर्ष 2001 एवं 2011 क्रमशः 83.40 एम0एल0डी0 एवं 112.50 एम0एल0डी0 सीवेज उत्पन्न होगा।

नगर की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या के लिए सीवर सुविधा अब तक उपलब्ध करायी जा सकी है। इस जनसंख्या से संबंधित सीवेज मुख्यतः कारगी (पथरीबाग) एवं अजबपुर (मोथरावाला) स्थित सीवेज फार्म पर विसृजित किया जाता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सीवर लाईन एवं सीवेज फार्म की क्षमता अपर्याप्त हो गयी है जिसके फलस्वरूप कुछ स्थानों पर सीवेज नालों/नदियों में भी प्रवाहित हो रहा है।

अवशेष जनसंख्या को सीवर सुविधा उपलब्ध कराने, नालों आदि में बहने वाले सीवर को यथासमय मुख्य सीवर लाईन से जोडने के साथ–साथ सीवेज ट्रीटमेन्ट एवं डिस्पोजल से संबंधित कार्यों को करने हेतु कार्य योजना पर विचार किया जा रहा है। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार इन कार्यों के लिए लगभग रु0 150.00 करोड़ की आवश्यकता होगी। इतनी अधिक धनराशि की एक साथ व्यवस्था करना सम्भव न होने के कारण जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए चरणबद्ध रूप से कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

मा0 विधायक जी द्वारा दी गयी सूचना में मुख्य रूप से सीवर लाईनों का निस्तारण नालों/खालों में किये जाने का उल्लेख है जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वालों की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में नालों में बहने वाले सीवेज को टैप करते हुए ट्रंक सीवर के माध्यम से इसे घनी आबादी क्षेत्र से बाहर निकासी के कार्य के संबंध में कार्य योजना बनाने एवं प्राक्कलन आदि विरचित करने की कार्यवाही प्रगति पर है जिसका क्रियान्वयन धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।]

रोजगारपरक व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पिथौरागढ़ में एक केन्द्रीय विद्यालय की शीघ्र स्थापना के संबंध में श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तरांचल में रोजगारपरक व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पिथौरागढ़ में एक केन्द्रीय विद्यालय की शीघ्र स्थापना की जाय"।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, केन्द्रीय महाविद्यालय की स्थापना को केन्द्रीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आच्छादित होता है। महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में निर्णय केन्द्र सरकार के स्तर पर लिया जाता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तरांचल में रोजगारपरक व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पिथौरागढ़ में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाय, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

तीर्थ यात्रा काल में हरिद्वार को मेला काल अधिसूचित करने तथा मूलभूत सुविधाओं हेतु नगरपालिका परिषद् को धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि तीर्थ यात्रा काल में हरिद्वार में 01 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक मेलाकाल अधिसूचित किया जाय तथा यात्रियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु नगरपालिका परिषद् को मानकानुसार धन उपलब्ध कराया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार एक प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पर्यटकों (व्यवधान) ..... स्थान पर बैशाखी से दीपावली के मध्य पड़ते हैं। यह समय चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की तीर्थ यात्रा होती है इसमें लाखों श्रद्धालु स्नान हेतु आते हैं इस बीच आने वाले प्रमुख त्यौहार मकर संक्रांति माह जनवरी, शिवरात्रि, रामनवमी और बैशाखी माह अप्रैल में, बुद्ध पूर्णिमा माह मई में, गंगा दशहरा माह जून में, कांवर मेला माह जुलाई में, कृष्ण जन्माष्टमी माह अगस्त में, दुर्गा पूजा और दशहरा माह नवम्बर में मनाते हैं उक्त पर्वों में 5 से लेकर 10 लाख तीर्थ यात्रियों की संख्या रहती है। विभिन्न आश्रमों में कथायें और सत्संग का आयोजन होता रहता है। इसमें लाखों श्रद्धालु देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। यात्रा सीजन में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों की यात्रा के समय माह मई, जून और जुलाई में प्रतिदिन 3 से 5 लाख के मध्य तीर्थ यात्रियों का आगमन होता है। इन यात्रियों के लिए सफाई व्यवस्था, पेयजल और पथ प्रकाश व्यवस्था, पुलिस एवं चिकित्सा व्यवस्था का दायित्व पूर्णतया हरिद्वार के प्रशासन और नगरपालिका हरिद्वार द्वारा ही की जाती है। उत्तरांचल राज्य के गठन के पूर्व उपरोक्त स्नान पर्वों की व्यवस्था

हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है और इन पर्वों में समस्त व्यवस्था जिला प्रशासन और नगरपालिका द्वारा अपने सोर्स से की जा रही है. यात्रियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में शासन एवं प्रशासन पूर्णतया सजग है और प्रशासन को वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनपद में आने वाले तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों को उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं में यथासमय और सुधार कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा इससे मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूं। वहां के जो जिलाधिकारी है वह प्रस्ताव शासन को इन्होंने भेजा है अगर जिला प्रशासन सक्षम होता और जिला प्रशासन की कठिनाई न होती तो यह प्रस्ताव शासन को नहीं जाता। मेलाकाल अधिसूचित कर दिया जाय और अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, जिस नगरपालिका के पास मात्र 2 लाख कर्मचारी हों और वहां 10 लाख लोग आते हों तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि सम्पूर्ण व्यवस्था हो जायेगी. व्यवस्था चल रही है यह बात अलग है लेकिन यात्रियों को मूलभूत सुविधा कुछ मिल नहीं पा रही है अगर ये परेशानी नहीं होती तो डी० एम०, आयुक्त से यह प्रस्ताव शासन को नहीं भेजते तो उत्तर प्रदेश शासन को भेजा था कि मेलाकाल अधिसूचित कर दिया जाय। मान्यवर, एक भी प्राथमिक चिकित्सा का केन्द्र हम बना नहीं पाते एक भी यात्री को चिकित्सा की सुविधा दे नहीं पाते, सफाई की सुविधा मान्यवर, दे नहीं पाते। पैसा हमारे पास है नहीं, स्ट्रीट लाइट में भी हमें परेशानी होती है और पुलिस को दिक्कत होती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, निवेदन कर दिया कि हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री अम्बरीष कुमार–

मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री अम्बरीष कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव "इस सदन का यह निश्चित मत है कि तीर्थ यात्रा काल में हरिद्वार में 01 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक मेला काल अधिसूचित किया जाय तथा यात्रियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु नगरपालिका परिषद् को मानकानुसार धन उपलब्ध कराया जाय, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष जी–

नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है यह है श्री लाखी राम जोशी की। उत्तरांचल विधान सभा क्षेत्र में 5–5 आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्वीकृत किये जाने के बाद भी समुचित संचालन नहीं होने की स्थिति में हैं।

मैं इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूं।

(अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे तक के लिये)

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 25 मिनट पर शुक्रवार दिनांक 11 मई, 2001 को/अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

देहरादून :

दिनांक : 10–5–2001

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 विधान सभा/431–01–11–2002–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।